लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16, मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1967/14 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 16, Tuesday, December 5, 1967/Agrahayana 14, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
451.	बर्नपुर स्थित इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी में तालाबन्दी	Lock-out in Indian Standard Vagon Company, Burnpur	2197-2199
453.	गन्ने का मूल्य	Sugarcane price	2200
456.	चीनी और गन्ने के दाम	Prices of Sugar and Sugarcane	2200-2201
477.	गन्ने से चीनी के बजाय गुड़ और खंडसारी बनाना	Diversion of Sugarcane to gur and khansdari	2201-2210

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
	लिए मजूरी बोर्ड		
452.	आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में अधिक उपज देने वाली किस्म के खाद्यान्न उगाने का कार्यक्रम	High-yielding Varieties Programme in A.P. and Madras	2210-2211
454.	दिल्ली टेलीफोन जिला शाखा के पदाधिकारियों की हड़ताल	Strike by Office-bearers of Delhi Telephone District	2211
455.	कालटैक्स के व्यवस्थापकों का कलकत्ता कार्यालय	Calcutta Office of Caltex Management	2212
457.	ऐस्सो स्टेण्डर्ड ईस्टर्न इंकारपोरेटेड कम्पनी की पुनर्गठन योजना	Recorganisation scheme in Esso Standard Eastern Inc.	2212

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य नें वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
458.	विदेशी तेल समवायों में रोजगार की सुरक्षा	Job security in foreign oil Conpanies	2213
459.	चुकन्दर से चीनी तैयार करना	Sugar from sugar beet	2213
460.	कृषि जन्य उत्पादन के लिए केन्द्रीकृत आयोजना	Centralised planning for agricultural Production	2214
461.	औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारी	Workers in industrial establishments	2214
463.	केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र	Central State Farms	2214-2215
464.	दिल्ली की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकता	Delhi's requirement of foodgrains	2215
465.	लघु सिंचाई योजनायें	Small Irrigation Schemes	2216
466.	शिशिक्षु योजना का कार्य-संचालन	Working of the Apparentceship Scheme	2216
467.	कई फसलें उगाना (रिले क्रोपिंग)	Relay cropping	2217
468.	सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में जन-घंटों की हानि	Man days lost in Public Undertakings	2217
469.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	2218
470.	श्रमिकों की उत्पादिकता में वृद्धि	Increase in productivity of labour	2218
471.	धान की फसल के लिये राज सहायता से मूल्य निर्धारित करना	Support Prices for Paddy Crop	2219
472.	मूलभूत अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgment on Fundamental Rights	2219-2220
473.	आँध्र प्रदेश सरकार द्वारा गुड़ लाने ले जाने पर प्रति-बन्ध लगाया जाना	Restriction on movement of Gur by A. P. Government	2220
474.	व्यवहार प्रक्रिया संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन	Revision of C.P.C., Cr. P.C. and I.P.C.	2220-2221
475.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	2221

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
476.	पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में भारत के क्रास बार टेलीफोन उपकरण का खोया जाना	Cross-bar Telephone equipment lost by India during conflict with Pak.	2221 2222
476.	आसाम में नए प्रव्रजक	New Migrants in Assam	2222
479.	दिल्ली के चीनी के कोटे में कमी	Reduction in Sugar Quota for Delhi	2222
480.	गन्ने का दाम	Price of Sugarcane	2222-2223
अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
2932.	चावल की खरीद	Procurement of Rice	2223
2933.	धान की वसूली	Procurement of Paddy	2223
2934.	गाँवों में टेलीफोन लगाने की योजना	Village Telephone Installation Scheme	2224
2935.	पशुधन	Cattle Wealth	2224
2936.	पशुओं से कार्बनिक खाद	Organic Manure from Cattle	2225
2937.	भारतीय खाद्य निगम का वार्षिक व्यय	Annual Expense of Food Corporation of India	2225
2938.	गुजरात में भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks in Gujarat	2225-2226
2939.	गुजरात में भूमिहीन व्यक्तियों का पुनः बसाया जाना	Resettlement of Ladless People in Gujarat	2226
2940.	गुजरात में नलकूप के लिये ऋण	Loss for Tubrwells in Gujarat	2226-2227
2941.	गुजरात को बोरिंग मशीनों की सप्लाई	Supply of Boring Machines to Gujarat	2227
2942.	महाराष्ट्र में डाकघर, बचत बैंक, तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज	Post Offices, Saving Banks, Telegraph Offices & Telephone Exchange in Maharashtra	2227
2943.	उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या	Number of Educated Unemployed in U.P.	2228
2944.	तारों को प्राथमिकता दिया जाना	Treatment of Telegrams	2228
2945.	सीमावर्ती क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंग प्रणाली	Microwave System in Border Areas	2229
2946.	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सिक्त क्षेत्रों को अपने हाथ में लेना	Taking over of Command Areas of Big Irrigation Projects	2229-2230

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2947.	जापान के आर्थिक तथा वित्तीय विशेषज्ञों का प्रतिनिधि मण्डल	Japanese Delegation of Economic and Financial Experts	2230
2948.	मुसलमानों के विवाह सम्बन्धी कानून	Muslim Marriage Laws	2230-2231
2949.	लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करने में विलम्ब	Delay in Taking Action on Recommendations of Public Accounts Committee	2231
2950.	सेटलमेंट अधिकारी, त्रिपुरा	Settlement Officer, Tripura	2231-2232
2951.	मुसलमानों में बहु विवाह प्रथा	Polygamey Among Muslims	2232
2952.	दिल्ली में सामुदायिक परियोजनायें	Community Projects in Delhi	2232
2953.	राजस्थान में जामिसार में जिप्सम की खानों के कर्मचरियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Gypsum Mines at Jamsar, Rajasthan	2232-2133
2954.	मध्य प्रदेश में चीनी मिलें	Sugar Mills in Madhya Pradesh	2233
2955.	सुपर बाजार	Super Bazars	2233-2234
2956.	काजू की खेती	Cashew Cultivation	2234
2957.	सिद्धहस्त शिल्पिकों के लिये प्रशिक्षण संस्था	Trainihg Institute for Master Craftsmen	2134
2958.	कृषि क्षेत्र में मजदूर संघ की गतिविधि	Trade Union activity in Agricultural Field	2234
2959.	काँगड़ा जिले में वन भूमि का अलाटमेंट	Allotment of Forest Land in Kangra District	2235
2960.	एस्सो कम्पनी में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of the employees in Esso Company	2235
2961	वर्ष 1967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains in 1967-68	2235
2962.	खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियाँ	Agricultural Labourers' Co-operative Societies	2236
2964.	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में चिकनाई की मात्रा	Fat contents of D.M.S. Milk	2236
2965.	टेलीफोन राजस्व	Telephone Revenue	2236

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
2967.	श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय	Indian Repatriates from Ceylon	2237
2968.	बन्दरगाहों में अनाज के रखने तथा उतारने चढ़ाने की व्यवस्था	Grain storage and Handling at Ports	2237-2238
2969.	खाद्यान्न भाण्डागार क्षमता	Storage capacity for Foodgrains	2238
2970.	आन्ध्र प्रदेश में सूअर पालन केन्द्र	Piggeries in Andhra Pradesh	2238-2239
2971.	अधिवक्ता अधिनियम का संशोधन	Amendment of Advocates Act	2239-2240
2972.	चीन को चोरी छिपे माल भेजा जाना	Smuggling to China	2240
2974.	जापान से चावल मिलों के लिये मशीनों का आयात	Import of Rice Milling Machinery from Japan	2240
2975.	नीलगिरी में भारत जर्मनी परियोजना	Indo-German Project in Nilgiri	2240-2241
2976.	डाक तथा दूर संचार सेवायें	Postal and Tele-Communication Services	2241-2242
2977.	वन विकास	Development of Forests	2242-2243
2978.	दिल्ली में टेलीफोन	Telephone Connections in Delhi	2243
2979.	हिमाचल प्रदेश में ट्रंक काल आफिस	Trunk call offices in Himachal Pradesh	2243-2244
2980.	सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रंक काल आफिस	Trunk Call Offices in Border Areas	2244
2981.	दिल्ली में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Delhi	2244
2982.	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Advisory Committee	2244-2245
2983.	दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Delhi Teleophone Directory in Hindi	2245
2984.	चावल मिलों को राज्यों द्वारा अपने नियंत्रण में लेना	Take-over of Rice Mills by States	2245
2985.	डाक व तार सलाहकार ब्यूरो	P & T Advisory Bureau	2246

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2986.	डाकघर	Post Offices	2246
2987.	टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchahges	2246
2988.	पनाजी पत्तन, गोवा के नाविकों द्वारा हड़ताल	Strike by Bargemen of Panaji Port, Goa	2246-2247
2689.	जूट उद्योग पर केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board on Jute Industry	2247
2990.	बरेली में कलक्टर-वक गंज स्थित टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange at Collector-vak-Ganj in Bareilly	2247-2248
2991.	हीराकुड बीज फार्म	Hirakud Seed Farm	2248
2993.	श्रमिकों में अनुशासन संहिता	Code fo Discipline among Labour	2248
2994.	आस्ट्रेलिया की टिकटों पर प्रतिबन्ध	Ban on Australian Stamps	2249
2995.	मछली सुखाने की विधि	Fish Drying System	2249
2996.	दिल्ली के लिए चीनी का कोटा	Sugar Quota for Delhi	2250
2997.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध उपलब्धि	Milk Procurement by D.M.S.	2250-2251
2998.	टेलीफोन लगाने की माँग	Demand for Telephones	2251
2999.	सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि	Increase in production Public Sector	2251
3000.	विभिन्न विधियों का पुन-विलोकन	Review of various laws	2252
3001.	लघु सिचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes	2252
3002.	उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के डिवीजन	R.M.S. Divisions in Orissa	2252-2253
3003.	नियोजन कार्यालय	Employment Exchanges	2254
3004.	कृषि और उद्योग में सहयोग	Cooperation between Agriculture and Industry	2354
3005.	मैसूर में संकर मक्का का उत्पादन	Production of Hybrid Maize in Mysore	2254-2255
3006.	बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Persons	2255
3008.	उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजनाएं	Deep Sea Fishing Scheme in Orissa	2255-2256
3009.	सिंगापुर की एक कम्पनी का चावल बेचने का प्रस्ताव	Singapore Firm's Offer to Sell Rice	2256
3010.	राज्यों को खाद्यान्न के कोटे का नियतन	Allocation of Foodgrais to States	2256-2257

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3011.	राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई	Food Supplies to States	2257
3012.	पूंजी लगाने से पहले वनों का सर्वेक्षण करना	Pre-investment survey of forest resources	2257-2258
3013.	चुनाव सम्बन्धी पुस्तिका	Handbook on Elections	2258
3014.	दिल्ली में सुपर बाजार से टैरीलीन का गायब हो जाना	Loss of Tarylene from Super Bazar, Delhi	2258
3015.	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाँटा गया अनाज	Food Supply to Flood Effected Areas	2258-2259
3016.	जम्मू में टेलीफोन और ट्रंक काल के बिल	Telephone and Trunk Call Bills in respect of Jammu and Kashmir Circle	2259-2260
3017.	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भारत के रिज़र्व बैंक में प्लाटों के लिए जमा कराये गए रुपए	Deposits by D.P.'s In Reserve Bank for Plots in Delhi	2260
3018.	चावल उत्पादन	Rice Producer	
3019.	पंजाब से खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains out of Punjab	2260-2261
3020.	पंजाब में साधारण निर्वाचनों में सरकारी सेवकों का भाग लेना	Participation of Government Servants in General Elections in Punjab	2261-2262
3021.	दिल्ली में बेरोजगारी	Unemployment in Delhi	2262
3022.	कलकत्ता में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना	Augmenting Milk Production in Calcutta	2262
3023.	दिल्ली का सुपर बाजार	Super Bazars of Delhi	2262-2263
3024.	कीटरोधक उपायों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Anti-Pest Measures	2263-2264
3025.	दिल्ली सहकारी किसान बहुप्रयोजनीय समिति	Delhi Cooperaive Peasants Multipurpose Society	2264
3026.	विलियर स्प्रे मशीनें	Villiers Sprray Machines	2264
3027.	पूर्व बंगाल के शरणार्थी	East Bensal Refugees	2264-2265
3028.	राजस्थान में भाण्डारगार	Warehouses in Rajasthan	2265-2266
3029.	अर्गट रोग के कारण हानि	Loss due to Ergot Disease	2266
3030.	राजस्थान में खाद्य उत्पादन	Food Production in Rajasthan	2266

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	UBJECT	पृष्ठ/PAGE
3031.	संयुक्त राज्य श्रम संगठन से सहायता	Aid from U. S. Labour Organisations	2266-2267
3032.	त्योहारों के अवसर पर डाक संबंधी रियायतें	Postal Concessions During Festivals	2267
3033.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अन्य नगरों में लागू करना	Extension of P.S.I. Scheme to other Cities	2267
3034.	सर्कस कर्मचारियों की कार्य की दशाएं	Working conditions of Circus Employees	2267-2268
3035.	जैक ट्रैक्टरों की लागत	Cost of Czech Tractors	2268
3036.	सुपर बाजार	Super Bazars	2268-2269
3037.	राशन विभाग में पदोन्नति	Promotion in Rationing Departments, Delhi	2269
3038.	उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास खण्ड	Development Blocks in Bihar and U. P.	2269
3039.	भारतीय डेरी अनुसंधान संस्थान	Indian Diary Research Institute	2269-2271
3040.	राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन	Election for Presidentship and Vice-Presidentship	2271
3041.	दुग्ध एकत्र करना	Milk Procurement	2271
3042.	पूर्निया स्थित बहादुरगंज सब पोस्ट आफिस के लिए इमारत	Building for Bahadurganj Sub-Post Office Purnea	2271-2272
3043.	बिहार में किशनगंज के डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for P & T Staff of Kishanganj in Bihar	2272
3044.	गौहाटी में कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) इंजीनियर का निर्माण कार्यालय	Executive Engineers' Construction Office at Gauhati	2272
3045.	पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from Pakistan	2272-2273
3046.	हावड़ा स्टेशन पर माल डिब्बों से मक्का का न उतारना	Unloaded Maize at Howarh	2273

अता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
3047.	चावल गेहूँ की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Procurement	2273-2274
3048.	बिहार राज्य के क्षेत्रों में डाक, तार तथा टेलीफोन की सुविधाएँ	Posts, Telegraphs and Telephone Facilities in Bihar Areas	2274
3049.	आटे में मिलावट	Flour Adulteration	2274
3050.	गन्ना अनुसंधान केन्द्र, चम्पारन	Sugarcane Research Station, Champaran	2274-2275
3051.	टेलीप्रिन्टरों का निर्माण	Manufacture of Teleprinters	2275
3052.	मिट्टी, सिंचाई, सस्य विज्ञान तथा इंजीनियरी के लिए समन्वित योजना	Co-ordinated plan for soils, Irrigation, Agronomy and Engineering	2275-2276
3053.	थोक सहकारी समिति लि० मनीपुर	Wholesale Cooperative Society, Ltd., Manipur	2276
3054.	मनीपुर में टेलीफोन	Telephones in Manipur	2276-2277
3055.	श्रम संबंधी मूल्यांकन और क्रियान्विति समिति	Evaluation and Implementation Committee on Labour	2277
3056.	मनीपुर औद्योगिक संस्था द्वारा खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains by the Manipur Industrialists Association	2277
3057.	सूरतगढ़ प्रक्षेत्र	Suratgarh Farm	2278
3058.	कार्मनिक खाद का उत्पादन	Production of Organic Manure	2278
3059.	बिहार से लोकसभा के लिए चुने गए सदस्य	Members Elected to Lok Sabha for Biahr	2279
3060.	गंतव्य स्थानों पर पत्रों तथा तारों का पहुँचना	Delivery of letters and Telegrphs at Destinations	2279
3061.	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from U.S.S.R.	2280
3062.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	2280-2281
3063.	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों के लिए आवास बस्ती	Housing Colony for Burma Evacuees	2281
3064.	सर्वश्री पी० एस० आर० एण्ड कं० के साथ विवाद	Dispute with M/s P.C. Ray & Co.	2281-2282
3067.	अन्डमान वन विभाग	Andaman Forest Department	2282
3068.	अन्डमान वन विभाग	Andaman Forest Department	2282

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
3069.	अन्डमान द्वीप समूह में सामुदायिक विकास खंड	Community Development Blocks in Andaman Islands	2282
3070.	साऊथ अन्डमान में इमारती लकड़ी का रोपण	Timber Plantation in South Andaman	2283
3071.	सर्वश्री पी० एस० राय एण्ड कं० के साथ विवाद	Dispute with M/s P. C. Ray & Co.	2283
3072.	वनस्पति घी का उत्पादन	Production of Vanaspati Ghee	2283-2284
3073.	सुबरनरेखा नदी में मछली पकड़ना	Fish-catching in Subernarekha River	2284
3075.	ठण्डे गोदामों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistances for cold storages	2285
3076.	किसानों का स्नेज क्लब	Tonnage club of Farmers	2285
3077.	कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था	Communication System on the Kutch Border Area	2286
3078.	श्रम संबंधी कानूनों में संशोधन	Amendment of Labour Laws	2286
3079.	शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम, 1961	Apprentices Act, 1961	2286-2287
3080.	शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आंकड़े	Tribes under the Stations of S.C. & S.T. Apprentices Act, 1961	2287
3081.	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र	Rehabilitation Centres for displaced Persons from East Pakistan	2287-2288
3082.	हरियाना से कलकत्ता को मोटे अनाज का निर्यात	Export of Toarse Grains from Haryana to Calcutta	2288
3083.	बिहार को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Bihar	2288
3084.	दिल्ली राशन व्यवस्था विभाग	Delhi Rationing Department	2289
3085.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों में तार द्वारा मनीआर्डर भेजने की सुविधाएँ	T.M.S. Facilities in Andaman and Nicobar Islands	2289

अता० प्र० संख्या S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3087. निकोबार द्वीप समूह में तारघर	Telegraph Offices in Ni Cobar Group of Islands	2289
3089. फिल्म उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय समिति	Triparite Committee on Film industry	2290
अल्प सूचना प्रश्न–		
8. दिल्ली में ट्रंक टेलीफोन सिस्टम	Trunk Telephohe System in Delhi	2290-2291
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	2991-2992
निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य	Statement Under Direction 115	9292-2293
केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	
देश में खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Food Situation in the Country	2293-2312
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री भत्तु गोंडर	Shri Mithu Gounder	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री शारदानन्द	Shri Sharda Nand	
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkarlal Bohra	
श्री अब्राहम	Shri K. M. Abraham	
श्री अरूमुगम	Shri R. S. Arumugam	
श्री जे० के० चौधरी	Shri J. K. Choudhury	
श्रीमती निर्लेप कौर	Shrimati Nirlep Kaur	
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Sinha	
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	
श्री राम सिंह अयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal	
दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion re : Law and Order Situation in Delhi	2304-2307
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	

अल्प सूचना प्रश्न

S.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Ages
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री शशि भूषण बाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	
श्री स० कुन्दु	Shri S. Kundu	
सभा का कार्य	Business of the House	2307-2311
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री म० ल० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	
श्री रा० स्व० विद्यार्थी	Shri R. S. Vidyarthi	
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1967/14 अग्रहायण, 1889 (शक)

Tuesday, December 5, 1967/ Agrahayana 14, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बर्नपुर स्थित इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी में तालाबन्दी

*451. श्री सत्य नारायण सिंह: श्री अब्राहम:

श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्नपुर स्थित इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी में 4 अक्तूबर, 1967 को तालाबन्दी की घोषणा की गयी थी;

(ख) तालाबन्दी के कारण कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(ग) तालाबन्दी के कारण उत्पादन में कितनी क्षति हुई; और

(घ) तालाबन्दी को रोकने तथा इसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी): (क) से (घ) इस उपक्रम के औद्योगिक सम्बन्ध सरकारी क्षेत्राधिकार में आते हैं। फिर भी, पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

Shri Satya Narain Singh : What was Government doing when the quarrel between the management and workers was going on ? The Government could not prevent the lockout and as a result thousand of workers have been rendered jobless and are on the verge of starvation. Now nearly two months have elaspsed and I would like to know how long will this lockout continue ?

Shri Hathi : I have just now stated that the industrial relations in this undertaking fall in the State sphere. We have sought information and it would be kept on the table of the House when it is received.

श्री अब्राहम : क्या सरकार ने इस तालाबन्दी के सम्बन्ध में प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न इस्पात मंत्रालय का है। हमने लोक-सभा सचिवालय को लिखा कि यह प्रश्न हमारे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने भी इस बात को मान लिया था। किन्तु अन्ततोगत्वा इसे स्वीकार कर लिया गया और हम इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ; माननीय सदस्यों द्वारा भी यह प्रश्न हमारे मंत्रालय से नहीं पूछा गया है।

श्री रा० बरुआ : क्या इस संगठन में एक से अधिक मज़दूर संघ हैं और क्या मजदूर संघो में निरन्तर होड़ चल रही है ? सरकार इस होड़ को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री हाथी: मैं यह नहीं जानता कि इस विशेष कारखाने में एक से अधिक मज़दूर संघ हैं या नहीं किन्तु देश में कुछ उद्योगों में एक से अधिक मज़दूर संघ हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय यह एक बहाना बना रहे हैं कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें मालूम है कि एक मान्यता प्राप्त मज़दूर संघ ने, इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की पड़ोस की एक संस्था में जो मेसर्स मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के प्रबन्धकों के ही अधीन है, और जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस की ही एक यूनियन है, इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को हड़ताल करने के संबंध में इस आशय का नोटिस दिया है कि इण्डियन स्टैण्डर्ड बेगन कम्पनी की यह तालाबन्दी पूर्णतया अनुचित है और यह श्री बीरेन मुकर्जी ने करवाई है ? उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक तालाबन्दी समाप्त नहीं होने देंगे जब तक संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ है और कानून तथा व्यवस्था कायम नहीं हो जाती है। अतः इण्डियन आयल एण्ड स्टील कम्पनी की इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस युनियन को भी हड़ताल करने के लिये इस आशय का नोटिस देने के संबंध में बाध्य किया गया है कि यदि लम्बे समय से जारी तालाबन्दी समाप्त न की गई तो वे इस्पात संयंत्र में हड़ताल कर देंगे। क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है और क्या वे इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हाथी : यह एक महत्वपूर्ण मामला है और श्रम मंत्री के रूप में मुझे इस संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिये। मुझे तथ्यों की जानकारी है किन्तु पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है जब मुझे उसके बारे में और एक ऐसे मामले में कुछ कहना हो जिसमें कि श्रम मंत्री ने सम्बद्ध पक्षों को बुलाया हो और कुछ कदम उठाये हों तो मेरे लिये ऐसी जानकारी देना, जो मुझे अधिकृत रूप में राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है, उपयुक्त नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब यह मामला पूर्णतया राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही है तो इस प्रश्न को स्वीकार ही क्यों किया गया है ? जब यह स्वीकार हो चुका है तो इसका उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री हाथी : मैं भी यही कह रहा हूँ। माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न इस्पात मंत्रालय से पूछा था। यह मुझसे नहीं पूछा गया है।

श्री लोबो प्रभु : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सभी औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में कानून के इस उपबन्ध का पालन क्यों नहीं किया जाता है कि ऐसे विवाद को न्यायनिर्णय के लिये सौंपा जाये ? दूसरी बात यह है कि किसी विवाद को न्यायनिर्णय के लिये सौंप देने से हड़ताल और

तालाबन्दी को भी टाला जा सकता है। क्या सरकार राष्ट्रीय हित की दृष्टि से न्यायनिर्णय संबंधी उपबन्धों का पूर्णतया नहीं तो उदारता के साथ प्रयोग करने के संबंध में राज्यों के श्रम मंत्रियों का ध्यान दिलायेंगे ?

श्री हाथी : वास्तव में मैंने इस संबंध में राज्य सरकारों को लिखा है। विवादों के संबंध में समझौता कराने के बारे में कार्यवाही आरंभ करदी जाती है और जब इस प्रकार का प्रयत्न असफल हो जाता है तो मामले को न्यायनिर्णय के लिये सौंप दिया जाता है। सम्बद्ध पक्षों को बुलाकर हड़ताल टालने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री लोबो प्रभु : सम्बद्ध पक्षों में यदि समझौता नहीं हो सकता है तो उन्हें बता दिया जाना चाहिये कि मामला न्यायनिर्णय के लिये भेजा जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे ?

श्री हाथी : मैंने इस संबंध में राज्य सरकारों को लिखा है कि सम्बद्ध पक्षों को बुलाकर समझौते के लिये कार्य शुरू किया जाना चाहिये और न्यायनिर्णय तंत्र को भी चालू किया जाना चाहिये तथा कार्यान्वयन समिति की भी समय-समय पर बैठकें होनी चाहियें ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न हो।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तरों से यह मालूम होता है कि उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसे वे कुछ कारणों से बताना नहीं चाहते हैं। क्या पश्चिम बंगाल की नई सरकार में पहले कोई श्रम मंत्री नहीं था और केवल तीन मंत्रियों को ही मुख्य मंत्री के साथ मंत्री पद की शपथ दिलायी गई थी ? क्या पश्चिम बंगाल में कोई श्रम मंत्री है और यदि नही, तो क्या राज्यपाल से तालाबन्दी समाप्त करने के लिये कहा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आज जल्दी-जल्दी 10 प्रश्नों को निपटाना चाहता हूँ। प्रत्येक प्रश्न के लिये 6 मिनट देना चाहता हूँ।

Shri Brij Bhushan Lal : The hon. Minster has just now stated that the factory at Burnpur falls entirely under the jurdiction of State Government and the Central Government cannot take action in this regard. But the Central Government does not take action in regard to those factories also wherein the loss due to lock-out is borne by the Central Government. For example, the Central Government has been bearing a loss of Rs. 1,18,000 a day in the form of excise duty on account of the lockout in Wimco Match factory at Bareilly since 24-11-67. It is a Central Government concern. What action is proposed to be taken by the Gvernment in this regard ?

श्री हाथी : मैंने माननीय सदस्य को पहले भी इस संबंध में बताया था कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। किन्तु यदि वह मुझे जानकारी दें तो मैं संबंधित राज्य के श्रम मंत्री को मामले की जाँच करने के लिये लिखूँगा।

डा० रानेन सेन : इण्डियन स्टैण्डर्ड वेगन्स की वर्कशौप को भारत सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में वैगन बनाने के लिये ऑर्डर भेजे थे किन्तु इस कम्पनी ने 3 अक्तूबर से वर्कशौप बन्द कर रखी है इस बीच मजदूर संघों ने केन्द्रीय सरकार तथा श्रम मंत्री को अपनी इन माँगों क बारे में लिखा है कि पिछले वर्ष उन्हें जो बोनस दिया गया था उसमें भी कमी कर दी गई है और बहुत सारे मजदूरों को निकाला जा रहा है। कम्पनी में एक श्रमिक विवाद चल रहा था किन्तु वेगनों की बड़ी माँग होते हुए भी कम्पनी में तालाबन्दी लागू कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

डा० रानेन सेन : क्या भारत सरकार हस्तक्षेप करके तालाबन्दी को समाप्त करायेगी और मजदूरों को नहीं निकालने देगी ?

गन्ने का मूल्य

†*453. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बसवन्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या राज्य सरकारों को एकपक्षीय तौर पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में राज्य सरकारों को सही तरीका समझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी और गन्ने के दाम

†*456. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक आधार पर चीनी और गन्ने के सापेक्ष दाम निर्धारित किये है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार गन्ने के उस न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करती है जो चीनी के कारखानों को भुगतान करना होता है। यह मूल्य गन्ना पैदा करने वाले राज्यों, गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग के प्रतितिधि संगठनों से परामर्श करने के बाद गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों में चीनी के कारखानों द्वारा गन्ने के न्यूनतम औसतन मूल्य के भुगतान, औसत वसूली, मौसम की अवधि लागत की संगत अनुसूचियों तथा विभिन्न प्रदेशों में चीनी के कारखानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कारखानों के लेखों के जाँच के बाद चीनी जाँच आयोग द्वारा बताये गये लागत खर्च के आधार पर ही चीनी के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : I would like to know whether Government are aware that sugarcane is nowhere available at less than Rs. 16 per quintal and under such circumstances the rate of Rs. 8.37 per quintal is not reasonable and it is against the interests of farmers and sugarcane growers. Whether Government propose to ensure that the rate of Sugarcane is fixed at Rs. 16 per quintal ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : भारत सरकार ने 7 रु० 37 पैसे न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है, किन्तु कारखानों को उत्पादकों से गन्ना इस मूल्य पर नहीं खरीदना होता है। यह नियंत्रित चीनी के मूल्य को निर्धारित करने के लिये एक राष्ट्रीय मूल्य है। वास्तव में आंशिक विनियंत्रण की नीति इसलिये अपनायी गई है कि ताकि लाभ का एक बड़ा भाग गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों को भी दिया जा सके। इसीलिये न्यूनतम मूल्य 7 रु० 37 पैसे होने के बावजूद भी विभिन्न राज्यों में कारखानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला गन्ने का मूल्य 9 रु० से 16 रु० प्रति क्विंटल तक है।

Shri Yashpal Singh : I would like to know whether the cane growers would also be given some portion of the gains which are likely to accrue from the soaring trend in prices on account of the present policy of the Government and in view of partial decontrol of sugar ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सम्पूर्ण नीति किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान सूखे की स्थिति के कारण गन्ना-उत्पादन का क्षेत्र बहुत कम रह गया है। प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार यह क्षेत्र जो 1965–66 में 67 लाख एकड़ था अब इस वर्ष केवल 46 लाख एकड़ ही रह गया है। इस प्रकार लगभग 20 लाख एकड़ क्षेत्र कम हो गया है। सूखे की स्थिति के अलावा इस संबंध में ऐसी फसलों का भी प्रभाव पड़ा है जिनसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ हो सकता था। गन्ना उगाने वाले किसानों से वे किसान अधिक फायदे में रहे जिन्होंने अधिक उपज देने वाली फसलों को उगाया। स्थिति सुधारने का एक मात्र तरीका यही है कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने का प्रोत्साहन-मूल्य दिया जाये। इसीलिये बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना पैदा करने वाले किसानों को गन्ने का मूल्य 12 रु० से 16 रु० तक प्रति क्विंटल दिया जा रहा है।

Diversion of Sugarcane to Gur and Khandsari

477. **Shri O. P. Tyagi :** **Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that farmers are not supplying sugarcane to the Sugar Mills even at the enhanced price as fixed by Government for 1967-68 season and they are either manufacturing gur from the sugarcane or supplying it to Khandsari industry at higher price and consequently many mills have been closed or are closing ; and

(b) if so, the steps taken by Government to prevent sugar famine in the country ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government are aware of the fact that the farmers get more profit in Khandsari and gur instead of supplying sugarcane to the mill and therefore they have stopped supplying sugarcane to mills and started manufacturing Gur and Khandsari ? May I know whether as a result of it there is likely be scarcity of sugar or not? If so, the steps taken by Government to check the same ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि चीनी की बजाय गुड़ और खांडसारी बनाये जाने के कारण चीनी मिलों को गन्ना मिलने में काफी कठिनाई हो रही है।

श्री रंगा : देश को अथवा किसानों को।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: खांडसारी और गुड़ बनाने वाले अधिकांश व्यक्ति किसान होते है और चूंकि खांडसारी और गुड़ के मूल्य अधिक हैं इसलिये ज्यादातर गन्ने का गुड़ और खांडसारी बनायी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि चीनी मिलों को गन्ना नहीं मिलता जिसके कारण पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन कम हो गया था। हमें आशंका है कि इस वर्ष भी खांडसारी और गुड़ से मुकाबला चलता रहेगा। चीनी से कुछ हद तक नियंत्रण हटाये जाने के कारण हमें आशा है कि चीनी मिलों को अधिक गन्ना मिलेगा। गुड़ का हाल में कुछ मूल्य भी गिर गया है। इस समय देश के विभिन्न बाजारों में वह 125 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। गन्ना जो 15 अथवा 16 रुपये क्विंटल बिकता है उसकी तुलना में ये मूल्य उचित ही है। इस नीति को अपनाने से शायद चीनी का उत्पादन बढ़े जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी: पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गन्ना 15 या 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। मुझे गोलागोकरनाथ से जहां खेड़ी जिले में चीनी मिलें हैं, एक तार आया है जिसमें कहा गया है:

"उत्तर प्रदेश में खेड़ी जिले के गोला और पतिया क्षेत्र के लगभग एक लाख गन्ना उत्पादकों ने 20 नवम्बर से हिन्दुस्तान शुगर मिल्स को गन्ना देना बन्द कर दिया है। वे 15 रुपये क्विंटल गन्ना बेचने की माँग करते हैं।"

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि बहुत से कारखानों में गन्ना 15 रुपये क्विंटल पर नहीं खरीदा जाता है बल्कि उससे बहुत कम मूल्य दिया जाता है ? यदि यह बात सही है तो क्या उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों को, चाहे वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हों या पूर्वी उत्तर प्रदेश की, ये हिदायतें देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि वे गन्ना उत्पादकों को 15 रुपये प्रति क्विंटल से कम दाम न दें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं भिन्न भिन्न मिलों के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता हूँ। देश में 202 ऐसी मिलें हैं। मैं अपने पहले उत्तर में यह कह चुका हूँ कि इस समय बाजार भाव 12 और 16 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। मैं भारत सरकार की ओर से इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि हम यह चाहते है कि मिलों को किसानों को लाभप्रद और प्रोत्साहनजनक मूल्य देना चाहिये। जैसा मैंने कहा है निम्नतम मूल्य 7.37 रुपये है। बाजार भाव 12 से 16 रुपये प्रति क्विंटल है। हम चाहते हैं कि मिलें स्वतंत्र रूप से चीनी बेचकर सारी अतिरिक्त आय अपने पास ही न रख लें तथा इसका अधिकांश भाग गन्ना उत्पादकों को मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का यह दृष्टिकोण है।

श्री पे० वेंकट्टा सुब्बया : क्या यह सच है कि सरकार चीनी और गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में समान नीति नहीं अपना रही है जिसके परिणामस्वरूप जो किसान अधिक गन्ना पैदा करते हैं उनको नुकसान रहता है और दूसरे खांडसारी और गुड़ बनाने वाली मिलों और चीनी मिलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है जिसके कारण सरकार द्वारा ऐसे पर्याप्त उपाय किये जाने के बावजूद भी कि गुड़ और खांडसारी मिलें सरकार द्वारा उनको दी जाने वाली रियायतों का दुरुपयोग न करें। देश में चीनी की कमी हो गई है; यदि हाँ, तो मैं इस संदर्भ में मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार समान नीति अपनाने वाली है ताकि ये सब खामियाँ दूर हो सकें और किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिया जाये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक उनके प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि गन्ने के मूल्य के बारे में वैज्ञानिक नीति अपनाई गई है। 2.75 रुपये प्रति मन का मूल्य 9.4 प्रतिशत की वसूली से सम्बन्धित है तथा प्रत्येक अतिरिक्त .1 प्रति शत वसूली के लिये मूल्य 1½ पैसे बढ़ाया जायेगा। इसलिये ऐसे गन्ना उत्पादकों को, जो अधिक मीठा गन्ना उगाते हैं, उन्हें अधिक मूल्य मिलता है।

जहाँ तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गुड़ और खांडसारी निर्माताओं की ओर से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। लाखों किसान गुड़ बनाते हैं तथा सरकार इस समय गुड़ पर नियंत्रण लगाना उचित नहीं समझती।

श्री रंगा : सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वह मिल मालिकों को यह परामर्श देने का प्रयत्न कर रही है कि वे किसानों को यथासम्भव अधिक दाम दें। साथ ही साथ यह बात भी है कि उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वह उचित मूल्य दिये जाने के लिये उन्हें आग्रह कर सके। क्या किसान राष्ट्रीय हित को ठेस पहुँचाते हैं जब वे खांडसारी गुड़ और चीनी के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जबकि महाराष्ट्र में उत्पादकों को निजामसागर कार-

खाने द्वारा, जो महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सरकारी कारखाना है, दिये जाने वाले मूल्य से 30 से 40 रुपये अधिक मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को उतना मूल्य भी नहीं दिला सकी जितना कि महाराष्ट्र के किसानों को मिलता है जिसके परिणामस्वरूप एक और सरकारी मिल बन्द हो रही है क्योंकि उसे गन्ना नहीं मिल रहा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक काश्तकार समुदायों की समस्याओं का सम्बन्ध है माननीय सदस्य का ज्ञान बहुत अधिक है। किसानों को इस समय जो मूल्य मिल रहा है वह गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में दुगुना है और कुछ क्षेत्रों में दुगुने से भी ज्यादा है। पिछले वर्ष प्रति मन गन्ने का मूसल्य 2.12 रुपये था। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा मूल्य है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अधिक गन्ना बोये जाने की सम्भवना है। यह एक अच्छी निशानी है क्योंकि इससे गन्ना मिलने सम्बन्धी समस्या हल हो जायेगी।

जहां तक महाराष्ट्र के किसानों और आंध्र प्रदेश के किसानों को मिलने वाले मूल्य में अन्तर होने का सम्बन्ध है मैं पहले कह चुका हूँ कि गन्ने का मूल्य वसूली से जोड़ दिया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त बिन्दु के लिये मूल्य में दो पैसे की वृद्धि होगी न कि 1½ पैसे जैसा कि मैंने पहले कहा था। आन्ध्र की तुलना में महाराष्ट्र में गन्ना अधिक मीठा होता है यही कारण है कि महाराष्ट्र में किसानों को अधिक मूल्य मिलता है। निस्सन्देह बहुत से अन्य क्षेत्रों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश का गन्ना अधिक मीठा होता है।

Shri K. N. Tiwary : The Government has formed a new policy regarding sugar. In that connection I would like to know whether our sugar production is increasing and what will be the estimated sugar production next year ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं सही-सही नहीं बता सकता कि अगले वर्ष चीनी का कितना उत्पादन होगा तथा कितने एकड़ भूमि पर गन्ना बोया जायेगा। परन्तु ऐसे संकेत मिल रहे है कि गन्ना बड़े पैमाने पर बोया जा रहा है। इससे आगामी आठ से दस महीनों में गन्ना मिलने की स्थिति सुधर जायेगी।

Shri A. B. Vajpayee : Since Government has lifted control from sugar the market price of sugar has gone upto Rupees six and many a sugar mills have been closed on account of non-availability of sugarcane because mill-owners are not paying resonable price of sugarcane to growers. Does it mean that the present policy of Government is neither useful for consumers nor for producers. May I khow the difficulties Government has to face in issuing instructions to mill-owners to pay at least Rs. 15 per quintal of sugarcane otherwise how the profit earned by mill-owners by selling sugar in open market will be shared by the sugarcane producers. ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक गन्ने के मूल्य की नीति का सम्बन्ध है मैं काफी विस्तार से बता चुका हूँ कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्न पर आना चाहता हूँ और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वह धैर्य से इसकी प्रशंसा करें। चीनी का नियंत्रित मूल्य 144 रुपये और 170 रुपये प्रति क्विंटल होने की सम्भावना है। यदि हम गन्ने के 12, 15 या 16 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य के आधार पर चीनी के मूल्य को गिनें तो मूल्य प्रति क्विंटल 250 रुपये या 260 रुपये तक बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि लागत मूल्य 250 रुपये है जबकि प्रचलित नियंत्रित मूल्य 100 रुपये कम है। इससे निस्सन्देह खुला बाजार भाव अधिक होने की सम्भावना है तथा वह नियंत्रित मूल्य से बहुत अधिक होगा।

Shri Madhu Limaye : What can be more than this ? How much profit is being earned by mill-owners by selling it at 40 percent in the open market ? That should be answered.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : जब कि चीनी सम्बन्धी नीति वैज्ञानिक है लोगों के मन में फिर भी शंका है। चीनी उत्पादकों को उचित लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जिसके कारण चीनी मिलो को कम गन्ना मिल रहा है। केवल यही नहीं, एक ओर खांडसारी और गुड़ उत्पादकों के बीच और दूसरी ओर चीनी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा इतना अधिक है कि चीनी मिलों के लिये गन्ना प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से नियंत्रण हटने के पश्चात् बहुत अधिक मूल्य पर बिक रही चीनी से भी उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही हैं। क्या माननीय मंत्री उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिये वैज्ञानिक आधार पर कोई योजना बनाने को तैयार है ? उसे करना ही होगा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे उठे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझाता हूँ कि यह केवल उचित सुझाव दिया गया है।

श्री कृष्णमूर्ति : चीनी उद्योग में तीन पार्टियाँ है—किसान, मिल-मालिक तथा उपभोक्ता। जब नवम्बर में चीनी का उत्पादन आरम्भ हुआ था यदि सरकार नियंत्रण को उदार बनाना चाहती थी या आंशिक रूप में नियंत्रण हटाना चाहती थी तो उसे ऐसा आगामी वर्ष पर के लिये करना चाहिये था। इस वर्ष के लिये आंशिक रूप से नियंत्रण करके उन्होंने बहुत गलती की है क्योंकि गन्ना एक या दो दिन में पैदा नहीं हो जाता है। बल्कि उनपर मिल मालिकों की ओर से दबाव डाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : भाषण न दिया जाये, केवल प्रश्न ही पूछे जाये। अब खाद्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद होगा।

श्री कृष्णमूर्ति : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूँ कि जिस चीनी का मूल्य नियंत्रण हटाये जाने से पहले काले बाजार में पहले 3 रुपये किलो था वह अब 6 रुपये किलो इसलिये हो गया है क्योंकि चीनी मिल-मालिकों द्वारा मंत्री महोदय पर दबाव डाला गया कि चीनी का मूल्य बढ़ाया जाये जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य गलत धारणा के कारण अनावश्यक परिश्रम कर रहे हैं।

श्री कृष्ण मूर्ति : आप ने कई बार सभा को गुमराह किया है। चीनी की नीति में कई परिवर्तन हुए हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस बारे में माननीय सदस्य के विभिन्न विचार हो सकते हैं ; यह एक और बात है। परन्तु उन्हें इस मामले के बारे में कम उत्तेजित होना चाहिये। भारत सरकार ने किसी दबाव में आकर यह निर्णय नहीं किया है। वास्तविकता तो यह है कि चीनी की स्थिति इतनी कठिन थी कि यदि हमने यह निर्णय न किया होता तो देश में चीनी बिल्कुल न मिलती। चीनी की कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिये आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने की नीति अपनाई गई थी।

श्री कृष्ण मूर्ति : आप पूरी तरह से नियंत्रण हटायें।

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में हस्तक्षेप न करें। यह प्रश्न काल है। विवाद-विवाद में यदि जिरह की जाये तो ठीक हो सकता है परन्तु प्रश्न काल में यह ठीक नहीं हैं। खाद्य पर वाद-विवाद होने वाला है और आप सारा समय चीनी के बारे में बोल सकते हैं। मुझे उसपर कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु प्रश्न काल में हम चीनी के सम्बन्ध में एक घंटा नहीं दे सकते।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह बता रहा था कि पिछले दो वर्षों में चीनी का उत्पादन धीरे-धीरे घटता रहा है। उत्पादन 35 लाख टन से घटकर 21 लाख टन रह गया है, यह अनुमान उन लोगों का है जो इस बारे में जानकारी रखते हैं। मुझे केवल एक बात और कहनी है। ऐसा अनुमान है कि उत्पादन इस वर्ष घटकर 15–17 लाख टन तक आ सकता है। यह एक बड़ी गंभीर स्थिति है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये यह नई नीति अपनाई गई है। इस मामले में इस समय निर्णय लेना आवश्यक था।

Shri Rabi Ray : The sugar policy of the Government is neither beneficial for the consumer and nor for the producer. According to this policy, 40 percent sugar will be sold in the open market. I want to know what profits the mill-owners and the dealers will make on the basis of the 40 percent free sugar?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं समझता हूँ कि कुछ माननीय सदस्य चीनी उद्योग के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। 40 प्रतिशत मुक्त चीनी के आधार पर कारखानों को कितना लाभ होगा मुख्यत: इस बात पर निर्भर करेगा कि वे गन्ने की कीमत कितनी देते हैं और 60 प्रतिशत चीनी पर, जिसकी कीमत 2.75 रुपये प्रति मन के आधार पर लगाई गई है, उन्हें कितना घाटा होता है जिसे 40 प्रतिशत मुक्त चीनी से पूरा करना जरूरी है। इसलिये, ऐसी स्थिति में, उन्हें कितना लाभ होगा, यह कहना इस समय बहुत कठिन है, जब तक इस बात का पता न लग जाये कि उन्होंने गन्ना किस भाव खरीदा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, गन्ने की कीमत इस समय देश में 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक है, 4 रुपये से कम कीमत पर वह कहीं नहीं मिल रहा है। केवल महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जहाँ गन्ना उत्पादकों तथा कारखानों के बीच यह करार हुआ है कि इस समय वे 2.75 रुपये के निम्नतम मूल्य पर गन्ने की सप्लाई करेंगे और कारखानों को मुक्त चीनी पर जो लाभ होगा, उसमें उनका हिस्सा होगा। मिलों को कितना लाभ होगा, यह बात उत्पादन पर भी निर्भर करती है। यदि उत्पादन हमारे अनमान के मुताबिक हुआ.....

Shri Madhu Limaye : What is your expectation, in regard to production ?

श्री जगजीवन राम : मेरा अनुमान है कि उत्पादन पिछले वर्ष के बराबर ही होगा, लेकिन इस समय कुछ क्षेत्रों में जो होड़ चल रही है, उसे देखते हुए यह कहना कठिन है कि उत्पादन उतना होगा या नहीं।

Shri Madhu Limaye : Generally the position is assessed when a policy is laid down.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूँ मंत्री महोदय कम से कम वाद-विवाद के समय इसका पूरा ब्यौरा दे ताकि इस सम्बन्ध में सदस्यों को जानकारी प्राप्त हो सकें।

Shri Buta Singh : The price of sugarcane varies from State to State. There is considerable disparity in the price of the sugarcane in U. P. and Punjab, the details of which were given by the Panjab farmers to Shri Anna Sahib Shinde when he visited Panjab recently. I want to know from the hon. Minister as to when he is going to fix the price of the sugarcane in order to remove the disparity of prices which would give icentive to the cane growers. The hon. Minister had also assured that he would ascertain the position from the Panjab Govt. in the matter so I would also like to know whether he has carried out his assurance ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सभा को मैं इस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पंजाब के किसानों को लगभग 4 रुपये प्रतिमन के हिसाब से कीमत मिल रही है, यदि किसान इससे थोड़ी अधिक कीमत चाहते हैं, तो सरकार उनका सदैव समर्थन ही करेगी। जहाँ

तक मूल्यों का सम्बन्ध है, सारे देश में मूल्यों में समानता लाना संभव नहीं है, क्योंकि स्थान-स्थान पर स्थिति अलग-अलग है । कुछ स्थानों में, ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और कुछ स्थानों में कुछ, इसलिये जहाँ ज्यादा होड़ है वहाँ स्वभावतः कीमत ज्यादा होगी और जहाँ होड़ कम है, वहाँ कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है।

श्री वासुदेवन नायर : गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य देने के प्रश्न के अलावा गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों ने काफी राशि देनी बाकी है, जो पिछले कई वर्षों से है। हमारे राज्य में केवल तीन मिले हैं। दो तो बन्द पड़ी हैं और तीसरा बन्द होने ही वाला है। एक विशेष मिल में, किसान लोग सरकार से इस बारे में शिकायत कर रहे थे, और जब मैंने भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री चि० सुब्रह्मण्यम से इस बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी नही कर सकता। सरकार मिल मालिकों से गन्ना उत्पादकों का पुराना हिसाब पहले चुकता करवाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इस मामले में हमारा रवैया बहुत साफ है। हम कहते आये हैं कि इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये राज्य सरकार भू-राजस्व संहिता के उपबन्धों का प्रयोग करें और समय-समय पर हम उनसे कारखाना मालिकों से गन्ने की कीमतों की देय बकाया राशियों को वसूल करने के लिये, यदि आवश्यकता पड़े तो, बाध्यकारी उपाय अपनाने का अनुरोध करते रहे हैं। मेरी दिली इच्छा है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में हमें आवश्यक सहयोग दे और इन बकाया राशियों को वसूल करें।

जहाँ तक वास्तविक स्थिति का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष 1,23,46,00,000 रुपये मूल्य का गन्ना खरीदा गया था और उसमें से 1,22,00,000रुपये देने अभी बाकी है और इसकी आधी राशि महाराष्ट्र से वसूल की जानी है। तथापि महाराष्ट्र द्वारा देय बकाया राशियाँ अधिकतर सहकारी संस्थाओं की ओर हैं और उनका एक पारस्परिक सम्बन्ध है क्योंकि महाराष्ट्र में इन सहकारी संस्थाओं को जो कुछ भी लाभ होता है, वे उसे गन्ना उत्पादकों को दे देती हैं। लेकिन जो कुछ भी देय राशियाँ बाकी हैं, मैं राज्य सरकारों से केवल यह अनुरोध करूँगा कि वे उसे आवश्यक कदम उठा कर वसूल करें और उसे गन्ना उत्पादकों को दे दें।

श्री चेंगलराया नायडू : खांडसारी कारखाने प्रतिटन गन्ने का मूल्य 170 रुपये से लेकर 180 रुपये तक दे रहे हैं, जब कि वे घटिया किस्म की चीनी तैयार करते हैं और उन्हें लाभ ज्यादा होता है। सहकारी चीनी कारखाने तथा अन्य कारखाने इतनी कीमत नही दे सकते क्योंकि खांडसारी कारखानों द्वारा तैयार किये जानेवाले शीरे पर नियंत्रण नहीं है और वे सिरके को 400 रुपये से लेकर 500 रु० टन तक बेच रहे हैं, जब कि केन्द्रीय सरकार ने चीनी के कारखानों में शीरे पर नियंत्रण लगा रहा है और 6.18 रुपये दर पर बेचा जा रहा है। क्या सरकार चीनी कारखानों में तैयार किये जाने वाले सिरके पर से नियंत्रण हटायेगी और गन्ने के मूल्य बढ़ायेगी ? दूसरी बात यह है कि राज्यों में चीनी कारखानों, सहकारी चीनी कारखानों तथा अन्य सरकारीचीनी कारखानों के प्रबन्धक निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, और सरकार इन प्रबन्धक निदेशकों पर गन्ने की कीमत न बढ़ाने के लिये प्रतिबन्ध लगा रही है। क्या भारत सरकार उन्हें यह सलाह देगी कि वे कीमत तय करने के मामले में हस्तक्षेप न करें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यह सच है कि सिरके की नियंत्रित मूल्य तथा खुले बाजार कीमत में काफी फर्क है लेकिन मैं समझता

हूँ कि इस प्रश्न पर विचार करना पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का काम है और न कि मेरे मंत्रालय का।

श्री स० कुन्दू : गन्ने का मूल्य नियमित करने के लिये सेन जाँच आयोग नियुक्त किया गया था। सेन आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आन्ध्र उड़ीसा तथा केरल का एक जोन बनाया जाना चाहिये जहाँ गन्ने के मूल्य समान रूप से निर्धारित किये जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने सिफारिश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और तीनों राज्यों में गन्ने की तीन अलग-अलग कीमतें निर्धारित की हैं। जहाँ तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, कीमत 49 रुपये तक चली गई है, आन्ध्र में 61 रु० और केरल में 170 रुपये अथवा उससे भी अधिक और सरकार ने ऐसी कीमतें क्यों निर्धारित की हैं। उसने सेन आयोग के प्रतिवेदन को अनुसरण क्यों नहीं किया ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की जानकारी (**अन्तर्बाधाएँ**)

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल को केवल एक अवसर दे रहा हूँ। अनेक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप चिल्लाएँ।

Shri Maharaj Singh Bharati : How does the question of Party arises here? You are not giving chance to those members who are counected with the sugarcane. We tried to raise this question through so many methods but you were not pleased to allow any of them. You disallowed our Adjournment motion, Call Attention Notices and Short Notice Question ; and now you do not allow us to even ask a supplementary. Is there no method other than the one to resort to revolution for putting a supplementary ? (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही 40 मिनट व्यय कर दिये गये हैं परन्तु अब भी 20 माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं यह ठीक नहीं है। केवल 15 मिनट शेष बचे हैं, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह समय भी इस प्रश्न पर ही लगा दिया जाये तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि भारत सरकार ने 5 खण्डों के आधार पर मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में सेन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस मौसम में पैदा की जाने वाली चीनी का मूल्य इन सिफारिशों के आधार पर निश्चित किये जायेंगे।

श्री स० कुण्दू : सेन आयोग ने कहा है कि उड़ीसा, केरल और आँध्र के खण्ड में समान मल्य होना चाहिये। यदि आप इसको क्रियान्वित नहीं करते तो इसको स्वीकार करने का क्या अर्थ है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम इसको क्रियान्वित कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Are Government aware that the cane growers in areas having paucity of crushers such as Eastern U. P. and Bihar are getting much lower price for their cane than that prevailig in other areas, if so, do Government propose to lay a policy for the establishment of more crushers in those areas and more especially in U. P., Bihar Haryana and Punjab ?

Shri Jagjiwan Ram : As I already stated the minimum price of sugarcane has been fixed at Rs. 2.75 and this has been done with the object that sugarcane may fetch higher price to the grower due to the competition between **gur** and sugar. At present sugarcane is not fetching less than Rs. 4 anywhere. In the beginning the price of sugarcane in U. P.

was fixed at Rs. 3.50, and I had pointed out that it should not be allowed to fall below Rs. 4.00. The ruling price of sugarcane is Rs. 4.00.

Shri Randhir Singh : The price of fuelwood is Rs. 8.00 per maund while that of sugarcane is Rs. 2.75 per maund. The cultivator is not getting due return for his investment with the result that he has to resort to other crops resulting in the diminishing total production of sugar. Will Government bring the price of sugarcane atleast to the level of the price of the fuelwood?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : नई नीति के अपनाये जाने से मैं समझता हूँ कि गन्ना उत्पादकों के हितों की समुचित सुरक्षा होगी और अगले साल गन्ने की भूमि में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

श्री क० लकप्पा : दक्षिण के कई राज्यों में गन्ने की कमी के कारण चीनी मिलों के बन्द होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। गन्ना उत्पादकों की शिकायत है कि गन्ने के मूल्यों के सम्बन्ध में इस सरकार की समान नीति को विभिन्न राज्य सरकारों को नहीं बताया गया है। लोगों से भी मुझे समाचार मिले हैं कि वे बड़े व्यापारियों के हाथों में हैं जो कि मोटा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। क्या सरकार सारे देश के लिये एक समान चीनी नीति अपनायेगी ताकि लोगों को चीनी मिल सके और चीनी मिलें भी बन्द न हों ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : दक्षिण भारत की अधिकांश चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का इस बात के कहने से क्या अर्थ है जब वह कहते हैं कि एक समान चीनी नीति होनी चाहिये। हमने एक नीति अपनाई है जिसके अनेक पहलू हैं। जहाँ तक चीनी के मूल्य का सम्बन्ध है, पूरे नियन्त्रण के समय में भी मूल्यों में कुछ अन्तर था क्योंकि मूल्य का सम्बन्ध वसूली की प्रतिशतता से है और वसूली की प्रतिशतता एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है।

Shri Prem Chand Verma : The sugar factories had purchased the sugarcane at the price of Rs. 3.00 per maund on the condition that they would sell sugar at Rs. 1.50 per kilo. But they did not stick to that and they have made fabulous profits by selling sugar at Rs. Rs. 5—6 per Kilo. This is all black money Had Government contemplated any measures while framing this policy which would enable. the Government and the growers to have their share in the excess profits :

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : नीति सम्बन्धी सारी बातों पर हमें विचार करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य जैसा कि मैंने कई बार बताया, यह है कि चीनी से होने वाले मुनाफे का अधिक भाग उत्पादकों को मिले।

Shri Ramavtar Shastri : In view of the fact that there are widespread agitations throughout the country on the question of sugarcane price and that the U. P. and Bihar Assemblies have unanimously recommended to the Central Government to fix the minimum price of sugar at Rs. 4.00, what prevents the Central Government from accepting their suggestion? The hon. Minister just now stated that although the price of sugarcane has been fixed at Rs. 2.75, yet it is selling at Rs. 4.00. In view of this what is the idea in fixing the price and why do the Government not modify its previous decision and fix the price at Rs. 4.00?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : किसी भी राज्य सरकार ने कभी भी 3.50 रु० प्रति मन से अधिक की सिफारिश नहीं की थी। सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप गन्ना उत्पादकों को अब राज्य सरकार द्वारा माँगे गये मूल्य से काफी ऊँचा मूल्य मिल रहा है।

Shri Ram Autar Shastri : My question is what is the difficulty in fixing that price.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 80 रु० प्रति टन के मूल्य की सिफारिश की है । हरियाणा सरकार ने 8.04 रु० प्रति क्विंटल की सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने 8.4 प्रतिशत की वसूली के आधार पर 3.00 रु० प्रति मन की सिफारिश की है। पंजाब सरकार ने 7 रु० प्रति क्विंटल की सिफारिश की है । उत्तर प्रदेश सरकार ने 3.25 रु० प्रति क्विंटल की सिफारिश की है । पश्चिमी बंगाल ने जहाँ पर कि केवल एक ही कारखाना है मोटे तौर पर बताया है कि इसे किस तरह निश्चित किया जाये। मैसूर सरकार ने 3 रु० प्रति मन के मूल्य की सिफारिश की है। परन्तु जैसा कि मैंने बताया हमारी नीति के परिणाम स्वरूप किसान काफी ऊँचे मूल्य प्राप्त कर रहे हैं और हम इस स्थिति से खुश हैं।

Shri Sita Ram Kesri : Have Government tried to ascertain the area of cultivable land in our country on which sugarcane should be planted with a view to strike an equilibrium between the demand and the supply ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक इस देश में गन्ने की माँग का सम्बन्ध है, योजना आयोग और हमारे मंत्रालय ने कुछ प्राक्कलन तैयार किये हैं । हम समझते हैं कि यदि 65 से 70 लाख एकड़ भूमि में गन्ना उगाया जाये तो उससे हमारी चीनी की आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिये ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The sugarcane price varies from Rs. 3.50 to Rs. 15 in the country. The growers having the capacity to produce **gur** and resort to strike are able to get higher prices for their sugarcane while those not having this capacity are being very poorly paid. Is it the sugar policy of the Government or policy-less policy?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: गन्ने के मूल्य सम्बन्धी असमता के बारे में मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि 1965 तक गन्ने की पैदावार बहुत सी अन्य फसलों के मुकाबिले अधिक थी । परन्तु 1965–66 के बाद वर्षा की दृष्टि से काफी कठिन समय रहा है । देश के अनेक भागों में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा नहीं हुई । वर्षा के न होने के कारण पैदावार काफी कम हुई है न कि सरकार की नीति के कारण ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या यह सच है कि अनेक स्थानों पर गन्ने के मूल्य बहुत ऊँचे और अलाभप्रद होने के कारण विभिन्न स्थानों पर चीनी मिलें गन्ना नहीं खरीद सक रही हैं और उन्होंने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है । कितने कारखानों ने अभी काम करना आरम्भ नहीं किया है और उनमें से सरकार के नियंत्रण में हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: 202 कारखानों में से लगभग 148 कारखानों ने काम करना शुरू कर दिया है । मेरे विचार से इनकी संख्या 150 अथवा 152 होगी । पिछले वर्ष की तुलना से इस वर्ष चार और कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : सरकारी नियंत्रणाधीन कितने कारखानों ने काम करना शुरू नहीं किया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, the policy of partial control adopted by Government has failed. As stated by the hon. Minister about profit to farmer and the consumer, instead the industrialists have been earning a profit of 50 crores. Is Government aware that the sugar factories near Delhi are selling sugar at the rate of Rs. 5.25 per quintal in open market while they issue cash memos of Rs. 4.25 per quintal? What action Governmet is taking to check it and would Government review its policy?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरा विचार है कि यदि कारखाने जाली हिसाब रख रहे हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप क्या कारवाई करेंगे। मैंने यह पूछा था। श्री मान जी, मंत्री जी इस बारे में चुप है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहाँ तक चीनी के अभाव विक्रय का सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं है। अत: मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन परिस्थितियाँ में ये मिल जाली हिसाब किताब क्यों रखेंगे। परन्तु मैंने माननीय सदस्य को सूचना के लिये कहा है कि यदि कारखाने जाली हिसाब-किताब रख रहे होंगे, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: अब 12 बजकर 1 मिनट हो गया है। प्रश्न काल समाप्त हो गया है। अल्प सूचना प्रश्न श्री राजशेखरन। वह अनुपस्थित हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान जी, चीनी का वास्तविक उत्पादन कितना है?

अध्यक्ष महोदय : चीनी का वास्तविक उत्पादन इस समय ठीक नहीं है। चीनी पर हमने लगभग 50 मिनट खो दिये है। खाद्य पर चर्चा चल रही है और आप उसके दौरान चीनी पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। परन्तु 45 मिनट के बाद भी, मैं सब सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सका हूँ। अभी भी कुछ सदस्य बाकी हैं जो बोलना चाहते है। यदि मंत्री जी ने संतोषप्रद उत्तर नहीं दिये है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो जानकारी प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं। परन्तु आज केवल कुछ प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका है तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं। फिर भी श्री शास्त्री तथा अन्य सदस्य कह सकते हैं। मैं दल के नेताओं से यह जानना चाहता हूँ कि अध्यक्षपीठ इसमें क्या कर सकता है। यदि कल भी ऐसा ही हुआ तो मैं पूरे प्रश्न काल में केवल एक प्रश्न की ही अनुमति दूँगा।

श्री बलराज मधोक : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ सदस्य तो "ना" कह रहे है। मेरे विचार से एक प्रश्न के लिये 5 मिनट का समय पर्याप्त होगा। यदि 50 सदस्य खड़े होकर किसी प्रश्न को पूछते हैं, तो बहुत कठिन हो जायेगा। मेरी दल के नेताओं से प्रार्थना है कि वे बाद में मेरी सहायता करें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: आपको इंकार करने की भी शक्ति है। दल के नेता क्या कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं विवश हूँ।

श्री हेम बरुआ : किसी भी अध्यक्ष को इतनी शक्ति अभी तक नहीं मिली है जितनी कि आपको है। आपको स्वेविकीय शक्ति है। आपको संसद ने सभी शक्तियाँ दी हुई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*452. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के धान उगाने के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु किसानों को खेती में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएँ तथा ऋण देने के लिए आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक योजनाएँ आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं की क्रियान्विति से क्या अनुभव प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने 1966 की खरीफ ऋतु में मद्रास तथा आंध्र प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के धान उगाने के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु एक प्रायोगिक योजना कार्यान्वित की थी।

(ख) और (ग) 1967 की रबी ऋतु में भी धान तथा जुवार के लिये मैसूर में भी निगम ने इसी प्रकार की योजना को हाथ में लिया था। खाद्य निगम के अनुभव से पता चला है कि जिस मुख्य उद्देश्य से इस योजना को कार्यान्वित किया था अर्थात् खाद्यान्न ठेके पर किये मात्रा में मिल जायेगा वह पूरा नहीं हुआ। इस कारण निगम इस समय कोई ऐसी योजना हाथ में लेना नहीं चाहता।

दिल्ली टेलीफोन जिला शाखा के पदाधिकारियों की हड़ताल

*454. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री रमानी :**

श्री यशपाल सिंह : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपार करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय प्रशासनिक कार्यालय (डाक व तार) कर्मचारी संघ की दिल्ली टेलीफोन जिला शाखा के पदाधिकारियों ने 8 ननवम्बर 1967 से भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगे क्या थीं; और

(ग) सरकार ने इस झगड़े को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिला शाखा में कार्यकुशलता लाने, विशेषकर टेलीफोन के बिल तैयार करने के हेतु कार्य का पुनर्गठन आरंभ कर दिया है। संघ चाहता था कि इसे कायान्वित करने से पूर्व प्रशासन को उनसे प्रक्रिया के बारे में बात चीत करनी चाहिये थी तथा उनकी सहमति लेनी चाहिये थी। प्रशासन का कहना यह है कि वह उन को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियायें तो समझाने को तैयार थे परन्तु उनकी पहले ही सम्मति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(ग) प्रशासन तथा संघ के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें योजना की मुख्य मुख्य बातें उनको समझाई थीं। योजना में ऐसी कोई बात नहीं थी कि कर्मचारियों में कमी की जाये अथवा कर्मचारियों को आगे के लिये उन्नति में कोई घाटा पड़ता हो। परिणामस्वरूप आन्दोलन वापिस ले लिया गया तथा संघ ने प्रशासन से सहयोग करने का वचन दिया।

कालटेक्स के व्यवस्थापकों का कलकत्ता कार्यालय

*455. **श्री प० गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री राममूर्ति :**
श्री रमानी : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री अब्राहम :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री नम्बियार :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कालटेक्स के व्यवस्थापकों ने 25 अक्तूबर 1967 को कलकत्ता में हुई त्रिपक्षीय बैठक में पश्चिम बंगाल के उस समय के श्रम मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के सुझाव को, कि जब तक गोखले आयोग का प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो जाता, तब तक वही स्थिति बनी रहनी चाहिए जो उनके कलकत्ता कार्यालय से कारोबार हटाये जाने के पहले थी, स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के उस समय के श्रम मंत्री की ओर से सरकारी तौर पर कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां,

(ख) जी हां,

(ग) सरकार ने एक जांच आयोग स्थापित कर दिया है। गोखले आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का विचार है ।

ऐस्सो स्टेण्डर्ड ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड कम्पनी की पुनर्गठन योजना

*457. **श्री गणेश घोष :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री भगवान दास : **श्री नायनार :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड कम्पनी की पुर्नगठन योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये इस कम्पनी के प्रतिनिधि हाल में उनसे मिले थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को इस सम्बन्ध में अपने विचार सरकार के सामने रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) ऐस्सो के प्रबन्धकों को यूनियनों से विचार-विमर्श करने और किसी समझौते पर पहुँचने की सलाह दी गई थी ।

(ग) प्रबन्धकों को दी गई सलाह को दृष्टि में रखकर, यह प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी तेल समवायों में रोजगार की सुरक्षा

*458. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री चक्रपाणि :**

श्री अब्राहम : **श्री उमानाथ :**

श्री अ० क० गोपालन : **श्री प० गोपालन :**

श्री राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जब गोखले आयोग विदेशी तेल समवायों में रोजगार की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार कर रहा है, विदेशी तेल समवाय अपनी पुनर्गठन योजनाओं तथा स्वचालित यंत्र लगाने की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करके और अधिक कर्मचारियों को फालतू घोषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी नहीं। सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि विदेशी तेल कम्पनियाँ अपनी पुनर्गठन योजनाओं तथा स्वचालित सयंत्र लगाने की योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करके और अधिक कर्मचारियों को फालतू घोषित कर रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चुकन्दर से चीनी तैयार करना

*459. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चीनी संस्था के निदेशक ने यह आविष्कार किया है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, काश्मीर आदि उपाष्णदेशीय जलवायु वाले राज्यों में गन्ने की अपेक्षा चुकन्दर से बहुत कम खर्च पर अधिक चीनी तैयार की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि चुकन्दर के खेतों में दो फसलें भी उगायी जा सकती हैं; और

(ग) चुकन्दर उगाने के लिए सरकार किसानों को किस सीमा तक सहायता देने को तैयार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चुकन्दर से चीनी पैदा करने का परीक्षण अग्रिम कारखाने में हाल ही में किया था और इस दिशा में और परीक्षण करने की आवश्यकता है। चुकन्दर से प्राप्त की जाने वाली चीनी तथा गन्ने से उत्पन्न की जाने वाली चीनी में कौनसी सस्ती पड़ेगी, इस बात का पता तब चलेगा जब और परीक्षणों के परिणामों का पता चल जायेगा।

(ख) जी हाँ।

(ग) क्योंकि इस समय चुकन्दर केवल परीक्षणों के रूप में ही उगाई जाती है, इस समय किसानों को सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषिजन्य उत्पादन के लिये केन्द्रीकृत आयोजना

*460. **श्री मयावन :** **श्री मरण्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मन दल के नेता डा० ग्वार्टिंग ने बताया है कि उच्चतम स्तर पर केन्द्रीकृत आयोजना के कारण देश में कृषिजन्य उत्पादन की प्रगति धीमी और मन्द रहती है और उसमें रुकावट आयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 4 अगस्त, 1967 को कोनूर में लाइनज क्लब के साथ बातचीत करते समय डा० ग्वार्टिंग ने जो कुछ कहा वह समाचार पत्रों में दूसरे ही ढंग से प्रकाशित हुआ है। उनके कहने के अनुसार ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रायोजना बनाते समय ग्राम, जिला तथा राज्य स्तरों के विभिन्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जाना चाहिए और बिना इन अधिकारियों को शामिल किए प्रयोजना केवल कागजी कार्यवाही होगी।

(ख) डा० ग्वार्टिंग का वक्तव्य उनके निजी विचारों पर आधारित था। अतः उनके दिए गए वक्तव्य पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही नहीं होता।

Workers in Industrial Establishments

*461. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri Prakash Vir Shastri:**
Dr. Surya Prakash Puri: **Shri Ramji Ram:**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have sought information from the State Governments in regard to the number of workers who have been working in the big industrial establishments for the last eight to ten years continuously but have not been confirmed, so far ;

(b) whether it is also a fact that these industrial establishments are also indulging in irregular practices in regard to bonus and other facilities meant for the workers; and

(c) if so, whether Government propose to take some effective steps in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) and (c) Various labour laws, including the Payment of Bonus Act, contain suitable provisions for dealing with their contravention and prosecutions are launched by Central and State Governments in all suitable cases.

केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र

*463. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकारी प्रक्षेत्र स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) सूरतगढ़ और जेतसर में दो केन्द्रीय सरकारी फार्म क्रमशः 1956 और 1964 से कार्य कर रहे हैं। सूरतगढ़ फार्म के नमूने पर नये फार्म स्थापित करने के हमारे कार्यक्रम की तुलना में उड़ीसा में हीराकुंड जलागार के तटदूर तथा पैरिनहेरी क्षेत्रों में एक फार्म फरवरी, 1967 में स्थापित किया गया था। हरियाणा (जिला हिसार), पंजाब (सतलज क्षेत्र) तथा मैसूर (रायपुर जिले में तुंगभद्रा कमाण्डर क्षेत्र) में भी स्थानों का चुनाव किया गया है जिनके बारे में राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार हो रहा है। आशा है ये तीनों फार्म निकट भविष्य में स्थापित हो जायेंगे केरल, मध्य प्रदेश तथा बिहार में भी ऐसे फार्मों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है

(ख) प्रारंभिक स्तरों पर केन्द्रीय सरकारी फार्म, उड़ीसा के कार्यों पर 1966-67 की अवधि में 0.33 लाख रुपये (राजस्व) तथा 4.54 लाख रुपए (पूंजी) व्यय किये गये थे।

दिल्ली की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकता

*464. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए चावल, गेहूँ और मोटे अनाजों की अलग-अलग कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने दूसरे राज्यों से दिल्ली के लिए मोटे अनाजों तथा दालों की सप्लाई का कोई संतोषजनक प्रबन्ध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली में चावल की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो रही है और सप्लाई किये जाने वाला चावल भी घटिया किस्म का होता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) दिल्ली प्रशासन के अनुमान के अनुसार दिल्ली की मासिक माँग इस प्रकार हैं:

चावल	3,000 टन
गेहूँ	37,000 टन
मोटे अनाज	11,750 टन

(ख) और (ग) कानूनी राशनिंग में मोटा अन्न तथा दाल शामिल नहीं है। दिल्ली में यह अन्न कुछ मात्रा में उत्पन्न की जाती है। दाल तथा अन्य अन्न दिल्ली में वाणिज्यिक रूप में स्वतन्त्रता से आते हैं। हरियाणा से भी दिल्ली में अन्न वाणिज्यिक रूप में आते हैं। भारत सरकार भी दिल्ली प्रशासन की सहायता करती है ताकि वह समय-समय पर अधिक उत्पन्न करने वाले राज्यों से अन्न प्राप्त कर सके।

(घ) और (ङ) सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनों में जब अन्न कम मिलता है अन्न के भण्डार कम होने के कारण दिल्ली में चावल का मिलना अनियमित हो गया था। पंजाब तथा हरियाणा से और अन्न के भण्डार आने से स्थिति में सुधार हो गया है तथा सामान्यता आ गई है।

लघु सिंचाई योजनायें

*465. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल की स्थिति को देखते हुए जनता/राज्य सरकारें सिंचाई के महत्व को खूब अच्छी तरह समझने लग गई हैं;

(ख) क्या बड़ी सिंचाई योजनाओं के स्थान पर लघु सिंचाई योजनाओं को महत्व दिया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1967-68 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये राज्यों ने कुल कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ।

(ख) हाल ही में कुओं, नलकूपों तथा पम्प सेटों जैसी शीघ्र उपज देने वाली योजनाओं की माँग में वृद्धि हुई है।

(ग) अस्थायी रूप से 102.80 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है।

शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना पर अमल

*466. **डा० रावेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का चलन बहुत अधिक संतोषप्रद नहीं रहा है;

(ख) यदि हाँ तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से आर्थिक सहायता माँगी है; और

(घ) यदि हाँ तो, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) शिशिक्षु प्रशिक्षण के स्तर में और अधिक सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सहयोग माँगा है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से कोई आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। सहायता, विशेषज्ञों की सेवाएँ, साज सामान और छात्रवृत्तियों के रूप में होगी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यकारी एन्जेसी है। सहायता नीचे लिखे अनुसार होगी :

	संख्या	कार्यकारी महीने	राशि (अमेरिकीडालर)
1. विशेषज्ञों की सेवायें	11	372	6,94,900
2. भारतीय विशेषज्ञों को छात्रवृत्ति	11	48	27,000
3. साज सामान	–	–	2,25,000
4. विविध	–	–	43,900
कुल			9,90,800

कई फसलें उगाना (रिले क्रापिंग)

*467. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने कई फसलें उगाने 'रिले क्रापिंग' की एक नई विधि का आविष्कार किया है जिसके द्वारा किसान एक ही भूखण्ड में वर्ष में चार खाद्य-फसलें उगा सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस नई विधि का मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस नई विधि का प्रयोग देश के किसी भाग में किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) इस नई तकनीक की मुख्य बातों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1857/67।

(ग) इस नई तकनीक को 1966–67 में पूर्ण किया गया है और अपनाने के लिये यह तकनीक कृषकों को बतला दी गयी है।

(घ) कृषकों द्वारा यह तकनीक अपनाई जाने पर ही परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

सरकारी उप-क्रमों में श्रम दिनों की हानि

*468. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हड़तालों के कारण पिछले पाँच वर्षों में समान अवधियों की तुलना में कितने श्रम घंटों का नुकसान हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों के अशांति के कारण ढूंढने का प्रयत्न किया है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) हड़तालों से नुकसान हुए घंटों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। काम बन्दी (हड़तालों और तालाबन्दी) के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या नीचे दी जाती है :

	1962	1963	1964	1965	1966	1967
जनवरी-जून	3,36,828	43,812	1,40,896	4,88,199	6,43,364	8,72,410*
						*(कच्चे)
जुलाई-दिसम्बर	1,95,329	2,33,457	6,06,497	2,16,127	6,33,295	–

(ख) 1966 के दौरान सब उद्योगों में औद्योगिक अशांति के कारणों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अधिकांशतः अधिक मजूरी भत्तों और बोनस की माँगों के कारण ही ऐसी अशान्ति हुई थी।

(ग) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्रों में श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठायें ताकि औद्योगिक अशांति के कारण यथासंभव कम से कम हो जायं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मामला-अध्ययन भी किये जाते हैं और जहाँ कहीं आवश्यकता हो, प्रबंध कों को सुझाव दिये जाते हैं।

खाद्यान्नों का आयात

*469. **श्री धोरेश्वर कलिता** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अब तक कुल कितने खाद्यान्नों का आयात किया गया;

(ख) इन खाद्यान्नों को लाने के लिये कितने जहाज प्रयोग में लाये गये और कुल कितना भाड़ा दिया गया;

(ग) इस कार्य के लिये अमरीका के कितने जहाजों का प्रयोग किया गया और उन्हें कुल कितना भाड़ा दिया गया ; और

(घ) इस काम से लिये कितने भारतीय जहाज काम में लाये गये और उन्हें कुल कितना भाड़ा दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) :

(क) पहली जनवरी 1967 से 31 अक्तूबर 1967 तक 47 लाख मेट्रिक टन।

(ख) (i) 245 जहाज।

(ii) सरकार को अन्ततोगत्वा किराये के रूप में लगभग 45 करोड़ रु० किराये के देने होंगे।

(ग) (i) 98 जहाज।

(ii) किराये के रूप में सरकार का अन्ततोगत्वा उत्तरदायित्व लगभग 21.00 करोड़ रु० होगा।

(घ) (i) 13 जहाज।

(ii) किराये के रूप में लगभग 2.96 करोड़ रु० देना होगा।

श्रमिकों की उत्पादिता में वृद्धि

*470. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की उत्पादिता अधिक बढ़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी बढ़ी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) समूचे देश में कुल मिलाकर समस्त औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादिता में सामान्य वृद्धि होने के साथ धन तथा वास्तविक मजूरी में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) विस्तृत तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सारे उद्योगों के सम्बन्ध में मंजूरी और उत्पादिता के बारे में व्यापक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कुछ उद्योगों के बारे में एक तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1858/67**]

Support Prices for Paddy Crop

471. **Shri Deorao Patil :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the suport prices fixed for the new crops of paddy during 1967-68, State-wise and the basis of fixation of prices;

(b) whether the prices declared are remunerative and fair to farmers as assured by Government ;

(c) whether it is a fact that many States have demanded increase in these prices which has been rejected by Government ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The Minimum Support Prices for the standard (coarse) variety of paddy for 1967-68 kharif season for each State were fixed on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission. A statement showing the State-wise prices is given below.

Statement showing the minimum support prices of Standard (coarse) variety of paddy for different States for 1967-68 kharif season (Rate Rs. per quintal).

Name of States	Price
Assam, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh	Rs. 42.00
Andhra Pradesh, Madras, Mysore, West Bengal	Rs. 43.00
Gujarat, Kerala, Maharashtra	Rs. 44.00

(b) Yes, Sir.

(c) No. Sir..

(d) Does not arise.

मूल अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*472. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या विधि मंत्री 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न सं० 1546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल अधिकारियों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हाँ।

(ख) सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 368 को संशोधित करने की वह प्रस्थापना जो श्री नाथपाई, संसद् सदस्य के उस विधेयक में अन्तर्विष्ट है, जो कि इस समय संयुक्त समिति के समक्ष लम्बित है, सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर ली है जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि संसद् को संविधान के किसी भी भाग को, जिसके अन्तर्गत मूल अधिकारों सम्बन्धी भाग 3 भी आता है, संशोधित करने की शक्ति है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गुड़ लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

*473. **श्री मि० सू० मूर्ति**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य से बाहर गुड़ को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति आंध्र प्रदेश सरकार को दे दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और किन शर्तों पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन

*474. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा**: क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे सामाजिक ढाँचे में परिवर्तनों के कारण, सिविल प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के कुछ उपबंध निष्प्रयोजन हो गए हैं; और

(ख) क्या इन परिवर्तनों को देखते हुए उपरोक्त संहिताओं में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम):

(क) और (ख) यह कहना पूर्णतया सही नहीं होगा कि हमारे सामाजिक ढाँचे में परिवर्तनों के कारण, सिविल प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के कुछ उपबंध निष्प्रयोजन हो गए हैं।

न्याय प्रशासन के सुधार के संबंध में अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में, विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता में संशोधनों के लिए कुछ सिफारिशें की थीं जिनका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के निपटाने में होने वाले विलंबों का निराकरण तथा मुकदमेबाजी के खर्चों में कमी करना था। विधि आयोग की सत्ताईसवीं रिपोर्ट, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सम्बन्ध में है, पहिले ही सदन के पटल पर रख दी गई है। यह रिपोर्ट सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

जहाँ तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का संबंध है, आयोग ने कुछ विषयों पर दो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। पच्चीसवीं रिपोर्ट जाली करेंसी-नोटों आदि के सम्बन्ध में आफिसरों के साक्ष्य से सम्बद्ध है

और बतीसवीं रिपोर्ट का सम्बन्ध उक्त संहिता की धारा 9 से है। जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता का सम्बन्ध है, आयोग ने सामाजिक-आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट (उन्तीसवीं रिपोर्ट) प्रस्तुत कर दी है। मृत्युदंड के उत्सादन का प्रश्न आयोग के सक्रिय विचाराधीन है। आयोग, भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में चर्चित अन्य विषयों की भी परीक्षा कर रहा है।

चीनी का निर्यात

*475. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) देशान्तर्गत तथा वाह्य मूल्यों में अन्तर के फलस्वरूप कितनी हानि होगी ;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई होगी ; और

(घ) देश में चीनी की सप्लाई कम होने के कारण, इसके निर्यात के परिणामस्वरूप देश के अन्दर चीनी के दाम बढ़ जाने के बारे में क्या सरकार ने अनुमान लगाया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) 1967 में 2.17 लाख टन। यह पहले ही भेजा जा चुका है।

(ख) लगभग 7.5 करोड़ रु०।

(ग) लगभग 13.8 करोड़ रु०।

(घ) आन्तरिक मूल्यों में (यह 23 नवम्बर तक नियन्त्रित की) चीनी के निर्यात के कारण कोई वृद्धि नहीं हुई थी तथा घाटे की राशि भारत सरकार ने दी थी।

पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में भारत के क्रास बार टेलीफोन उपकरण का खोया जाना

*476. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में भारत के जो प्रमुख उपकरण खो गये हैं उनमें लगभग 25 लाख रुपये के मूल्य का क्रास बार टेलीफोन उपकरण भी था, जो बम्बई और दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों में लगाने के लिये आयात किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ने यह उपकरण इस्लामाबाद टेलीफोन एक्सचेंज में लगा दिया है जबकि सरकार ने दावा किया था कि वह उपकरण जब्त करते समय डुबो दिया गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उपकरण अथवा उसका मूल्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हाँ। मूल्य 23 लाख रु० था (अवमूल्यन से पूर्व)।

(ख) कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं कि पाकिस्तान सरकार उस सामान का प्रयोग कर रहा है।

(ग) पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया है।

आसाम में नये प्रव्रजक

478. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम सरकार ने नये प्रव्रजकों के प्रवेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति के प्रतिकूल हाल में आदेश जारी करके आसाम में नये प्रव्रजकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) : जी हाँ। जैसा कि 28 नवम्बर 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के उत्तर में कहा कि आसाम सरकार को इस मामले में उचित परामर्श दिया गया था। फिर उन्होंने भारत सरकार के निर्देशों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया। उनके विचारों पर अच्छी प्रकार विचार किया गया तथा उन्हें बताया गया कि वह उन आपत्तियों पर किस प्रकार काबू पा सकते हैं। ऐसी आशा की जाती है कि राज्य सरकार परामर्श के अनुसार कार्य करेगी। शीघ्र ही उनकी प्रतिक्रिया का पता लगने वाला है।

दिल्ली के चीनी कोटे में कमी

479. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली का चीनी का कोटा कम कर दिया है परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन दिल्ली के नागरिकों का चीनी का राशन का कोटा कम कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली के लिए अधिक चीनी देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी हाँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1967-68 में चीनी के कुल उत्पादन का केवल 60% नियन्त्रित सूत्रों द्वारा निश्चत मूल्य पर बेचने के लिये प्राप्त किया जाना है, सारे राज्यों का कोटा कम करना पड़ा।

(ख) दिल्ली तथा अन्य राज्यों को नियन्त्रित सूत्रों द्वारा अधिक चीनी का देना केवल अधिक उत्पादन होने पर ही संभव है। बाजार में खुले रूप से बेचने के लिये भी कुछ चीनी दी जा रही है।

Price of Sugarcane

480. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Prakash Vir Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the sugar mills in various States are putting undue pressure on the farmers by not giving reasonable price for sugarcane by keeping the sugar mills closed and in some other ways ;

(b) whether it is a fact that the Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra has issued directives to the Co-operative sugar mills that in case the farmers do not supply sugarcane at prices fixed by them, then their membership should be terminated and their share money and other deposits be confiscated ;

(c) if so, the justification thereof ; and

(d) the steps taken by Government to ensure reasonable prices for the farmers and to prevent the production of sugar from falling down?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) No, sir.

(b) Yes Sir, in respect of members of the cooperative sugar mills.

(c) He has issued the directive in the long term interest of the cooperative sugar mills as well as their members.

(d) The Central Government have fixed only the minimum price of sugarcane and the sugar factories are expected to pay higher prices than the minimum. Reports received show that higher prices are being paid.

चावल की खरीद

2932. **श्री कृ० भा० कौशिक**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में चावल खरीदे जा रहे हैं और किन-किन राज्यों से धान खरीदा जा रहा है ;

(ख) किन-किन राज्यों में धान अथवा चावल सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं ;

(ग) किन-किन राज्यों में सरकार चावल अथवा धान खुले बाजार से खरीद रही है ; और

(घ) सहकारी समितियों के माध्यम से चावल अथवा धान खरीदने के क्या लाभ हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में धान और चावल पर लगान है। गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और पश्चिमी बंगाल में धान लगान द्वारा वसूल की जा रही है। बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल में धान के स्थान पर चावल देने का लोगों को विकल्प है। आसाम, मद्रास और उड़ीसा में मुख्य तौर पर धान की ही वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश, हरियाना और पंजाब में चावल लगान द्वारा वसूल किया जा रहा है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जावेगी।

धान की वसूली

2933. **श्री कृ० भा० कौशिक**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से धान के स्थान पर चावल की वसूली करने का निदेश देने का सरकार का विचार है, क्योंकि इससे किसानों को लाभ होगा और उनके पास 'कनी' और 'कोंडा' बच जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वसूली करने के ढंगों के बारे में निर्णय करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में खेतिहरों को धान के स्थान पर चावल देने का विकल्प है।

गावों में टेलीफोन लगाने की योजना

2934. **श्री नरसिम्हा राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'भारत में गावों में टेलीफोन लगाने की योजना' क्रियान्वित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं।

(ख) साधनों के सीमित होने तथा बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्टेशनों को देखते हुए दूर-संचार सुविधाओं को धीरे-धीरे बढ़ाना सम्भव है। आम तौर पर टेलीफोन की सुविधायें तभी उपलब्ध की जाती हैं यदि यह समझा जायेगा कि योजना लाभदायक है। फिर भी टेलीफोन सुविधाओं को अविकसित क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये कुछ स्टेशनों को इस शर्त पर यह सुविधायें दी गई हैं कि 1 अप्रैल, 1966 अर्थात् तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक कुल हानि 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त स्टेशन निम्नलिखित हैं ;

(एक) शेष जिला तथा सब जिला मुख्यालय कस्बे।

(दो) तहसील तथा ऐसे ही मुख्यालय कस्बे।

(तीन) सब तहसील।

(चार) 20,000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और 10,000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान।

(पाँच) दूरस्थ बस्तियों अर्थात् निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से 40 किलोमीटर दूर 100 स्थानों पर।

(छः) पर्यटन केन्द्रों, तीर्थ स्थानों कृषि तथा परियोजना केन्द्रों और कस्बों में 100 पब्लिक काल कार्यालय खोले जायेंगे।

निम्न वर्ग के स्टेशन अर्थात् ब्लाक मुख्यालय, सब-इंसपेक्टर के अधीन पुलिस स्टेशन, 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों आदि को हानि पर भी आरम्भिक सुविधायें उपलब्ध की जायगी और इससे तार यातायात के विकास पर निर्भर टेलीफोन स्टेशनों के विकास में सहायता मिलेगी।

पशु धन

2935. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न किस्म के पाए जाने वाले पशुओं की अनुमानित संख्या, राज्यवार कितनी है ;

(ख) उनमें से प्रति वर्ष अकाल, सूखा या भूख से मरने वालों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि दूध का व्यापार करने वाले बछड़े, बछड़ियों को भूखा रख के मार देते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

पशुओं से प्राप्त होने वाला कार्बनिक खाद

2936. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में कितना तथा कितने मूल्य का कार्बनिक खाद पशुओं से प्राप्त होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : तीसरी योजना की अवधि में नेशनल कौंसिल आफ अपलाईड एकोनामिक रिसर्च द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की घरेलू खपत के विषय में जो अध्ययन किया गया है उसके अनुसार 1961 की पशुधन गणना के आधार पर गीले गोबर का वार्षिक उत्पादन 13350 लाख मीटरी टन (अर्थात् सूखे गोबर का 2670 लाख मीटरी टन) है। कौन्सिल के अनुमान के अनुसार 522 लाख मीटरी टन सूखा गोबर (कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत भाग) ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी गोबर या तो इकट्ठा ही नहीं किया जाता या उसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। वर्ष भर में देश में लगभग 3700 लाख मीटरी टन पशु मूत्र इकट्ठा किया जाता है। पशुओं के गोबर व मूत्र से तैयार होने वाले कार्बनिक खाद की मात्रा तथा उसके मूल्य के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अनुमान लगाया गया गया है कि 1966–67 की अवधि में ढोरसालों तथा फार्म के कूड़े से नियमित रूप से 1340 लाख मीटरी टन कम्पोस्ट तैयार हुआ है। 1966–67 की अवधि में तैयार होने वाले ग्रामीण कम्पोस्ट के उत्पादनके विषय में राज्यवार ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाता है (**पुस्तकालय में रखा गया ।देखिये संख्या एल० टी० 1859/67**] गाँवों में ढोरसालों तथा फार्म के कूड़े से तैयार होने वाले कम्पोस्ट सदा नहीं बेचा जाता इस कम्पोस्ट को कृषक अपने खेतों में प्रयोग के लिए तैयार करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम का वार्षिक व्यय

2937. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय खाद्य निगम की प्रत्येक शाखा पर किराये, कर्मचारियों के वेतनादि, यात्रा भत्ते तथा अन्य व्यय के विवरण सहित वार्षिक व्यय कितना हुआ ; और

(ख) निगम ने अपने तथा किराये पर लिये गये विभिन्न गोदामों के लिये, नगरवार, प्रतिमास कितना किराया दिया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख): 1966–67 के लिये भारत के खाद्य निगम के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने पर भी जानकारी प्राप्त करने में जितना श्रम तथा समय लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

गुजरात में भूमि बन्धक बैंक

2938. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में गुजरात में भूमि बन्धक बैंकों का ऋण देने तथा ऋण-पत्र जारी करने का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) क्या 1966–67 में इन बैंकों को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० का लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण देने और ऋण-पत्र जारी करने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार को इस बैंक के साधारण ऋण-पत्र कार्यक्रम में धन लगान के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया था।

गुजरात में भूमिहीन लोगों का पुनर्वास

2939. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास योजना के अन्तर्गत गुजरात में भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए सहायता अनुदान तथा ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है और इस सहायता से कितने परिवार बस चुके हैं;

(ख) क्या गुजरात में भूमिहीन श्रमिकों में उन स्वर्णकारों को भी शामिल किया गया है जिनको भूमि अलाट की गई और क्या उनको भी ऐसी सहायता दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या है;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत स्वर्णकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सन् 1966–67 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को 39,63,550 रुपये की वित्तीय सहायता दी है जिसमें से 29,72,912.50 रुपये सहायक अनुदान के रूप में और 9,90,637.50 रुपये ऋण के रूप में दिये गये। केन्द्र चालित योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य में 5,342 भूमिहीन कृषक परिवारों को बसाया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र चालित योजना केवल भूमिहीन कृषकों के लिए ही है।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत स्वर्णकारों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई। फिर भी अन्य स्रोतों से जो सहायता दी गई है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में नलकूपों के लिये ऋण

2940. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से उचित ऋण उपलब्ध न होने के कारण गुजरात में नलकूपों के लिए ऋण मंजूर करने के विषय में गुजरात सरकार के पास कई आवेदन-पत्र काफी समय से पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और कब तक ऋण मंजूर होने की आशा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस विषय में गुजरात सरकार को कुछ सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी सहायता दी जायगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि नलकूपों के विषय में ऋण मंजूर करने के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं पड़े हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की संशोधित पद्धति के अनुसार (जिसे 1958-59 में लागू किया गया था) राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता "कृषि उत्पादन", "लघु सिंचाई" "भूमि विकास" आदि वृहत्त विकास शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है न कि प्रत्येक योजना के आधार पर। 1967–68 के लिए लघु सिंचाई शीर्षक के अन्तर्गत 5.30 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकार किया गया था। धनाभाव के कारण गुजरात सरकार को लघु सिंचाई के लिए 1967-68 की अवधि में और अतिरिक्त रुपया देना संभव नहीं हो सका है।

गुजरात को बोरिंग मशीनों की सप्लाई

2941. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष गुजरात को केन्द्र द्वारा सप्लाई की गई बोरिंग मशीनों की संख्या ; और

(ख) बोरिंग मशीनों की सप्लाई के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि का क्षेत्रफल।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) गत वर्ष गुजरात को कोई बोरिंग मशीन सप्लाई नहीं की गई; और 3 रिगों के आयात के लिए राज्य सरकार को 13.10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अलाट की गई थी। इसके अतिरिक्त समन्वेषी नलकूप संगठन ने राज्य सरकार की ओर से उत्पादन नलकूपों के निर्माण में 4 रिगों का प्रविस्तारण किया और सन् 1966-67 में कच्छ के जिला में 20 बोर होल्ज किए गए जिनमें से 19 उत्पादन कूपों में परिवर्तित कर दिए गए।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गुजरात को कोई बोरिंग मशीन सप्लाई नहीं की गई, अतः सिंचाई का प्रश्न ही नहीं होता। जहाँ तक समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा निर्मित उत्पादन नलकूपों का सम्बन्ध है, उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। यह बता दिया जाए कि आमतौर पर नलकूपों की पूर्णता तथा उसकी उपयोगिता में कुछ समय पड़ जाता है। फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि उपरोक्त लिखित 19 नलकूपों के द्वारा लगभग 2,500 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है।

Post Offices, Savings Banks, Telegraph Offices and Telephone Exchanges in Maharashtra

2942. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices, Savings Banks, Telegraph Offices and Telephone Exchanges proposed to be opened in the rural areas of Maharashtra State during the Fourth Plan period ; and

(b) the number and the locations of Post Offices, Telegraph Offices and Telephone Exchanges proposed to be opened in Yeotmal District of Maharashtra State during the said period ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) A statement is being laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-1860/67]**.

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

2943. **श्री सरयू पाण्डे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में जनवरी, 1965 से अक्टूबर, 1967 के बीच कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए; और

(ख) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश के नियोजन कार्यालयों की सहायता से कितने बेरोजगार लोगों को नियुक्ति अवसर मिले ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख): इस सम्बन्ध म जानकारी छः माह बाद जून और दिसम्बर में इकट्ठी की जाती है। जनवरी, 1965 से जून, 1967 के बीच उत्तर प्रदेश के नियोजन कार्यालयों में 5,02,267 शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक) बेरोजगार लोगों ने नाम दर्ज कराये और 48,716 व्यक्तियों को नियुक्ति अवसर मिले।

तारों को प्राथमिकता दिया जाना

2944. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 सितम्बर, 1967 से पूर्व डाक व तार विभाग गम्भीर बीमारी की सूचना देने वाले तारों को प्राथमिकता देते थे :

(ख) क्या यह सच है कि 1 सितम्बर, 1967 से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल उस तार को ही प्राथमिकता दी जाती है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार हो; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) 1-9-67 से पूर्व निम्नलिखित विषयों पर विभाग को तारें बुक करने की अनुमति थी :

(एक) सड़क, रेलवे, आग, बाढ़, बिजली गिरने, भवन गिरने तथा फैक्टरी दुर्घटनाओं आदि में मानव जीवन की सुरक्षा।

(दो) गम्भीर शरीरिक स्थिति तथा मृत्यु।

(तीन) 'मानव-जीवन प्राथमिकता तारों' की श्रणी के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती कराने, दवाई आदि बताने अथवा औषधि देने आदि के बारे में। यह पता लगाया कि यह वर्गीकरण बहुत व्यापक है। यदि इस वर्गीकरण को जारी रखा जाता तो प्राथमिकता तो बहुत सी तारे आ जाती जिनमें ऐसी भी तारें आती हैं जिनमें मानव जीवन के खतरे को दूर नही किया जा सकता। यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के भी अनुकूल नहीं है। इसलिये विभिन्न प्राथमिकताओं के लिये तारों के ग्रुपों को सरल बनाने और मृत्यु की सूचना देने वाले तारों को उच्च- तम प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया। फिर भी मामले की पुनः जाँच की जा रही है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सूक्ष्मतरंग प्रणाली

2945. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक महत्व के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आक्राम्य क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करन के लिय सूक्ष्म तरंग प्रणाली के विस्तार की कोई योजना है ;

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी कुल लागत क्या है ; और

(ग) कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किन विशिष्ट परियोजनाओ को हाथ में लेने का प्रस्ताव है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) सूक्ष्म तरंग योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिये बनाई गई एकीकृत योजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंग सम्पर्क बनाना भी शामिल है। पूर्व की ओर कलकत्ता, आसनसोल, कठियार, सिलीगुरी, दारजीलिंग, कुच-बिहार, शिलांग, गोहाटी, तेजपुर और जोरहाट के बीच सूक्ष्म-तरंग प्रणाली पहले ही लागू कर दी गई है ।

जोरहाट, डिबरूगढ़- तिनसूखिया में काम हो रहा है।

संचार के लिये उत्तर-पश्चिम में भी सूक्ष्मतरंग की दो योजनायें अर्थात् एक अम्बाला, चण्डी-गढ़ और शिमला को मिलाने के लिये तथा दूसरी श्रीनगर, उदयपुर, जम्मू, डलहाउसी, पठानकोट और जालन्धर को मिलाने वाली लागू की गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों अथवा आक्राम्य क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था के लिये हाल ही में निम्न-लिखित सूक्ष्मतरंग योजनाओं की मंजूरी दी गई है;

(1) कलकत्ता-उत्तरी बंगाल-आसाम विस्तार योजना जिसमें मूल सूक्ष्मतरंग परियोजना के अन्तर्गत स्टेशनों के अतिरिक्त चैनलिंग उपकरण स्थापित करने की व्यवस्था है और निम्नलिखित मार्गों पर सूक्ष्मतरंग प्रणाली स्थापित करना है:

(एक) जोरहाट, धीमापुर, कोहीमा, इम्फाल।

(दो) शिलांग, सिल्चर, अगरतल्ला।

(तीन) सिल्चर–इम्फाल

(चार) दारजीलिंग–कालीमपोंग

(2) बरेली- नैनीताल, पीलीभीत

(3) भुज, काण्डला, जामनगर और राजकोट को मिलाने वाली सूक्ष्मतरंग योजना।

उपरोक्त योजनाओं पर 6.24 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) में बतलाया गया है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों का लिया जाना

2946. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समन्वित विकास के लिए देश की बड़ी सिंचाई परियोज-नाओं के कमाण्ड क्षेत्रों को लेने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय नियंत्रण में लिया जायेगा ;

(ग) इस विषय में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) समन्वित विकास के लिए देश की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु स्टेट प्लान आयाकट डेवैलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत भूमि तथा जल के उचित उपयोग हेतु सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के समन्वित विकास की योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा कार्य रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयाकट विकास की मार्गदर्शी योजना (5000 से 10000 एकड़ भूमि के खण्डों में) की एक केन्द्रीय प्रायोजजित योजना तैयार की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों के समन्वित विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रदर्शनों में उन राज्यों की सहायता की जाए जहां संसाधनों को काम में लाने की गति मन्द है।

आर्थिक तथा वित्तीय विशेषज्ञों का जापानी प्रतिनिधि मण्डल

2947. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच सहयोग की सीमा के अध्ययन के लिए आर्थिक तथा वित्तीय विशेषज्ञों का उच्च स्तर का जपानी प्रतिनिधि-मण्डल भारत आया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिनिधि-मण्डल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाए जाने वाले सरकारी कार्य का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) हाल ही में आर्थिक तथा वित्तीय विशेषज्ञों का उच्च स्तर का कोई जापानी प्रतिनिधि-मण्डल भारत नहीं आया; फिर भी, भारत में जापानी कृषि प्रदर्शन के भावी-रूप के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ एक नए करार पर बातचीत करने के लिए मार्च-अप्रैल, 1967 में जापान सरकार द्वारा 5 जापानी कृषि विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया था। इस नये करार के बारे में जापान सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

मुस्लिम विवाह विधियां

2948. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, मुस्लिम स्त्रियों को विवाह-विच्छेद और भरण-पोषण का अधिकार दिलाने के लिए, मुस्लिम विवाह विधियों में सुधार करने का है, जैसी कि अनेक मुस्लिम स्त्रियों और भारतीय स्त्रियों के राष्ट्रीय फैडरेशन ने माँग की है;

(ख) क्या सरकार का इरादा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्त्रियों पर प्रभाव डालने वाली विधियों में कोई सुधार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) 22 अक्टूबर, 1967 के मण्डे स्टैन्डर्ड में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, भारतीय स्त्रियों के राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष ने, मुस्लिम स्त्रियों को विवाह-विच्छेद और भरण-पोषण का अधिकार दिलाने के लिए, मुस्लिम विवाह विधियों में सुधारों का समर्थन किया है। मुस्लिम स्त्रियों से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ईसाइयों में विवाह और वैवाहिक मामलों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए एक विधेयक, तृतीय लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था, किन्तु उस लोक सभा के विघटन पर वह व्यपगत हो गया। विधेयक को पुनः पुरः स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करने में विलम्ब

2949. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही शुरू करने में बहुत विलम्ब के बारे में सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्रगति और उनके बारे में अन्तिम उत्तर देने का मूल उत्तरदायित्व उस प्रशासनीय मंत्रालय/विभाग का है जिसके लिए विभिन्न प्रतिवेदनों में उन सिफारिशों को किया गया है। वित्त मंत्रालय लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए उन प्रशासनीय मंत्रालयों को अनुदेश देता है। सिफारिशों पर कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए लोक लेखा समिति ने हाल ही में अन्तिम उत्तर देने का समय 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अन्तिम उत्तर इस 6 महीनों की अवधि में भेजने की सुरक्षा के लिए व्यय विभाग के सचिव को समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। समिति के इस सुझाव की जाँच की जा रही है।

Settlement Officer, Tripura

2950. **Shri A. K. Gopalan :** **Shri Mohammad Ismail :**

Shri Bhagaban Das : **Shri Ganesh Ghosh :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint against the Settlement Officer Tripura on the 4th August, 1967 from Communist Party of India (Marxist) ;

(b) if so, main points of the complaint ;

(c) whether Government have investigated the matter ;

(d) if so, the findings thereof ;

(e) the action taken thereon ; and

(f) if the reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir.

(b) The complaint in question makes the allegation that the Settlement Officer had been bribed by the managements of several tea estates to get the Government Khas lands recorded in the name of the tea estates. It is further alleged that as a result of wrong entries, the tea estates evicted tribal families who had been in possession of the Government Khas lands. It is further alleged that the Settlement Officer issued directives which were against the provisions of Section 187 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act.

(c) to (f) An inquiry has been instituted into the allegations.

मुसलमानों में बहुपत्नीत्व

2951. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मुसलमानों को बहुपत्नीत्व के आचरण की अनुज्ञा है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत में मुसलमानों के लिए बहुपत्नीत्व को दाण्डिक अपराध न बनाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हाँ।

(ख) चूंकि मुस्लिम स्वीय विधि, जैसी कि इस समय वह है, बहुपत्नीत्व को अनुज्ञात करती है, इसलिए मुसलमानों की बाबत इसे दाण्डिक अपराध बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Community Projects in Delhi

2952. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the number of additional community projects proposed to be set up by Government in Delhi in the near future and the names of places where they would be located?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

The entire area of Delhi is already covered by Community Development Blocks. There is no proposal to set up additional Blocks in Delhi.

जामसर, राजस्थान की जिप्सम खानों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2953. **श्री उमानाथ** : **श्री रमानी** :
श्री नायनार : **श्री एस्थोस** :
श्री अब्राहम : **श्री सत्य नारायण सिंह** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जामसर, राजस्थान की जिप्सम खानों के श्रमिकों ने 6 अक्तूबर, 1967 को हड़ताल कर दी;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) उनका विवाद तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हाँ, बीकानेर जिप्सम लि० के ठेकेदारों द्वारा नियुक्त 107 श्रमिकों ने 6 अक्तूबर 1967 को हड़ताल कर दी।

(ख) श्रमिकों की माँगें 22-2-66 को किए गए समझौते को लागू करने के बारे में थीं। इस समझौते में निम्नलिखित व्यवस्था है :

(i) मेसर्स बीकानेर जिप्सम और उनके श्रमिकों में हुए विवाद पर केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर का पंचाट प्राप्त होने पर जिप्सम के परिवहन, उठाने ढेले तोड़ने और लादने की दरों में संशोधन तथा महंगाई भत्ते में संशोधन।

(ii) वर्तमान दरों (जिसमें मजूरी और महंगाई भत्ता शामिल है) में समुचित संशोधन द्वारा अंतरिम सहायता की मंजूरी, जो कि 1-2-1966 से लागू होगी।

(ग) प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अजमेर ने समझौता कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप 21-10-67 को ठेकेदारों और जिप्सम खान श्रमिक यूनियन के बीच समझौता हो गया और हड़ताल समाप्त हो गई।

Sugar Mills in Madhya Pradesh

2954. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity in tons, of sugar produced by the sugar mills in Madhya Pradesh during the past two years ;

(b) the names of the States to which the Madhya Pradesh Government supplied sugar, the quantity of sugar, in tons supplied to each State and that supplied to the Central Government, if any ; and

(c) the quantity of sugar, in tons, consumed in Madhya Pradesh during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The sugar mills in Madhya Pradesh produced 35,731 tonnes of sugar in 1965-66 and 7,572 tonnes in 1966-67.

(b) The Madhya Pradesh Government does not supply sugar to other States or to the Central Government. The entire quantity produced in 1965-66 *i.e.* 35,731 tonnes was released for consumption in Madhya Pradesh. Out of the production in 1966-67, 5,019 tonnes were released for consumption with the State and 2,420 tonnes to bulk consumers in Maharashtra and Delhi. 133 tonnes still remain to be released.

(c) The sugar relased for consumption in M. P. including local production totalled 169,875 tonnes in 1965-66 and 1,37,490 tonnes in 1966-67.)

Super Bazars

2955. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Super Bazars set up by Government in the country ;

(b) the number of persons working in them ;

(c) the number of Balmikis and Harijans out of the total number of persons employed in the Super Bazars ;

(d) whether jobs have been provided in accordance with the proportion fixed by Government ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) Govrnment have not set up any Super Bazars. However, 48 department stores have been set up by the consumer cooperatives in the country with financial assistance from Government.

(b) The information is being collected and will be pleaced on the Table of the House.

(c) to (e) The Department Stores are set up by Consumer Cooperatives and not by the Government. The orders of the Government regarding reservations of posts in the Government institutions for Balmikis and Harijans or members of other Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not applicable.

काजू की खेती

2956. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू की विस्तृत खेती के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) 6.00 लाख अतिरिक्त एकड़।

मास्टर क्राफ्टसमैनों के लिये प्रशिक्षण संस्थान

2957. **श्री रा० बरुवा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सहयोग से बंगलोर में, "मास्टर क्राफ्टसमैनों" का प्रशिक्षण संस्थान बनाने का सवाल तय हो गया है; और

(ख) क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार निश्चित किया गया है जिससे यहाँ से प्रशिक्षित फोरमैन, कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच की कड़ी बन सकें। वे देश के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के अगुआ हों और प्रबन्धकों की विभिन्न कार्यक्षेत्रीय कल्पनाओं को क्रियात्मक रूप दे सकें ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) संस्थान स्थापित करने के प्रश्न पर शीघ्र ही समझौता होने की आशा है।

(ख) जी हाँ।

कृषि क्षेत्र में मजदूर यूनियन की गतिविधियाँ

2958. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(उ) क्या उन्होंने कृषि क्षेत्र में मजदूर यूनियन कार्यवाही प्रारम्भ करने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे प्रोत्साहन के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हाँ।

(ख) क्योंकि इस क्षेत्र में मजदूर यूनियन के विकास से श्रमिकों को लाभ पहुँचेगा।

(ग) यह अधिकांशतः केन्द्रीय मजदूर यूनियन संघों का विषय है।

कांगड़ा जिले में वन भूमि का अलाटमेंट

2959. **श्री हुक्म चन्द कछवाय :** **श्री रामसिंह अयरवाल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 18 जुलाई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा जिले में ऐसे कितने व्यक्तियों को शामलात अथवा वन भूमि का अलाटमेंट किया गया है जिनके पास अपने मकान हैं अथवा जमीनें हैं; और

(ख) क्या सरकार को भूमि के अलाटमेंट के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हाँ तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी हाँ । अभ्यावेदन प्राप्त होने पर हिमाचल प्रदेश प्रशासन से वास्तविक जानकारी माँगी गई है ।

ऐसो कम्पनी में कर्मचारियों की छंटनी

2960. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**

श्री राममूर्ति : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐसो स्टेण्डर्ड इंक ने भुवनेश्वर एयरफील्ड डिपो के तीन कर्मचारियों से यह कहा कि यदि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करना मना करते हैं, तो उनकी छंटनी कर दी जायगी; और

(ख) यदि हाँ तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं । यह मामला उड़ीसा सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Production of Foodgrains in 1967-68

2961. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the target fixed for the purchase of foodgrains by the Food Corporation out of the total production in 1967-68 and the agencies through which the purchase is to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

In the light of the procurement targets set for themselves by the various State Governments and taking into account the role that the Corporation is likely to play in those States, the tentative procurement target of foodgrains has been set at 41.8 lakh tonnes by the Corporation for the coming kharif and rabi crops during the period from 1.11.1967 to 31.10.1968. The purchases are made by the Corporation either directly by themselves or by appointing dealers, millers, merchant's Association or Cooperative Societies as their agents depending on the mode of procurement and local conditions prevailing in the different States.

Agricultural Labourers' Cooperative Societies

2962. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of agricultural labourers' Co-operative societies and their numbers in various States ; and

(b) the facilities being given by Government with a view to enable agricultural labourers and landless farmers to organise themselves in co-operative societies ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में चर्बी की मात्रा

2964. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना अपने दूध में चर्बी की मात्रा कम करना और साथ ही दूध का मूल्य भी बढ़ाना चाहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेलीफोन राजस्व

2965. **श्री राममूर्ति** : **श्री चक्रपाणि** :

श्री भगवानदास : **श्री नायनार**:

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1967 से लेकर अक्तूबर 1967 तक की अवधि में मास-बार टेलीफोन का कुल कितना राजस्व वसूल हुआ;

(ख) क्या सितम्बर और अक्तूबर 1967 में टेलीफोन राजस्व वसूली में कमी हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) और अधिक हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) अक्तूबर 1967 में हुई वास्तविक वसूली की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जनवरी से सितम्बर, 1967 तक की अवधि में मास-वार हुई वसूली का ब्यौरा निम्नलिखित है :

जनवरी, 67	5,50 लाख रुपये
फरवरी, 67	5,89 ,, ,,
मार्च, 67	7,91 ,, ,,
अप्रैल, 67	4,80 ,, ,,
मई, 67	6,21 ,, ,,

जून, 67	5,65	लाख रु०
जुलाई, 67	6,13	,, ,,
अगस्त, 67	5,51	,, ,,
सितम्बर, 67	6,28	,, ,,

(ख) आंकड़ों से पता लगता है कि सितम्बर में वसूली में कमी नहीं हुई ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री लंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीय

2967. **श्री न० कु० सांघी:** **श्री वेदव्रत बरुआ:**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को बसाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें चम्बल परियोजना क्षेत्र में बसाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) भारत-श्रीलंका करार, 1964 के अधीन स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को बसाने के लिये उठाये गये पगों और विचाराधीन प्रस्तावों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1861/67] करार के अधीन भारतीयों का नियमित रूप से स्वदेश लौटना अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सूचित करें कि क्या चम्बल परियोजना के अधीन श्रीलंका से लौटने वाले भारतीयों को बसाना सम्भव हो सकेगा। उनके उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है।

बन्दरगाहों में अनाज के रखने तथा उतारने-चढ़ाने की व्यवस्था

2968. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बन्दरगाहों में अनाज रखने तथा उतारने-चढ़ाने की सुविधाओं के बारे में स्वीडन और भारत के विशेषज्ञों के अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और कांडला में 50,000 टन क्षमता वाले गोदाम, जिसमें तेजी से खाद्यान्न उतारने का उपकरण भी लगा हो, के निर्माण को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अध्ययन दल की कुछ अन्य मुख्य बन्दरगाहों पर गोदामों के बनाये जाने सम्बन्धी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

(ग) खाद्यान्न उतारने वाले उपकरण और गोदाम के अन्तिम नमूनों, विशिष्ट विवरणों और टेंडर दस्तावेजों की छानबीन हो रही है।

खाद्यान्न भाण्डागार क्षमता

2969. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न भाण्डागार क्षमता आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये नये गोदाम बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1966 तथा 1967 में नये गोदाम बनाने पर सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, भारत के खाद्य निगम, और केन्द्रीय तथा राज्यों के भाण्डागार निगमों के पास, कुल मिलाकर, देश में जितनी कुल भाण्डागार क्षमता उपलब्ध है, वह वर्तमान आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है। फिर भी, कुछ अधिक वसूली वाले क्षेत्रों में निकट भविष्य में होने वाली सम्भावित स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त भाण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार विचार कर रही है।

(ग) 1966-67 के वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 198.46 लाख रुपये खर्च किये। 1967–68 के वित्तीय वर्ष के लिये 120.60 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है और उसके पूरा प्रयोग किये जाने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में सूअर

2970. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्नावरम, आन्ध्र प्रदेश में भारत के दो मुख्य सुअर पालन केन्द्रों में से एक को शुरू करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन और भारत सरकार के बीच हुए करार का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) दो वर्षों के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों को भारत में आने पर सरकार क्या वेतन देने को सहमत हुई है; उनके नाम तथा योग्यता;

(ग) सूअर पालन केन्द्र पर भारत सरकार को कितना खर्च आएगा, साथ ही भवन तथा मशीनरी आदि की लागत भी बतायें;

(घ) इस परियोजना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(ङ) भारत में जहाँ लोगों द्वारा सूअर से बने पदार्थों की खपत नहीं होती वहाँ सूअर पालन केन्द्र शुरू करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) भारत सरकार ने तीसरी योजना के दौरान केन्द्र द्वारा चालित योजना के रूप में एक क्षेत्रीय सूअर प्रजनन केन्द्र तथा बेकन कारखाना स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। सन् 1962–63 में गन्नावरम, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश में परियोजना की क्रियान्विति शुरू की गई। सन् 1967-68 से यह योजना स्टेट स्कीम बन गई है।

इस कार्यक्रम की सहायता के लिए बैकन कारखाना से लगे क्षेत्र में आदर्श सूअर-पालन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आयरिश फीडम फ्राम हन्गर कैम्पेन कमेटी जो गोरटा कहलाती है की सहायता से किया जाएगा। खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सहायता दी जाएगी क्योंकि 31-10-67 को उस संगठन के साथ करार किया गया था। 90,000 डालर तक की इस सहायता में विशेषज्ञ, उपकरण, 130 शुद्ध नस्ल के सूअर तथा विविध खर्चे शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य गन्तावरम में लैन्ड्रेस तथा यार्कशायर नस्ल के सूअरों से अन्य सूअरों को सुधारना है। इस फार्म से शुद्ध नस्ल के सूअर क्षेत्र के सुअर-पालन विकास खण्डों में किसानों को सप्लाई किए जायेंगे। उन्नत पशु-पालन पद्धति, प्रबन्ध, रोग नियंत्रण तथा विपणन को अपनाने के लिएकिसानों को विस्तृत सुविधायें भी प्रदान की जाएंगी। आयरलैंड से पशुधन सन् 1968 में पहुँचेगा।

(ख) एफ० एफ० एच० सी० सुअरपालन परियोजना के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए एक परियोजना प्रबन्धक और तीन सप्ताह के लिए एक सूअर अटैन्डैन्ट की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं। इन कर्मचारियों के नाम तथा योग्यताओं सम्बन्धी ब्यौरा को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भारत सरकार इन लोगों पर कुछ खर्च नहीं करेगी। खाद्य तथा कृषि संगठन गोरटा द्वारा परियोजना के लिए दिए गए धन से इनका खर्च चलाएगा।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में 15.00 लाख रुपये स्वीकृत किए। इससे खाद्य तथा कृषि संगठन। गोरटा के अंशदान का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) मुख्य परियोजना के लिए 11.25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। उसमें से 6.75 लाख रुपये (90,000 डालर) आयरिश एफ० एफ० एच० सी० द्वारा भेंट किये गये धन में से दिए जायेंगे।

(ङ) यह सच नहीं है कि सूअर से बने पदार्थ भारत में प्रयोग नहीं किए जाते। वास्तव में कुछ जातियों के लोग सूअर का माँस आदि खाते हैं किन्तु जिस किस्म के सूअर भारत में पाले जाते हैं उनके माँस में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होती। यदि अच्छी नस्ल के सूअर अच्छे प्रबन्ध द्वारा पाले जाएँ और उनके माँस को ठीक ढंग से रखा जाए और विपणन किया जाए तो इससे प्रोटीन की किस्म में उन्नति होगी और सूअर माँस तथा उससे बने पदार्थों की खपत में वृद्धि होगी। इसीलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उपभोक्ताओं की माँग को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर उद्योग को संगठित किया जाए। सूअर का माँस खाने वाले लोगों की संख्या बड़ी है अतः सूअर प्रजनन तथा उससे सम्बन्धित उद्योग के विकास पर ध्यान देना अनिवार्य है।

अधिवक्ता अधिनियम का संशोधन

2971. **श्री यशपाल सिंह:** **डा० रानेन सेन:**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, विधि स्नातकों की प्रशिक्षण-कालावधि का उत्सादन करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह विधान कब प्रस्तुत किया जाएगा?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम): (क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के लिए कुछ सुझाव जिनमें कि विधि स्नातकों के लिए प्रशिक्षण-

कालावधि के उत्पादन का भी एक सुझाव है, सरकार को प्राप्त हुए हैं और उनकी परीक्षा की जा रही है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए विधान, प्रस्थापना के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा।

Smuggling to China

2972. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rice, peas etc. are being smuggled into China through the eastern regions of Uttar Pradesh and some persons have been arrested in this connection ;

(b) if so, the details of the traders arrested uptil now since August, 1967 ;

(c) the action taken against them, and

(d) the quantity of foodgrains seized?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) The Government of Uttar Pradesh have no information of any such smuggling. They have, however, called for reports from the Collectors.

(d) Does not arise.

जापान से चावल मिलों के लिये मशीनों का आयात

2974. **श्री मयावन:** **श्री मरंडी:**

श्री वेदव्रत बरुआ: **श्री शिव चन्द्र झा:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 13 जून, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान से आयात की जाने वाली चावल मिलों के लगाने के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) नही, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नीलगिरि में इण्डो-जर्मन परियोजना

2975. **श्री मयावन :** **श्री मरंडी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के फार्म विशेषज्ञों ने नीलगिरि में इण्डो-जर्मन विकास परियोजना की क्रियान्विति के बारे में शीघ्र निर्णय न करने के बारे में मद्रास सरकार की आलोचना की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा दूर-संचार सेवायें

2976. **श्री अदिचन:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक तथा दूर-संचार सेवाओं के संचालन के बारे में चालू वर्ष में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ये शिकायतें किस किस्म की थीं; और

(ग) डाक तथा दूर-संचार सेवाओं की कुशलता तथा संचालन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) डाक तथा दूर-संचार सेवाओं के संचालन के बारे में अप्रैल से सितम्बर, 1967 तक के छः महीनों में प्राप्त शिकायतों की संख्या लगभग इस प्रकार है:

डाक सम्बन्धी	5,36,300	कुल परियात का .0001 प्रतिशत
तार सम्बन्धी	24,300	तारों का .11 प्रतिशत
टेलीफोन सम्बन्धी	79,700	.014 प्रति
	(लिखित शिकायतें)	टेलीफोन प्रति मास

(ख) **डाक सम्बन्धी**: अधिकांश डाक सम्बन्धी शिकायतें, मनीआर्डरों के भुगतान में देरी, रजिस्टर्ड वस्तुओं की रसीदों के प्राप्त न होने या देरी से प्राप्त होने और जिन वस्तुओं का रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है उनके मिलने में देरी से सम्बन्ध रखती हैं।

दूर-संचार सम्बन्धी : तार सेवा सम्बन्धी शिकायतें तारों के संचारण में देरी, उनकी विकृति तथा उनके वितरण न किए जाने के सम्बन्ध में हैं।

टेलीफोन सम्बन्धी शिकायतें अधिकतर स्थानीय दोषों को देरी से दूर करने, ट्रंक काल देरी से मिलाने, स्थानीय और ट्रंक काल के बिलों में त्रुटियों और नए टेलीफोन लगाने तथा उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के बारे में हैं।

(ग) एक शिकायत संगठन भी बनाया हुआ है, जो प्रत्येक शिकायत को देखने के अलावा उन कमियों को दूर करने के लिये कार्यवाही करता है जिनके कारण शिकायतें होती हैं।

डाक सम्बन्धी : विभाग के डाक पक्ष के कार्यसंचालन पर बराबर विचार होता रहता है और जो मनीआर्डर गुम हो गए हैं उनके शीघ्र भुगतान के बारे में हिदायतें दी जा चुकी हैं। मनीआर्डरों और रजिस्टर्ड वस्तुओं की रसीदों को संभाल कर वितरित करने के सम्बन्ध में भी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़े-बड़े कार्यालयों को विभाग ने स्टैप्लिंग मशीनें दे दी हैं जिससे कि रसीदों को वस्तुओं के साथ अच्छी तरह नत्थी किया जा सके। ताकि वे वस्तुओं से अलग न हो जायें और इस प्रकार की शिकायतें न आयें। कर्मचारियों में थोड़ा अदल-बदल करके एक्सप्रेस डिलीवरी वस्तुओं के वितरण के वास्ते अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। प्रशिक्षण केन्द्रों में डाक क्लर्कों के प्रशिक्षण को भी बढ़ा दिया गया है ताकि वे अपना काम अच्छी तरह

कर सकें। कार्यकुशलता में सुधार करने और उत्पादिता बढ़ाने के लिये एक कार्य-कुशलता ब्यूरो और कार्य अध्ययन यूनिट भी बनाये जा रहे हैं।

दूर-संचार सम्बन्धी: इस सम्बन्ध में मॉर्स सम्बन्धी कार्य को आहिस्ता-आहिस्ता हटाकर उसके स्थान पर टेलीप्रिंटरों पर तेजी से काम शुरू किया जा रहा है; खुली तार लाइनों में प्रायः रुकावट हो जाती है उसके स्थान पर को-एक्सियल केबल और माइक्रो-वेव सिस्टमों की व्यवस्था की जा रही है। प्रमुख नगरों में टैलेक्स सेवा शुरू की जा रही है। संचारण के नए तरीकों के जरिये परियात की व्यवस्था करने के लिये टेलिग्राफ आपरेटरों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

टेलीफोन सेवा के बारे में, टेलीफोन के ग्राहकों को कैसी सेवा मिल रही है इसके लिये बराबर निगरानी रखी जा रही है। कैसी सेवा दी जा रही है उसका अन्दाजा लगाने के लिये विशेष यूनिट शुरू कर दिए गए हैं। बढ़े हुए परियात को संभालने के लिये बहुत से केन्द्रों में अतिरिक्त उपकरण दिए जा रहे हैं। उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्दर केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। को-एक्सियल केबलों, माइक्रो-वेव सिस्टमों जैसे नए उपकरणों का प्रयोग करके सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रंक सर्कटों के बड़े ब्लाकों की व्यवस्था की जा रही है। ट्रंक कालों में देरी को कम करने के लिये अतिरिक्त ट्रंक व्यवस्था की जा रही है। टेलीफोन आपरेटरों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपनी कार्यकुशलता और जनता के साथ अपने व्यवहार में शिष्टता के सामान्य स्तर में सुधार कर सकें।

वन विकास

2977. **श्री अदिचन:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना के दौरान वनों तथा वन संसाधनों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(ख) इस कार्य के लिए निर्धारित किया गया कुल धन कितना है;

(ग) इसमें से अब तक कितना खर्च किया जा चुका है; और

(घ) वनों तथा वन संसाधनों के विकास के लिए राज्यों को क्या सहायता दी जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) चौथी योजना के दौरान वन रोपण की वृद्धि, वन संचार के विकास, वन संसाधनों के सर्वेक्षण से सम्बन्धित योजनाओं पर और अधिक बल दिया जाना है, किन्तु चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) चौथी योजना के दौरान वन सम्बन्धी योजनाओं के लिए निर्धारित की जाने वाली कुल राशि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) सन् 1966–67 से क्रियान्वित की गई वार्षिक योजनाओं में सन् 1966–67 और सन् 1967–68 के दौरान राज्यों तथा संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा लगभग 2347 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) "शीघ्र बढ़ने वाली किस्म" सम्बन्धी योजना के लिए राज्य सरकारों को वास्तविक खर्च की सीमा के अनुसार 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है (अधिकतम राशि

200 रुपए प्रति एकड़ होनी चाहिये। "वन संसाधन सर्वेक्षण" योजना को क्रियान्वित करने के लिए 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है। स्टेट सेक्टर में समस्त अन्य वन सम्बन्धी प्लान योजनाओं के लिए सहायता का आदर्श 30 प्रतिशत ऋण तथा 20 प्रतिशत अनुदान है।

दिल्ली में टेलीफोन

2978. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन पत्र इस समय अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) गत वर्ष कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे तथा इस वर्ष कितने टेलीफोन लगाये गए;

(ग) इन आंकड़ों के आधार पर किसी व्यक्ति को टेलीफोन लगवाने के लिये कितना समय लग जाता है; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त में टेलीफोन लगवाने की उचित मांग को पूरा किया जा सकेगा?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) 1-11-67 को 63,021

(ख) 1-4-1966 को

लम्बित आवेदन-पत्र ... 49709

गत वित्तीय वर्ष (66-67) के दौरान लगाये गए टेलीफोनों की संख्या.. 3756

(ग) ओ० वाई० टी० योजना के अधीन अधिक से अधिक 3 से 4 साल तक लगते हैं। सामान्य श्रेणी के अधीन, कुछ क्षेत्रों के लिये आवेदन-पत्र दिसम्बर, 1954 से अनिर्णीत पड़े हैं।

(घ) नए टेलीफोनों की मांग हमेशा बढ़ती जा रही है और यद्यपि उपलब्ध साधनों के अन्दर रहकर टेलीफोन केन्द्रों के उपकरणों के और अन्य आवश्यक सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न जारी हैं तथापि टेलीफोन लगवाने के सभी आवेदनों को 1970-71 के अन्त तक पूरा नहीं किया जा सकता। यदि उस समय तक वर्तमान प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई तो एक और नई प्रतीक्षा सूची बन जायेगी।

हिमालय प्रदेश में ट्रंक काल आफिस

2979. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से ट्रंक काल आफिस खोलने के लिये प्राप्त कितने आवेदन पत्र उनके विभाग में विचाराधीन हैं और उनमें से कितने आवेदन-पत्र एक वर्ष से भी अधिक अवधि से लम्बित हैं; और

(ख) बहुत समय से लम्बित आवेदन-पत्रों को न निपटाने के क्या कारण हैं?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों से ट्रंक काल आफिस खोलने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र 23 स्टेशनों के लिये हैं जिनमें से 7 स्टेशनों के मामले एक वर्ष से ज्यादा अवधि से लम्बित पड़े हैं।

(ख) 9 अगस्त, 1967 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 8476 के उत्तर में यह कहा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में 12 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का विचार था। अभी तक 7 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिए गए हैं और 7 स्वीकृत प्रस्तावों को अभी कार्यान्वित करना बाकी है। सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कमी साधनों की कमी के कारण हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रंक काल आफिस

2980. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पहाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रंक काल आफिस बनाने की मंजूरी देने सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नीति को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में काफी उदार नीति अपनाई जाती है। यदि वार्षिक घाटा अधिक नहीं है तो जिन स्थानों के लिये राज्य सरकार और सुरक्षा अधिकारी सिफारिश करते हैं वहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोलने की मंजूरी दे दी जाती है।

दिल्ली में टेलीफोन केन्द्र

2981. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन केन्द्रों में अधिकतर उपकरण बहुत पुराने हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पुराने तथा अनुपयोगी उपकरणों को बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) अनुपयोगी होने पर पुराने उपकरण को बदल दिया जाता है।

Hindi Advisory Committee

2982. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**

Dr. Surya Prakash Puri: **Shri Ramji Ram:**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether certain decisions were taken by the Hindi Advisory Committee of his Ministry ; and

(b) the time by which those decisions would be implemented?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) :

(a) The Committee has recommended that one Law journal containing reportable judgments of the Supreme Court and another journal containing such judgments of the High Courts be issued in Hindi by a suitable agency functioning under the aegis of the Government of India in the Ministry of Law.

(b) The matter is under examination and it may take some months to arrive at a decision and set up the necessary organisation for carrying out this recommendation.

Publication of Delhi Telephone Directory in Hindi

2983. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Prakash Vir Shastri: **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time by which the decision taken recently in respect of publication of Delhi Telephone Directory in Hindi is likely to be implemented ;

(b) the main hinderances in the way of implementation of the decision taken so far and

(c) whether Government propose to take advantage of the experiences of those States in which telephone directory has already been published in Hindi?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) The Hindi Telephone Directory for the Delhi Telephone System is likely to be brought out by April, 1968.

(b) There have been the following main difficulties :

(1) Lack of suitable personnel for preparation of manuscripts in Hindi. The staff has yet to build the required experience.

(2) Appointment of suitable printers to undertake the work. Response to invitations for tenders issued twice so far, has not been found satisfactory.

(c) Telephone Directory in Hindi has been published only in the U. P. Circle so far. The Hindi translation work done for the information portion of the U. P. Circle Telephone Directory will be of use to some extent for the Hindi Telephone Directory of Delhi.

चावल मिलों को राज्यों द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

2984. **श्री मरंडी :** **श्री मयावन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अब तक चावल मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को क्या सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने नहीं है।

डाक व तार सलाहकार ब्यूरो

2985. **श्री वेदव्रत बरुआ:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग में कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु विशेष अध्ययन करने के लिए देश में डाक व तार ब्यूरो स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) और (ख) नहीं। लेकिन यह बता देता हूँ कि डाक व तार बोर्ड में एक कार्यकुशलता ब्यूरो और एक कार्य अध्ययन एकक का संगठन किया जा रहा है। कार्यकुशलता ब्यूरो का काम ऐसे विशेष अध्ययन करना होगा जो उसे डाक व तार बोर्ड द्वारा सौंपे जायेंगे। प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा डाक तार विभाग की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से कार्य अध्ययन एकक कार्य प्रणाली पर विचार करेगा।

प्रशासनिक ढाँचे और कार्य प्रक्रियाओं की जाँच करने और अर्थ व्यवस्था के अनुसार जन-समुदाय सम्बन्धी सेवाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से सुधारों का सुझाव देने के लिए प्रशासनिक सुधार आयाग ने भी डाक व तार सम्बन्धी कार्य ग्रुप की स्थापना की है।

डाकघर

2986. **श्री वेदव्रत बरुआ : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966–67 में देश में कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव था;

(ख) अब तक कितने डाकघर खोले जा चुके हैं; और

(ग) उक्त अवधि में आसाम में कितने डाकघर खोले गए?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) 2,400, बशर्ते कि नए अतिरिक्त विभागीय डाक घरों के खोलने पर उस समय लगे प्रतिबन्ध हटाये जायें।

(ख) 753 (30-9-67) तक)।

(ग) 42

टेलीफोन केन्द्र

2987. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1966–67 में कितने टेलीफोन केन्द्र खोले गए; और

(ख) 1966–67 में माँग करने पर कितने नए टेलीफोन लगाये गए?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) 184.

(ख) 75,086.

पनाजी पत्तन, गोवा के नाविकों द्वारा हड़ताल

2988. **श्री वि० कु० मोदक : श्री एसथोस :**
श्री नायनार : श्री उमा नाथ:

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पनाजी पत्तन, गोवा में नाविक 1 नवम्बर, 1967 को हड़-ताल पर चले गए;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को तय करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ।

(ख) माँग यह थी कि नाविकों को पत्तन और गोदी श्रमिक माना जाए ताकि उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत केन्द्रीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक बोर्ड की सिफारिशों के लाभ प्राप्त हो सकें।

(ग) यह विवाद, 3 नवम्बर, 1967 को गोवा प्रशासन द्वारा न्यायनिर्णय के लिए भेजा गया। न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिए जाने तक के लिए 15 नवम्बर, 1967 को मालिकों और श्रमिकों के बीच माँगों के सम्बन्ध में समझौता हो जाने के बाद 17 नवम्बर, 1967 को हड़ताल समाप्त हो गई।

Central Wage Board on Jute Industry

2989. **Shri N. S. Sharma:** **Shri A. B. Vajpayee:**
Shri Sharda Nand:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of Jute Industry have not implemented the recommendations of Central Wage Board benefiting the workers ; and

(b) if so, the action being taken for their implementation ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) This matter came up for discussion at the meeting of the Industrial Committee on Jute held at New Delhi on the 28th October 1967. The workers' representatives pointed out that there were cases where the Board's recommendations concerning the issue of Employment-book, payment of fall-back wages and permanency of workers, had not been fully implemented. A statement showing the conclusions reached by the Committee in regard to these matters is laid on the Table of the House [**Placed in Library See. No. LT-1862/67**]. The conclusions have been brought to the notice of the State Governments through whom implementation of the recommendations is being secured.

Telephone Exchange at Collector-Vak-Ganj in Bareilly

2990. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the question of winding up the Telephone Exchange at Collector-Vak-Ganj in Bareilly (U. P.) is under consideration of Government ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if not, whether Government have any scheme under consideration for its expansion and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) The telephone service at Clutterbuckganj is provided by a 50 line SAX parented to Bareilly exchange. There are 39 working connections. The existing exchange is not capable of taking any further connections.

The telephone system at Bareilly is likely to be converted into automatic working within the next three years when all the connections from the present Clutterbuckganj exchange will be transferred to the new automatic exchange. The Department is considering a proposal as to how to meet the demands from Clutterbuckganj area during the interim period, whether

by increasing the capacity of the present SAX exchange or by increasing the capacity of the City manual exchange and transferring all the connections from Clutterbuckgaj area to that exchange in anticipation of conversion to automatic working. No final decision has yet been taken in the matter.

हीराकुड बीज फार्म

2991. **श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हीराकुड बीज फार्म को कितना क्षेत्र अलाट किया गया है और सुधरे बीज उगाने के लिए इस मौसम में वस्तुतः कितने क्षेत्र की बुवाई की गई है;

(ख) स्थानीय लोगों के लिए कितने एकड़ भूमि छोड़ी गई है और कितने एकड़ भूमि बेकार पड़ी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) अनुमानतः हीराकुड फार्म 10,000 एकड़ का होगा। अब तक राज्य सरकार ने फार्म को 2380 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की है। इसमें से अब तक 450 एकड़ भूमि को कृषिगत लाया गया है।

(ख) फार्म से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रमिकों में अनुशासन संहिता

2993. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि केन्द्रीय क्रियान्वित और मूल्यांकन समिति को यह मालूम हुआ है कि सरकारी प्राक्कलनों के अनुसार 1966 में 105 लाख श्रम-दिनों की हानि हुई;

(ख) क्या इस हानि को रोकने के लिये सरकार का कोई अनुशासन संहिता बनाने का विचार है; और

(ग) क्या प्रस्तावित संहिता को कोई सांविधिक अधिकार की व्यवस्था की जायेगी?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) :

(क) 1966 के दौरान कुल 138.46 लाख श्रम दिनों की हानि हुई।

(ख) मई, 1958 में बनाई गई अनुशासन संहिता की धारा 11 (iii) में यह व्यवस्था है कि नोटिस दिए बिना कोई हड़ताल या तालाबन्दी नहीं होनी चाहिए। संहिता की धारा 11 (iv) में आगे यह उल्लेख है कि प्रबन्धक और यूनियनें बैठे रही हड़ताल और अन्दर ठहरे रही हड़ताल तथा तालाबन्दियां टालेंगी। औद्योगिक शान्ति संकल्प यह अपेक्षा करता है कि किसी भी सूरत में उत्पादन को रफ्तार में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सरकार के मतानुसार इस समय आवश्यकता वर्तमान उपबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की है और न कि नई संहिता बनाने की।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया की टिकटों पर प्रतिबन्ध

2994. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया सरकार ने हाल में कुछ टिकटें जारी की हैं, जिनपर दो नग्न स्त्रियों के चित्र अंकित हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी टिकटों के हमारे देश में आने से हमारी नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या हमारे देश में ऐसी टिकटों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिनांक 20-9-1967 को स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति के पाँचवें विश्व सम्मेलन के अवसर पर आस्ट्रेलिया के डाक प्रशासन द्वारा एक विशेष 4 सी डाक टिकट जारी करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध हुई है जिस पर शरीर-रचना पाठ्यपुस्तक ढंग से दो बैठी हुई महिलाओं को इसलिए अंकित किया गया है कि स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति के दो अलग क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके।

(ख) और (ग) प्रथमतया टिकट पर अंकित चित्र अश्लील नहीं है। अतः उसपर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

Fish Drying System

2995. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scientific, cheap and all-weather system or machine for fish drying has been invented by Government ; and

(b) if so, the details of the machine and the report of the progress made at commercial level ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Central Institute of Fisheries Technology, Ernakulam has been working on the design of a fish de-hydration plant ; they have developed a small pilot plant.

(b) The dehydration of fish will be done in a tunnel heated by finned iron pipes carrying steam from a boiler. A blower keeps a steady flow of air over the finned pipes and the air thus heated goes over the fish kept on horizontal trays. For convenience of loading and subsequent transport, the trays are stacked on shelves mounted on trollies. A hygroscopically activated exhaust ensures discharge of air, once the humidity in the tunnel exceeds a certain predetermined level.

The necessary details of pilot plants together with blue prints have been recently made available to the Fisheries Departments. These plants are yet to be established and the question of establishing plants for commercial production will be considered on the results of the pilot-plant studies.

दिल्ली के लिए चीनी का कोटा

2996. **श्री कंवर लाल गुप्त:** **श्री यशपाल सिंह :**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 नवम्बर को चीनी पर से नियंत्रण हटाने के पश्चात् सरकार ने दिल्ली के कोटे में से 2300 क्विन्टल चीनी खुले बाजार में बिक्री के लिए दी है;

(ख) क्या यह निर्णय किए जाने से पूर्व दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस निर्णय का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हाँ। तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति के अधीन सरकार ने नियंत्रित ढंग से वितरण के लिए 1967–68 के दौरान निर्धारित मूल्यों पर केवल 60 प्रतिशत चीनी लेने का निर्णय किया है। यह नीति सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है और सभी राज्यों का कोटा उनके पहले कोटे के अनुपात से कम कर दिया गया है। किसी विशेष राज्य सरकार या प्रशासन से परामर्श करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन ने कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया लेकिन नियंत्रित ढंग से वितरण के लिए सीमित मात्रा उपलब्ध होने के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध उपलब्धि

2997. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध संभरण बढ़ाने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के निकटवर्ती जिलों में सघन पशु विकास कार्यक्रम की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना पर खर्च होने वाला अधिकांश रुपया प्रशासन पर व्यय होता है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के लिए अनुमानत: 313.52 लाख रुपए की लागत से सघन पशु-विकास की 4 केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनायें (2 हरियाणा में तथा एक-एक उत्तर प्रदेश व राजस्थान में) स्वीकार की गई हैं।

योजना का उद्देश्य पशुविकास करना व दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध सम्भरण होने वाले दूध की मात्रा को बढ़ाना है। इस योजना के अन्तर्गत पशु विकास के समस्त पहलू (अर्थात् नियंत्रित चराई, अच्छा चारा, कारगर रोग नियंत्रण, उचित प्रबन्ध तथा विपणन और ग्रामीण डेरी विकास की समन्वित पद्धति) आ जाते हैं।

यह योजना राज्यों के पशुपालन विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और इसके लिए खर्च हुइ वास्तविक धन के आधार पर केन्द्र से 75 प्रतिशत अनुदान व 25 प्रतिशत ऋण प्राप्त हो सकता है।

(ग) योजना के 313.52 लाख रुपए के कुल व्यय की तुलना में प्रशासन पर 9.23 लाख रुपए व्यय हुए हैं। यह व्यय योजना के कुल व्यय का लगभग 2.94 प्रतिशत है जिसे अधिक नहीं कहा जा सकता।

टेलीफोन लगाने की मांग

2998. **श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के बड़े-बड़े नगरों में नए टेलीफोन लगवाने की माँग बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो उस माँग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यह माँग कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ।

(ख) नए केन्द्र खोले जा रहे हैं और उपकरण तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथासम्भव टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार किया जा रहा है।

(ग) आशा की जाती है कि लगभग पाँच वर्षों की अवधि के अन्दर उन आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन मिल जायेगा जिनका नाम इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज है। लेकिन इस दौरान और माँग बढ़ जाने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि

2999. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों की उत्पादिता में प्रोत्साहन योजनाओं और उत्पादन बोनसों से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं और बोनसों को ऐसे उद्यमों में जहाँ वे नहीं हैं, प्रारम्भ करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

विभिन्न विधियों का पुनर्विलोकन

3000. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी**: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कानून पुस्तक की विभिन्न विधियों का पुनर्विलोकन समय-समय पर यह देखने के लिये करती है कि कहीं उनमें से कुछ विधियाँ या उनके भाग अनावश्यक या अप्रचलित तो नहीं हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अंतिम पुनर्विलोकन कब किया गया था; तथा

(ग) क्या निष्कर्ष निकाले गए थे और क्या कार्यवाही की गई थी?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम): (क) जी हाँ।

(ख) 1964।

(ग) निरसन और संशोधन अधिनियम, 1964 (1964 का 52) अधिनियमित किया गया। 93 अधिनियम या तो पूर्णतः या भागतः निरसित किए गए (अधिनियम की अनुसूची 1 देखिए) जबकि 17 अधिनियमों के मामले में संशोधन किए गए (अधियनयम की अनुसूची 2 देखिए)।

लघु सिंचाई योजनाएं

3001. **श्री रवि राय**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखा-रक्षा के कार्यक्रम को सघन खेती में परिवर्तित करने के बाद सन् 1966-67 से पम्प सैटों, नल-कूपों बोर-कम डग कुओं जैसी लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में पम्प सैटों के वितरण और नलकूपों तथा बोर-कम-डग कुओं का ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) सन् 1965-66 तथा 1966-67 के सूखे के बाद लघु सिंचाई कार्यों, विशेषतया कुओं, नलकूपों तथा पम्प सेटों को समस्त देश में बड़ा महत्व दिया गया है और ऐसे कार्यों पर प्लानिंग में बल दिया गया है। सघन कृषि में विशेषतया अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में सिंचाई का महत्व बढ़ने से कुओं, पम्प सैटों आदि की माँग बढ़ गई है। सघन सिंचाई की ओर रुख होने से भी ऐसे कार्यों की आवश्यकता बढ़ गई है। उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) चार परिशिष्ट संलग्न हैं जिनमें (1) गैर सरकारी नलकूप तथा फिल्टर पाइन्टस (2) पम्प सेट (3) राजकीय नलकूपों का निर्माण और (4) कुओं की बोरिंग और गहराई की प्रगति दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1863/67]

उड़ीसा में रेलवे डाक सेवा के डिवीजन

3002. **श्री रवि राय**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में रेलवे डाक सेवा के नये अतिरिक्त डिवीजन मंजूर करने की क्या कसौटी है और इन विभिन्न राज्यों में इस समय रेलवे डाक सेवा के कितने डिवीजन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में रेलवे डाक सेवा का केवल एक डिवीजन है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 11 जनवरी, 1967 को अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ के सम्मेलन के अधिवेशन में अपने उद्घाटन भाषण में तत्कालीन संचार मंत्री ने घोषणा की थी कि उड़ीसा में सम्बलपुर में रेलवे डाक सेवा का एक और डिवीजन स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) किसी डिवीजन में छुट्टी रिज़र्व और साप्ताहिक छुट्टी कर्मचारियों सहित तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या जब 500 या इससे अधिक हो जाती है और डिवीजन के रेलवे मार्ग की लम्बाई 3000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है तो एक नई डिवीजन बनाने के लिए एक विद्यमान रेलवे डाक सेवा डिवीजन की दो शाखायें बनाई जा सकती है।

इस समय विभिन्न राज्यों में रेलवे डाक सेवा डिवीजनों की संख्या इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	4
आसाम, (नागालैंड त्रिपुरा और मणिपुर)	1
बिहार	3
दिल्ली	1
गुजरात	2
जम्मू और काश्मीर	—
केरल	1
मद्रास	3
महाराष्ट्र (गोआ दमन और दीव)	4
मध्य प्रदेश	2
मैसूर	2
उड़ीसा	1
पंजाब (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़)	2
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	3

(ख) जी हाँ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नियोजन कार्यालय

3003. **श्री रविराय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र और कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों के नियोजकों द्वारा कर्मचारियों की संख्या, रिक्त स्थान और कर्मचारियों की कमी सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण तथा कर्मचारियों का व्यावसायिक वर्गीकरण दिखाने वाला अर्द्धवार्षिक विवरण भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो नियोजन कार्यालय, रिक्त स्थानों की पूर्ति हित योग्य व्यक्तियों की व्यवस्था करने में, कहाँ तक सफल हुए हैं; और

(ग) सूचित रिक्त स्थानों का उद्योगानुसार वर्गीकरण और नियोजन कार्यालय द्वारा इनकी पूर्ति सम्बन्धी विवरण ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) (क) जी हाँ।

(ख) सन् 1964 से 1967 के बीच नियोजन कार्यालयों को सूचित तथा इन कार्यालयों की सहायता से भरे गए सरकारी और निजी क्षेत्र के रिक्त स्थानों से सम्बन्धित विवरण संलग्न है (विवरण एक) **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1864/67]**।

(ग) सन् 1964 से 1967 के बीच नियोजन कार्यालय को सूचित रिक्त स्थानों का उद्योगों के अनुसार वर्गीकरण विवरण-दो में दिया गया है। भरे गए रिक्त स्थानों के औद्योगिक वर्गीकरण सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती।

Cooperation Between Agriculture and Industry

3004. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Federation of Chambers of Commerce and Industry had organised a seminar in New Delhi in October, 1967 wherein the issue of economic progress through cooperation between agriculture and industry was discussed ;

(b) if so, the conclusions thereof and the reaction of Government in regard thereto; and

(c) the steps taken by Government for obtaining real cooperation from the industries to agriculture ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. LT-1865/67**].

Production of Hybrid Maize in Mysore

3005. **Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of hybrid maize in Mysore is rising very fast and the Chief Minister of Mysore has offered to supply large quantities of maize to other States ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture , Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) and (b) Yes, Sir. A communication was received from the Chief Minister of Mysore intimating that an area of about 80,000 acres has been under hybrid maize in his

State this year and that Mysore will be in a position to offer large quantities of this commodity for industrial uses. The State Goverment, however, have not indicated precisely the quantities that they will be able to spare for use in other States.

Unemployed Persons

3006. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Labour** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at the beginning of the Fourth Five Year Plan the number of unemployed persons was about 10 lakhs which is likely to increase to 230 lakhs during the period of the Fourth Plan ; and

(b) the measures Government propose to take to end the increasing unemployment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The number of unemployed persons estimated by the Planning Commission in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan is as follows :

March 1966	9 to 10 million
March 1971	13 to 14 million.

(b) The various development programmes envisaged in the Annual Plans are likely to provide more employment opportunities for the unemployed.

उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजनाएं

3008. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1966–67 में उड़ीसा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजनाओं पर किए गए खर्च के आंकड़े सरकार को मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ;

(ग) कितनी राशि-योजनाओं पर वास्तविक रूप से खर्च की गई;

(घ) सन् 1967-68 के लिए निर्धारण कितना था और वह किस प्रकार खर्च किया गया।

(ङ) सन् 1968-69 के लिये क्या व्यवस्था है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) 'समुद्री मछलियों के सघन उत्पादन प्रक्रिया तथा विपणन' की योजना के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि सन् 1966–67 के दौरान 26.19 लाख रुपये के मुकाबले 20.97 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। मत्स्य विकास निगम, उड़ीसा ने सूचित किया है कि सन् 1966-67 में गहरे समुद्र और समुद्र में तट से थोड़ी दूर मछली पकड़ने के लिए 1.08 लाख रूपये की व्यवस्था के मुकाबले 46,000 रुपये खर्च हुए।

(घ) सन् 1967–68 के लिए "समुद्री मछलियों के सघन उत्पादन, प्रक्रिया तथा विपणन" की योजना के हेतु 22.04 लाख रुपये की व्यवस्था है जिसका पूर्णतया उपयोग उड़ीसा सरकार द्वारा हो सकने की सम्भावना है। गहरे समुद्र और समुद्र में तट से थोड़ी दूर मछली पकड़ने की योजना के लिए 2 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें से अब तक 35,000 रुपये खर्च हुए हैं।

(ङ) सन् 1968–69 के लिए उड़ीसा सरकार की योजना समुद्री मछलियों के संघनन उत्पादन, प्रक्रिया तथा विपणन के लिए 26.00 लाख रुपए की व्यवस्था है। सन् 1968–69 के दौरान गहरे समुद्र तथा समुद्र में तट से थोड़ी दूर मछली पकड़ने की योजना पर खर्च करने हेतु स्टेट फिशरीज़ डिवलपमेन्ट कार्पोरेशन, उड़ीसा के लिए 8 लाख रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

सिंगापुर की एक कम्पनी का चावल बेचने का प्रस्ताव

3009. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1967 के 'फ्री प्रेस जनरल' में केरल के मंत्री श्री कोया के प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंगापुर की एक कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार भाव पर केरल को 1 लाख टन चावल बेचने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव / संभाव्यता का लाभ उठाने का प्रयत्न किया गया था; और

(ग) यह चावल किस मूल्य पर उपलब्ध हो सकता था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे :) (क) से (ग) केरल के शिक्षा मंत्री, श्री कोया का वह वक्तव्य सरकार ने नहीं देखा है जिसका कि उल्लेख किया गया है। सिंगापुर की एक कम्पनी ने 58 पौंड स्टर्लिंग प्रतिटन 'सी एण्ड एफ' की दर से इटली के 50,000 टन चावल का प्रस्ताव रखा था और इसके बाद इसने यूरुप में अपने मालिकों की ओर से 100,000 टन और इटली चावलों की 163/50 अमरीकी डालर प्रति टन 'सी एण्ड एफ' की दर से भी पेशकश की। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार द्वारा की गयी पूछताछ से पता चला कि प्रस्ताव सच्चे नहीं थे और उन को कार्य रूप देने की कोई संभावना नहीं थी।

राज्यों को खाद्यान्न के कोटे का नियतन

3010. **श्री मधु लिमये**
श्री ग० चं० दीक्षित :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री निहाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने जून, 1967 से अब तक विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न का कितना-कितना मासिक कोटा नियत किया है;

(ख) राज्यों को प्रतिमास खाद्यान्न की वस्तुतः कितनी मात्रा भेजी गई;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा भेजे गये खाद्यान्न तथा राज्यों द्वारा प्राप्त खाद्यान्न के आँकड़ों में अन्तर है;

(घ) यदि हाँ, तो कितना; और इस अन्तर का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1866/67]**

(ग) से (ङ) राज्य विशेष को एक महीने में जितना अनाज भेजा जाता है, उसी महीने में उस राज्य को वह पूरी मात्रा में नहीं मिलता। जो अनाज राज्य में पहुँचता है उसमें कुछ तो वह अनाज

होता है जो उसे पिछले महीने भेजा गया और कुछ वह होता है जो उस महीने के दौरान भेजा जाता है। इस प्रकार महीने के दौरान भेजे गये अनाज और उसी महीने में राज्य को प्राप्त अनाज के आँकड़ों में सदा अन्तर रहेगा। राज्य सरकारों को मिले अनाज के आँकड़े सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिये जितना अनाज भेजा गया है और जितना अनाज राज्यों को मिला है, उसके आँकड़ों का अन्तर नहीं बताया जा सकता।

राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई

3011. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा सप्लाई किये जाने वाले / भेजे जाने वाले तथा राज्यों / आटा मिलों द्वारा प्राप्त खाद्यान्नों में अन्तर अथवा कमी के फलस्वरूप जनता को होने वाली हानि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कमी अन्तर कितने / प्रतिशत है;

(ग) गत 2–3 वर्षों में धन के रूप में कितनी हानि हुई; और

(घ) इस हानि को रोकने के लिये और इस अन्तर/कमी को पूर्णतया समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ राज्यों और आटा मिलों से इस प्रकार के अन्तर या कमी के बारे में कुछ शिकायतें सरकार को मिली हैं।

(ख) केन्द्रीय भण्डार डिपो, राज्यों और बेलन आटा मिलों को पत्तनों से अनाज भेजा जाता है। केन्द्रिय भण्डार डिपो से भी राज्यों और बेलन आटा मिलने को अनाज भेजा जाता है। यदि मार्ग में अनाज की मात्रा कम हो जाये तो माल पाने वाला रेलवे पर सीधे दावा कर देता है। राज्यों या बेलन आटा मिलों द्वारा रेलवे पर किये गये दावों के विषय में सामान्य रूप से सरकार को सूचना नहीं दी जाती। केन्द्रीय डिपो में जितना अनाज कम पहुँचता है सरकार को उसकी सूचना वहाँ से नियमित रूप से मिल जाती है। मार्ग में हुई हानि 1964–65 में 0.31 प्रतिशत, 1965–66 में 0.29 प्रतिशत और 1966-67 में 0.47 प्रतिशत रही है।

(ग) क्योंकि पिछले दो या तीन वर्षों में राज्यों तथा बेलन आटा मिलों द्वारा प्राप्त अनाज में कमी के बारे में सरकार के पास कोई नियमित रूप से सूचना नहीं है, इसलिये यह बताना सम्भव नहीं कि मार्ग में इस प्रकार हुई हानि रुपयों के रूप में कितनी थी।

(घ) पिछले दो वर्षों में भारी मात्रा में अनाज के आयात और अभावग्रस्त क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर अनाज भेजने की अत्यावश्यकता का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की हानि कम से कम होने देने के सब प्रकार से प्रयत्न किये गये।

पूंजी लगाने से पहले वनों का सर्वेक्षण करना

3012. **श्री भरंडी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए वनों से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री की आर्थिक उपलब्धि के विषय में जाँच करने के लिए पूंजी लगाने से पहले वनों का जो सर्वेक्षण 1965 में शुरू किया गया था क्या वह पूर्ण हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) लकड़ी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए क्या-क्या व्यावहारिक कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Handbook on Elections

3013. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8247 on the 8th August, 1967 and state :

(a) whether the Hand-book for candidates contesting Parliamentary and Assembly Elections has since been published ;

(b) if so, the number of its copies published in Hindi and English, separately ; and

(c) if not, the time likely to be taken in the matter ?

The Minister of Law (Shri Govind Menon) :

(a) to (c) No, Sir. The handbook is expected to be published in English by the end of February, 1968. Thereafter Hindi Edition of the same will be published.

Loss of Terylene from Super Bazar, Delhi

3014. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 65 metres of terylene worth Rs. 3750/-mysteriously disappeared from the Super Bazar, Delhi, last year ;

(b) whether any search was made for the lost goods or whether these were written off ;

(c) whether a report was lodged with the Police regarding the stolen goods ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy). :

(a) No, Sir. However, in August 1967, 48½ meters of terylene cloth costing about Rs. 2,430 is reported to have been stolen from the Super Bazar.

(b) Yes, Sir. A search was made. The goods have not yet been written off.

(c) Yes, Sir.

(d) The police have not been able to trace the theft.

Food Supply to Flood Affected Areas

3015. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of foodgrains distributed amongst the flood stricken people in the country by the Central and State Governments this year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

The Central Government allotted a quantity of 9147 tonnes of gift foodgrains for free distribution amongst the flood affected people in the following States :

Bihar	5547 tonnes
Uttar Pradesh	1000 tones
West Bengal	2000 tonnes
Rajasthan	600 tonnes

All the States were requested to intimate the quantity of foodgrains distributed by them amongst the flood stricken people this year. Replies have so far been received from 15 States and Union Territories and the position is indicated below :

(a) The Govt. of Andhra Pradesh and the Administrations of Manipur and Pondichery have intimated that there were no floods in their territories this year.

(b) The Governments of Kerala and Nagaland and the Administrations of Andaman and Nicobar Islands, Goa and Tripura have intimated that no foodgrains were distributed by them in flood affected areas this year.

(c) The State Governments of Bihar, Orissa, Madras and Maharashtra and the Delhi Administation have intimated that they have disrtibuted the following quantitites of foodgrains amongst the flood stricken people :—

Bihar	..	1,238.007 tonnes
Orissa	..	1,108.000 tonnes
Delhi	..	455.900 tonnes
Madras	..	·600 tonnes
Maharashtra	..	·430 tonnes

One bag of Suji was also distributed in the Madras State.

(d) The Govt. of Uttar Pradesh allotted a total quantity of 1,41,650 tonnes during July-October, 1967 to 25 districts for tiding over scarcity conditions created by natural calamities including drought and flood. The quantity of foodgrains distributed by them as gratuitous relief amongst the flood striken people has not been intimated by them. The information will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

(e) The Punjab Govt. did not distribute any foodgrains amongst the flood-stricken people. But they made cash grants totalling Rs. 1 lakh for distribution amongst the needy and poor families at the rate of 70 paise per head per day for a period of one month in villages where more than 50% of the crops had been damaged by floods. Foodgrains depots were opened in the affected villages where the families concerned could purchase wheat flour etc. after making cash payment.

Information from the remaining States is still awaited and will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

Telephone and Trunk Call Bills i n respect of Jammu and Kashimir Circle

3016. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of trunk calls booked from Jammu and Kashmir circle for foreign countries during the period from 1st. January to 30th November, 1967 ; and

(b) whether State Government have made the payment of the trunk call bills and if not, the amount still remaining unpaid ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha soon.

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भारत के रिजर्व बैंक में प्लाटों के लिये जमा कराये गये रुपये

3017. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये हुए 1400 से अधिक विस्थापित व्यक्तियों ने कालकाजी में प्लाटों के लिये पुनर्वास विभाग के अनुदेशानुसार नयी दिल्ली स्थित भारत के रिजर्व बैंक में लाखों रुपये जमा किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों ने अब तक कुल कितनी राशि जमा की है;

(ग) क्या मकानों के बनाने के लिये इस कालोनी को पूर्णत: विकास किया जा चुका है और पानी तथा बिजली की सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इन प्लाटों को इन व्यक्तियों को कब तक आवंटित करने का है ताकि वे मकान बनाने आरम्भ कर दें; और

(ङ) इस अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):(क) और (ख) उक्त योजना के अधीन 1364 आवेदकों ने अपनी देय राशि की पहली किश्त जमा करवा दी है और इस प्रकार की प्राप्त धन-राशि लगभग 15 लाख रुपये है।

(ग) से (ङ) जैसे 21 नवम्बर, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 के भाग (क) के उत्तर में पहले बताया गया था कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्तापित व्यक्तियों के लिये कालकाजी कालोनी में प्लाटों के विकास का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बहिरंगे सेवाओं की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम को करनी है जिन्हें इस कार्य के लिये पहले ही धनराशि दी जा चुकी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई समय सूची के अनुसार यह कार्य मार्च, 1968 तक पूरा हो जाने की आशा है और अलाटमेंट का कार्य उसके बाद तत्काल आरम्भ कर दिया जायेगा।

चावल उत्पा

3018. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की उपज प्रति एकड़ क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि एक विशेष किसान 50.55 मन प्रति एकड़ बासमती और 70–75 मन प्रति एकड़ चाइना–4 पैदा करने में सफल हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1966-67 के दौरान धान की अखिल भारतीय औसत उपज 346 किलोग्राम/एकड़ थी। पिछले 4 वर्षों के दौरान औसत उपज निम्नलिखित थी :—

1962–63	37 किलो/एकड़
1963–64	418 किलो/ कड़
1964–65	434 किलो/ एकड़
1965–66	352 किलो/एकड़

(ख) जो नहीं। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) द्वारा खाद्य को मुख्य फसलों पर जिनमें धान शामिल है राष्ट्रीय प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सन् 1966-67 के दौरान धान पर जिनमें किस्म चाइना-4 शामिल है, 3 प्रदर्शन किए गए। इस किस्म की प्राप्त की गई उच्चतम उपज 1978 कि० ग्राम एकड़ या 52.91 मन/एकड़ थी। यह प्रदर्शन ग्राम मदना, कुर्की, जिला फैज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) के श्री ठाकुरदीन वर्मा के फार्म में किया गया था। अन्नपूर्णमती किस्म राष्ट्रीय प्रदर्शनों में शामिल नहीं की गई थी।

पंजाब से खाद्यान्नों की तस्करी

3019. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब राज्य से खाद्यान्नों का तस्कर व्यापार बहुत हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बुराई का कारगर ढंग से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने खाद्यानों के बड़े पैमाने पर हो रहे तस्कर व्यापार को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों पर पुनर्विचार किया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब सरकार ने यह सूचित किया है कि पंजाब राज्य से संगठित रूप से चोरी छिपे अनाज नहीं लाया जाता। फिर भी चोरी छिपे थोड़ा बहुत अनाज लाने के कुछ मामले हो सकते हैं।

(ख) चोरी छिपे अनाज लाये जाने के विरुद्ध जो उपाय किया गये है उनमें एक यह है कि राज्य के अन्दर ही सारी सीमा पर पाँच मील का एक क्षेत्र है जिसमें अनाज लाया या ले जाया नहीं जा सकता। परमिट के बिना गैर-सरकारी व्यापार के लिये अनाज लाया या ले जाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त विभिन्न विशेष स्थानों पर इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिये कई स्थान हैं और उनमें काफी कर्मचारी तैनात हैं और तस्कर व्यापार को रोकने के लिये द्रुतगामी दस्ता भी तैनात किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में साधारण निर्वाचनों में सरकारी सेवकों का भाग लेना

3020. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब सरकार के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों ने पिछले निर्वाचनों में सक्रिय भाग लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह बात पंजाब सरकार के ध्यान में लाई गई है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) से (ग) जब कि पछले साधारण निर्वाचन आरम्भ होने वाले थे, निर्वाचन आयोग में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें यह अभिकथन किया गया था कि पंजाब राज्य सरकार

के राजपत्रित और अराजपत्रित, दोनों प्रकार के, कर्मचारियों ने साधारण निर्वाचनों में भाग लिया। ये सभी शिकायतें, आवश्यक कार्यवाही की जाने के लिए तुरन्त पंजाब सरकार के ध्यान में लाई गई थीं। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जो जाँच की गई उससे यह पता चला कि ये अभिकथन या तो गलत थे या निराधार थे।

दिल्ली में बेरोजगारी

3021. **श्री दो० चं० शर्मा** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बेरोजगार लोगों की संख्या में हाल ही के कुछ वर्षों में, वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ तो 31 अक्तूबर, 1967 को, पिछले वर्ष की तुलना में, कुल बेरोजगार लोगों की संख्या क्या थी ; और

(ग) इस समस्या का हल खोजने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) दिल्ली के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1966 में यह संख्या 75273 थी जो अक्तूबर, 1967 में 75584 हो गई।

(ग) वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा, आशा है, बेरोजगार लोगों की बढ़ी हुई संख्या में रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

कलकत्ता में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना

3022. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार तथा खाद्य और कृषि संगठन के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो करार की मदों को कार्यक्रम देने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ, इस करार पर 26-10-67 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) परियोजना की क्रियान्विति के बारे में कार्यवाही की जा रही है। परियोजना की अवधि 5 वर्ष की है। आशा है इस अवधि में समस्त मदें पूरी हो जायेंगी।

Super Bazars of Delhi

3023. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons employed in the Super Bazars of Delhi ;

(b) the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and female employees amongst them ;

(c) the number of employees recruited through Employment Exchanges under the Ministry of Labour and Employment and the number of those recruited directly ; and

(d) the reasons for direct recruitment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) The total number of persons employed in Super Bazars of Delhi as on 31st October, 1967, was 1115.

(b) There were 312 female employees as on 31st October, 1967, The Super Bazar has not maintained caste-wise record and the information relating to the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees is not available.

(c) About 350 employees were recruited through Employment Exchanges. Excepting about a dozen deputationists, all others were directly recruited.

(d) Candidates for all categories of employees were not available with the Employment Exchanges. The Super Bazar is a cooperative organisation and is not bound by law to make recruitment only through Employment Exchanges.

कीट-रोधक उपायों के लिए वित्तीय सहायता

3024. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को कीट-रोधक उपायों के लिए पर्याप्त धन देती है; और

(ख) यदि हाँ, तो सन् 1967–68 में बिहार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) जी हाँ। पीड कीटों तथा रोगों के विरुद्ध नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के लिए पीड रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों को निम्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी है:—

1. राज्य सरकारों को पीड रक्षा प्लान योजनाओं के सम्बन्ध में किए गए खर्च का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को कीटनाशक औषधियों के खरीदने पर 50 प्रतिशत खर्च अल्पकालीन ऋण पाने के लिए हकदार है। कपास, तिलहन तथा खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हवाई स्प्रेइंग करने में जो खर्च आता है (यदि गैर-सरकारी स्रोत से कराया जाए) उसका 66 प्रतिशत तक सहायता के रूप में दिया जाता है। जब भारत सरकार के एयरक्राफ्ट द्वारा हवाई स्प्रेइंग की जाती है तो उस पर 2 रुपये प्रति एकड़ लिया जाता है। पीड रक्षा के लिए योजनाओं को स्टेट प्लानों में कृषि उत्पादन योजनाओं का रूप दिया जाता है। ऐसी योजनाओं के लिए प्रति वर्ष पर्याप्त धन दिया जाता है। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह धन को एक योजना से दूसरी योजना में लगा सकते हैं। इन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता विकास के प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत दी जाती है, योजनावार नहीं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि बिहार सरकार को स्टेट-प्लान प्रोग्रामों में कीट-रोधक उपायों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई। राज्य सरकारों ने किसी अल्प-कालीन ऋण के लिए अभी प्रार्थना नहीं की है।

2. यह भी बता दिया जाए कि भारत सरकार कृन्तक नियंत्रण उपायों में प्रयोग के लिए कृन्तकनाशी औषधियों की खरीद पर 100 प्रतिशत अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त रोग निरोधक आधार पर पीड रक्षा और बड़े पैमाने पर फसल महामारी से सम्बन्धित उपायों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी राज्य सरकारें कुछ सहायता प्राप्त कर

सकती हैं। सन् 1967–68 के दौरान भारत सरकार ने बिहार सरकार को अब तक कृन्तक नियंत्रण योजना के लिये 3 लाख रुपये और रोग निरोधक चिकित्सा के लिए 0.32 लाख रुपये निर्धारित किए हैं। ये खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा नहीं।

दिल्ली सहकारी किसान बहु प्रयोजनीय समिति

3025. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 11 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5222 के उत्तर के प्रसंग में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब दिल्ली सहकारी किसान बहुप्रयोजनीय समिति की अनियमितताओं की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विलियर स्प्रे मशीनें

3026. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 11 जुलाई, 1967 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5232 के उत्तर के विषय में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक तकनीकी विकास ने विलियर स्प्रे मशीनों के विषय में शिकायतों की जाँच पूर्ण कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) और (ख) विलियर स्प्रे मशीनों का निर्माण भारत में नहीं होता; केवल विलियर इंजनों का निर्माण होता है। महानिदेशक तकनीकी विकास ने इस मामले में जाँच करके पता लगाया है कि अधिकांश शिकायतों का कारण उन मशीनों के विषय में ज्ञान का अभाव होना था जिनमें विलियर इंजन लगे थे। इंजनों के कार्य करने में भी कुछ त्रुटियाँ पाई गईं। विनिर्माताओं ने प्रयोग करने वालों तथा मिस्त्रियों को मशीनों के उचित रख-रखाव व उनके चलाने के विषय में प्रशिक्षण देने के बारे में अनेक कदम उठाये हैं। उन्होंने क्रय के पश्चात् सेवा करने वाले अपने संगठन को भी सुदृढ़ किया है। इससे स्थिति में सुधार हुआ है और हाल ही में महानिदेशक तकनीक विकास के पास कोई शिकायतें नहीं आई हैं।

East Bengal Refugees

3027. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of East Bengal refugees who were given employment and land in Dandakaranya and the number out of them to whom Government propose to provide with employment ;

(b) the area of land which has been developed and the nature of irrigation facilities made available to these refugees ; and

(c) the scheme Government have in mind to convert Dandakaranya into an industrial area for refugees in Madhya Pradesh ?

The Deputy-Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Upto the end of October, 1967, 10527 families (10,201 agriculturists and 326 non-agriculturists) of displaced persons from East Pakistan have been resettled in the Dandakaranya Project area. The number of families awaiting resettlement in the Transit Centres of the Project is 530.

(b) As on 31.10.1067, 1,10,914 acres of land have been reclaimed. Out of this area land placed at the disposal of State Governments for allotment to landless Adivasis is 24,634 acres. The area cultivated by d.ps from East Pakistan in the 1967 Kharif was 57,200 acres.

Two dams namely, Bhaskal (Umerkote) Dam in Orissa and Pakhanjore Dam in Madhya Pradesh have been completed at a cost of about Rs. 1 crore. Two more dams namely, Deoda (Paralkote) Dam in Madhya Pradesh and Stiguda (Malkangiri) Dam in Orissa costing about Rs. 2 crores each have been taken up. Besides, 29 minor irrigation schemes have been completed at a cost of about Rs. 7.5 lakhs. 9 such schemes are under execution and 10 schemes are under investigation.

(c) The Industrial Schemes envisaged for the Dandakaranya Project area on the basis of a broad techno-economic appraisal include Cement, Paper and Pulp Plant, Spinning Mill and factories for Hard-board, Particle Board, Plywood, R.C.C. Pipes, Stoneware Pipes, Asbestos Sheets, Glassware and Agricultural implements. Various agencies are carrying out further surveys and investigations with a view to formulating feasibility studies and Project reports. In the meantime, schemes for certain training and small scale units for lime burning, umbrella manufacture, printing press and book binding and tiles have been formulated and are being implemented by the Dandakaranya Project Administration.

राजस्थान में भाण्डागार

3028. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से राजस्थान में भाण्डागारों के निर्माण के लिये नियत किये गये लक्ष्य पूर्ण हो गये हैं।

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण है;

(ग) इस प्रयोजन के लिये गत तीन वर्षों में इस राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई; और

(घ) क्या इस पूर्ण राशि का उपयोग किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में भाण्डागारों के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार ने सीधे रूप से कोई धन-राशि नियत नहीं की। फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा राज्य भाण्डागार निगम के राजस्थान में भाण्डागार निर्माण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	भण्डारों की संख्या		भण्डारों की संख्या	
	केन्द्र	क्षमता टन	केन्द्र	क्षमता टन
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	3	15,400	3	15,400
राज्य भाण्डागार निगम	18	36,000	15*	22,860

*(इनमें वे सात भाण्डागार भी सम्मिलित हैं जिनका तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में निर्माण हो रहा था.)

(ख) जितने भाण्डारगारों क निर्माण का लक्ष्य था वह धन के अभाव के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर के कारण ये प्रश्न नहीं उठते।

अर्गट रोग के कारण हानि

3029. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संकर बाजरा बीजों को प्रभावित करने वाले अर्गट रोग के कारण ढूंढ़ लिए गए हैं;

(ख) क्या इस रोग को नष्ट करने के लिये कोई केन्द्रीय कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1867/67] ।

राजस्थान में खाद्य उत्पादन

3030. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि राजस्थान सरकार को 1967-68 की अवधि में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कितनी रकम की सहायता देनी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित प्लान कार्यक्रमों के दो विकास शीर्षकों अर्थात् (1) कृषि उत्पादन (भूमि विकास सहित) तथा (2) लघु सिंचाई के अन्तर्गत आती है। 1967-68 की अवधि में योजनाओं की क्रियान्वित के लिये उपरोक्त विकास शीर्षकों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के लिए ऋण के रूप में 201.00 लाख रुपए तथा अनुदान के रूप में 110.88 लाख रुपए का नियतन किया गया है। अन्तिम रूप से दी जाने वाली रकम की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार ने वर्ष भर में वास्तव में क्या खर्च किया है।

संयुक्त राज्य श्रम संगठन से सहायता

3031. **श्री शिवचन्द्र झा**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ए० एफ० एल०-सी० आई० ओ० या किसी अन्य निकाय जैसे संयुक्त राज्य (अमरीका) श्रम संगठनों से भारतीय श्रम संगठनों को किस किस्म की सहायता प्राप्त होती है;

(ख) कौन-कौन से भारतीय श्रम संगठन इस प्रकार की सहायता हर साल नियमित रूप से मुद्रा के रूप में, साहित्य के रूप में या मजदूर यूनियन नेताओं की अदला-बदली में प्राप्त करते हैं;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान भारतीय श्रम संगठनों को संगठनवार कुल कितनी सहायता दी गई; और

(घ) पिछले वर्ष कितने और किन किन भारतीय श्रम संगठनों के मजदूर यूनियन नेता संयुक्त राज्य (अमेरिका) गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) से (घ) ए० एफ० एल०—सी० आई० ओ० से भारतीय मजदूर यूनियन संगठन को इस प्रकार की सहायता दिए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

त्योहारों के अवसरों पर डाक सम्बन्धी रियायत

3032. **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि होली, विजयदशमी, दीवाली, और क्रिसमिस जैसे त्यौहारों के अवसर पर डाक सम्बन्धी विशेष रियायतें दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रियायतें दी जाती हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अन्य नगरों में लागू करना

3033. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कुछ अन्य नगरों में लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या बीमाशुदा श्रमिकों के परिवार-सदस्यों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा योजना समय-समय पर नए क्षेत्रों पर लागू की जा रही है।

(ख) और (ग) : एक विवरण, जिसमें उन केन्द्रों के नाम दिए गए हैं, जिनपर 1–4–1967 से यह योजना लागू की गई है, संलग्न है; इस विवरण में वे तारीखें भी दी गई है, जिनसे परिवार इसके अन्तर्गत आते हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1868/67)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सर्कस कर्मचारियों की कार्य की दशाएं

3034. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्कस कर्मचारियों के रक्षण और सुरक्षा के बारे में सरकार को अखिल भारत सर्कस कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उसने सकेंस कर्मचारियों के रहन-सहन और कार्य दशाओं की एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय द्वारा जाँच कराने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कर्मचारी संघ की माँगो को पूरा कराने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) जी हाँ। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो निदेशक को जाँच करने को कहा गया है और उन्होंने मार्गदर्शी अध्ययन पूरा कर लिया है।

जैक ट्रैक्टरों की लागत

3035. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवमूल्यन से पूर्व जैक माडल 2011 ट्रैक्टरों की लागत, 2000 के आयात के लिए ठेका और किसानों को किस मूल्य पर बेचा जायगा;

(ख) उपरोक्त जैक ट्रैक्टर की और आयातित रूसी डी टी–14 बी ट्रैक्टर की तुलना;

(ग) जब लोकप्रिय रूसी ट्रैक्टर आधे मूल्य पर उपलब्ध हैं फिर जैक ट्रैक्टर आयात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 2,000 जैटर 2011 ट्रैक्टर जो जैकोसलाविया से आयात किए जा रहे हैं में से 1,000 बिल्ट-अप स्थिति में और 1,000 सी के डी पैकस में आयात किए जायेंगे। पूरे तौर से बिल्ट-अप ट्रैक्टर का मूल्य 9373 रुपये है और सी० के० डी० पैक का मुल्य 9017 रुपये है विल्ट अप ट्रैक्टर सी० आई० एफ० मूल्य तथा अन्य खर्चों पर 15 प्रतिशत मार्जन से एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा बेचे जायेंगे।

(ख) और (ग) जैक 2011 तथा रूसी डी० टी०–14बी० ट्रैक्टरों की तुलना नहीं हो सकती। पहले में दूसरे से अधिक अश्व शक्ति है। दोनों का ही ट्रैक्टर ट्रेनिंग ऐण्ड टैस्टिंग स्टेशन, बुदनी में निरीक्षण हुआ था और यह देखा गया कि जैटर 2011 ट्रैक्टर में वह सभी विशेषता है जो एक कृषि ट्रैक्टर में होनी जरूरी है और इस क्षेत्र में यह नवीनतम डिजाइन वाला है। यह आवश्यक समझा गया कि किसानों को सस्ती मशीनें नहीं बल्कि बेहतर मशीनें दी जानी चाहिये।

रूसी डी टी–14 बी ट्रैक्टर का सी० आई० एफ० मूल्य 5513 रुपए हैं और डिपो से बाहर को विक्रय मूल्य 6931 रुपए हैं।

Super Bazars

3036. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Super Bazars opened in the country and the cities in which they have been opened ;

(b) the profit earned or loss suffered by Government in Super Bazars so far ;

(c) the number of other cities in which Government propose to open Super Bazars ; and

(d) the details of the goods imported from abroad for Super Bazars and value thereof in terms of rupees ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) 48 department stores have so far been opened in the country. The names of the cities in which they are opened are at Annexure I, [**Placed in Library See No. LT-1869/67.**]

(b) The Government has not earned profits or suffered losses in these department stores since they have been set up by Consumer Wholesale Stores and not by the Government. A statement showing profit and loss position of the 38 department stores which were set up by the end of the cooperative year 30th June, 1967 is at Annexure II. [**Placed in the Library See No. LT-1869/67.**]

(c) In about 40 more cities, Government will assist the cooperative consumer stores to set up department stores.

(d) No import licences were given to the super bazars as such. Annexure III, however, indicates the details of the licences given for import of goods from abroad and the value thereof for all the consumer stores in the country, during 1967-68. [**Placed in Library See No. LT-1869/67**].

Promotion in Rationing Department, Delhi

3037. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Rationing Department of Delhi, who were promoted from the posts of Clerks to those of Inspectors ; and

(b) the numbers of male and female employees separately working in this Department ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Thirteen Clerks in the Rationing Department of Delhi have been promoted as Inspectors.

(b) 890 males and 82 females.

Development Blocks in Bihar and U. P.

3038. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Development Blocks in Bihar and Uttar Pradesh and the number of Gazetted and Non-Gazetted officials working in them ;

(b) the amount of annual expenditure incurred thereon ;

(c) the number of agricultural implements and the quantity of seeds and fertilizers distributed through this medium during the last five years ; and

(d) the names of institutions being run by them for social welfare ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) to (d) The information called for from the States, is awaited ; the same will be placed on the Table of the House in due course.

भारतीय डेरी अनुसंधान संस्थान

3039. **श्री राम कृष्ण गुप्ता:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डेरी अनुसन्धान संस्थान करनाल में हुए परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि संकर नस्ल की गायें अन्य भारतीय गायों से अधिक दूध देती हैं और उनकी दुग्ध क्षमता पश्चिमी गायों जितनी होती है;

(ख) यदि हाँ, तो समस्त देश में संकर-नस्ल की गायों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) चतुर्थ योजना की अवधि में संकर नस्ल को बढ़ावा देने की योजनाओं का क्या ब्यौरा है और चतुर्थ योजना के अन्त तक दुग्ध उत्पादन किस सीमा तक बढ़ जाने की सम्भावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ। भारतीय डेरी अनुसन्धान संस्थान में हुए परीक्षणों से पता चला है कि संकर नस्ल की गायें अन्य भारतीय गायों से बहुत अधिक दूध देती हैं और उनकी दुग्ध क्षमता पश्चिमी देशों की गायों जितनी है। दूध देने की यह क्षमता संलग्न विवरण से स्पष्ट हो जाती है (विवरण I) [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1870/67**)।

(ख) और (ग) गायों की संकर नस्लों को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए/ उठाये जा रहे हैं:—

1:—जर्सी तथा होल्सटेन फ्रीज़ियन आदि विदेशी नस्लों के साण्डों का वीर्य एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर के दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र में एक केन्द्रीय वीर्य एकत्रिकरण केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र की स्थापना दूसरी योजना की अवधि में की गई थी। विभिन्न राज्यों से माँग आने पर इस केन्द्र से आवश्यकता अनुसार वीर्य संभरण किया जाता है।

2—पर्वतीय पशु विकास योजना को तीसरी योजना की अवधि में शुरू किया गया था। चौथी योजना की अवधि में इस योजना का विकास करने का प्रस्ताव है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

3—कटौला (हिमाचल प्रदेश) तथा हैसरघाटा (मैसूर राज्य) में दो केन्द्रीय जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्मों की स्थापना की गई है। चतुर्थ योजना की अवधि में इन फार्मों का और विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त केरल राज्य की इण्डो स्विस प्रोजेक्ट तथा मैसूर राज्य की इण्डो डेनिश प्रोजेक्ट के अधीन ब्राउन स्विस तथा रेड डेन नस्लों की वृद्धि के लिए पशु पाले जा रहे हैं।

4—'हीफर प्रोजैक्ट्स' तथा 'सोसायटी फार दोज़ हू हैव लैस' आदि संस्थाओं की सहायता से अब तक जर्सी, होल्सटेन फ्रीज़ियन तथा ब्राउन स्विस नस्लों के 551 विदेशी पशु (जिनमें अधिकांश साँड हैं) आयात किए गए हैं। भविष्य में ऐसे और पशुओं का आयात करने का प्रस्ताव है।

5—चतुर्थ योजना की अवधि में विदेशी नस्लों की गायों व साँड़ों के लिए दो केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक फार्म में 300 गायें तथा 20 साँड़ होंगे। इन फार्मों के पशु ऐसे राज्य फार्मों/सघन पशु विकास परियोजनाओं/अन्य संकर प्रजनन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे जहाँ उनकी आवश्यकता हो।

भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा स्थापित विशेषज्ञों के कार्यकारी दल तथा पशुपालन वैज्ञानिकों के पैनल की सिफारिशों के अनुसार संकर नस्ल के पशुओं के कार्यक्रमों को अन्य क्षेत्रों

तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्यों में स्थापित हुए लगभग समस्त सघन पशु परियोजनाओं को संकर प्रजनन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

देश में संकर प्रजनन का कार्यक्रम अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। अतः अभी स्पष्ट रूप से कहना कठिन है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन

3040. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या विधि मंत्री 4 जुलाई, 1967 के प्रश्न सं० 905 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभूति जमा करने के प्रश्न की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) (क) और (ख) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और यदि निर्वाचन आयोग चौथे साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में (जिसकी कि शीघ्र ही आशा की जाती है) ऐसी कोई सिफारिश करे तो सरकार उसकी भी प्रतीक्षा कर रही है।

Milk Procurement

3041. **Shri Shiv Kumar Shastri : Dr. Surya Prakash Puri:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been drawn up by Government to declare the adjoining areas of Delhi as reserved for the purpose of milk procurement ;

(b) if so, the outlines thereof ;

(c) whether Government have also consulted the concerned States in regard thereto ; and

(d) if so, the reaction of these States in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) A proposal for reservation of suitable areas around chilling centres for the purpose of procurement of milk by Delhi Milk Scheme is under examination.

(b) The outlines of the proposal have not yet been fully worked out.

(c) The State Governments of Uttar Pradesh and Haryana and the Delhi Administration have been consulted.

(d) The matter is still under consideration of the Government of India and the State Governments and Union Territory administration mentioned above.

Building for Bahadurganj Sub-Post Office Purnea.

3042. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it was proposed to construct a new building for the Bahadurganj Sub-post office in Purnea District as the present building has become dilapidated ; and

(b) if so, when and, if not, reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) The matter has been taken in hand. The schedule of accommodation has been sent to the Architect for preparation of lay-out plans.

Quarters for P&T Staff of Kishanganj in Bihar

3043. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) whether Kishanganj Posts and Telegraphs building and residential houses of staff in Purnia District in Bihar are very old and uninhabitable ;

(b) whether it is a fact that Government had formulated a plan for the construction of new building for the P&T Office and new houses for the staff ; and

(c) if so, the causes of delay in the new construction ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) The buildings are old but are habitable.

(b) Yes.

(c) Plans have been drawn up for construction of buildings for P&T Office, Telephone Exchange and staff quarters. Efforts will be made to complete the work as early as possible.

गोहाटी में कार्यकारी (एग्जीक्यूरिव) इंजीनियर का निर्माण कार्यालय

3044. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के समूचे आसाम सर्किल के लिये कार्यकारी इंजीनियर का निर्माण (सिविल) कार्यालय नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार गोहाटी में एक ऐसा कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) एक मात्र कार्यकारी इंजीनियर के निर्माण (सिविल) कार्यालय को गोहाटी से कलकत्ता ले जाने के क्या कारण थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी हाँ। आसाम में निर्माण कार्यों के लिए कोई कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) नहीं है। इस राज्य में भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण कलकत्ता स्थित कार्यकारी इंजीनियर द्वारा किया जा रहा है।

(ख) आसाम में जैसे ही पर्याप्त काम हो जायेगा, वहाँ एक डिविज़न बनाया जायेगा। एक सिविल सब डिविज़न पहले ही काम कर रहा है जिसका मुख्यालय गोहाटी में है।

(ग) कलकत्ता में काम बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण गोहाटी डिविज़न को कलकत्ता ले जाया गया था। जैसे ऊपर बताया गया है कि आसाम सर्किल के केवल निर्माण कार्यों के लिये गोहाटी या शिलाँग में एक सिविल डिविजन बनाया जायेगा जैसे ही आसाम में निर्माण कार्य काफी अधिक हो जायेगा।

पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

3045. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा मनीपुर, पुंछ और मुजफ्फराबाद के अनधिकृत रूप से काबू किए

गए क्षेत्रों से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को जो इस समय बीकानेर, गंगा नगर और भोपाल में शिविरों में पड़े हैं, अभी तक बसाया नहीं गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) पाकिस्तान द्वारा अधिकृत मीरपुर, पूंछ, और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों का कोई भी व्यक्ति इस समय बीकानेर, गगानगर, और भोपाल में कैम्पों में नहीं है। इस क्षेत्रों के कुछ परिवार जिन्होंने गंगा-नगर, भोपाल आदि पुनर्वास की पेशकश की थी उन्हें बाद के स्थानों पर भेज दिया गया था। उनके पुनर्वास की वर्तमान स्थिति राज्य सरकारों से पूछी जा रही है और सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

हावड़ा स्टेशन पर माल डिब्बों से मक्का का न उतारा जाना

3046. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा स्टेशन पर रामकोयस्तपुर यार्ड में लगभग 122 माल डिब्बों में से मक्का नहीं उतारी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मक्का इसलिये नहीं उतारी जा सकी क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य को अनाज ले जाने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गए आदेशों की अवहेलना करके पश्चिम बंगाल को मक्का का निर्यात किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सूचना मिली है कि मक्का के 110 माल डिब्बों में से 51 में से माल उतार लिया गया है और 59 से माल नहीं उतारा गया है।

(ख) और (ग) इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि हरियाना से पश्चिमी बंगाल को मक्का विधिमान्य परमिटों पर निर्यात नहीं किया गया था और इसलिये वह ठीक नहीं था। मामले की जाँच की जा रही है। इस सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ लेखा याचिकायें भी विचाराधीन हैं।

चावल/गेहूँ की खरीद केलिये वित्तीय सहायता

3047. **श्री लक्षणलाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल/गेहूँ की वसूली को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कभी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस रूप में और कब ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा वसूली के लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था करने के लिये, प्रार्थना-प्राप्त होने पर, धन उपलब्ध कराने के लिये प्रबन्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त फालतू

अनाज वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को चावल तथा गेहूँ भेजने के लिये प्रोत्साहन बोनस देने की एक योजना 1966–67 की फसल के लिये बनाई गई थी। 1966–68 की फसल के लिये केन्द्रीय पूल के लिये चावल उपलब्ध कराने की एक वैसी ही योजना बनाई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Posts, Telegraph and Telephone Facilities in Bihar Areas

3048. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Bahadurganj, Kachadhaman, Vidhalbank, Taragachh, Sikti, Patasi, Jonkihat Baisa and Thakurganj Sub-divisions of North-East Purnia district in Bihar State are situated between East Pakistan, Nepal, North Bengal, Sikkim and Bhutan ; and

(b) the steps taken to provide efficient service of Posts and Telegraphs and Telephones in the above-mentioned sub-divisions located on the border areas ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

Flour Adulteration

3049. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether steps have been taken by Government in regard to the question of adulteration in the flour manufactured by flour-mills ;

(b) if so, the nature of the steps taken ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken :—

(i) The Government have issued the Wheat Roller Flour Mills (Licensing & Control) Order under the Essential Commodities Act which makes it obligatory on the Roller Flour Mills to observe certain conditions to ensure that the standards laid down under the Prevention of Food Adulteration Act are strictly maintained.

(ii) When flour manufactured by a mill is found to be not conforming to the standards under the P.F.A. Act action is taken against the miller concerned.

(iii) Inspection of the mills is carried out at frequent intervals by the technical officers of the Food Department. Samples of flour are drawn during these visits and these are examined in the Central Laboratory of the Food Department.

(c) does not arise.

Sugarcane Research Station, Champaran

3050. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sugarcane Research Station, Champaran is being shifted from there ;

(b) the circumstances which compelled Government to take such a decision ; and

(c) whether Government propose to revise their decision keeping in view the conditions of sugar industry and the sugar production in Champaran ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

टेली–प्रिण्टरों का निर्माण

3051. **श्री स० चं० सामन्त:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) कारखाने में दूरमुद्रकों के निर्माण कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है तथा क्या यह सारी मांग पूरी कर सकता है;

(ख) 1967 के अन्त तक निर्मित दूरमुद्रकों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) कार्यक्रम के अनुरूप प्रगति में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग) हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास द्वारा दूरमुद्रकों (टेलीप्रिण्टर्स) के निर्माण में की गयी प्रगति कार्यक्रम के अनुरूप ही है। अंग्रेजी-दूरमुद्रकों की सारी मांग की पूर्ति इस कारखाने द्वारा की जाती है। नवम्बर, 1967 के अन्त तक लगभग 10,400 अदद दूरमुद्रकों का उत्पादन हुआ।

मिट्टी, सिंचाई, सस्य विज्ञान तथा इंजीनियरी के लिए समन्वित योजना

3052. **श्री धीरेश्वर कलिता:** **श्री दी० च० शर्मा:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिट्टी, सिंचाई, सस्य विज्ञान और इंजीनियरी के लिए समन्वित योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार किस प्रकार तथा किस माध्यम से इसे कार्य रूप देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) मिट्टी, सिंचाई, सस्य विज्ञान तथा इंजीनियरी के क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधान कार्यों के समन्वय के लिये एक उप महानिदेशक (जो एक वैज्ञानिक है) की देखरेख में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अधीन एक प्रभाग खोला गया है। यह प्रभाग मिट्टी तथा जल प्रबन्ध कार्यक्रम के बारे में सस्य-विज्ञान, सिंचाई, कार्बनिक तत्व, माईकोन्यूट्रेन्टस, मिट्टी परीक्षणों तथा नदी घाटी विषयक छः अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें शुरू कर चुका है। इसके अतिरिक्त एक सेन्ट्रल सायल सैलिनिटी लैबोरेटरी की सहायता से सस्य प्रतिमान, उन्नत कृषि उपकरणों भूमि की अमलता, सिंचाई, जल-निकास, भू-विज्ञान तथा जल प्रबन्ध के विषय में चार अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के बारे में कार्य हो रहा है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामान्य प्रतिमान के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों या राजकीय संस्थाओं में स्थित चुने हुए अनुसंधान केन्द्रों में प्रत्येक समन्वित योजना को कार्य रूप

दिया जा रहा है। एक प्रसिद्ध अनुसंधान वैज्ञानिक अपने क्षेत्र की विशेष योजना के कार्यों का समन्वय करता है। योजनाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों की तैयारी, उनकी जाँच तथा स्वीकृति का कार्य परिषद् की समितियों तथा पैनल द्वारा किया जाता है। परिषद् का प्रोजैक्ट कोआर्डिनेटर तथा विशेषज्ञ समय-समय पर प्रगति का मूल्याँकन करते हैं। उपलब्धियों तथा काम के आगामी कार्यक्रमों के वार्षिक मूल्यांकन के बारे में योजनाओं से सम्बद्ध अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के वर्कशापों में विचार-विमर्श होता है। वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की विभिन्न समितियों तथा पैनलों के सम्मुख भी रखे जाते हैं।

थोक सहकारी समिति लि० मनीपुर

3053. **श्री मेघ चंन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक थोक सहकारी समिति लि० मनीपुर में मनीपुर सरकार ने कितनी धन राशि लगाई है और केन्द्रीय सरकार ने उसे कितना ऋण दिया है;

(ख) क्या इस ऋण की कोई वापिसी-अदायगी की गई है और वापिसी-अदायगी की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या यह सच है कि समिति घाटे में चल रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितना घाटा हुआ है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) :

(क) मनीपुर सरकार ने मनीपुर थोक सहकारी भण्डार लि०, इम्फाल अंशपूँजी अंशदान में जो धन राशि लगाई है, और जो ऋण दिया है, वह नीचे दिया गया है:—

(1) अंश पूंजी	—	रु०	50,000
(2) नकद ऋण	—	रु०	1,00,000
(3) ट्रक खरीदने तथा गोदाम निर्माणएके लिए ऋण	–	रु०	75,000

(ख) बताया जाता है कि समिति को ट्रक खरीदने के लिए जो ऋण दिया गया था उसकी देय हो चुकी तीन किश्तें उसने नहीं चुकाई हैं। मनीपुर सरकार से ऋणों की वापिसी अदायगी की ब्यौरेवार शर्तों का पता किया जा रहा है और प्राप्त होने पर उन्हें यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी, हाँ।

(घ) अस्थायी तुलन-पत्र के अनुसार समिति को 30 जून, 1967 तक 1,06,762 रुपए की संचित हानि हुई हैं।

मनीपुर में टेलीफोन

3054. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में टेलीफोनों की माँग बहुत बढ़ गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बढ़ती हुई माँग को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस समय प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन-पत्र हैं?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में केवल एक ही (इम्फाल) एक्सचेंज है। मैनुअल एक्सचेंज में 600 लाइनों तथा 527 चालू कनैक्शनों की क्षमता है। एक्सचेंज में 600 से बढ़ाकर 900 लाइनें करने का विचार है।

(ग) 30–9–67 को 216.

श्रम सम्बन्धी मूल्यांकन और क्रियान्विति समिति

3055. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि संघीय क्षेत्र मणिपुर की श्रम सम्बन्धी मूल्यांकन और क्रियान्विति समिति की उसकी स्थापना से तीन साल की सन्धावधि में एक भी बैठक नहीं हुई ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मणिपुर सरकार नए ढाँचे पर इस समिति को नए तौर पर स्थापित कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक की जायगी?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हाँ।

(ख) इस समिति के विचार के लिए कोई भी महत्वपूर्ण विषय नहीं था।

(ग) और (घ) इन मामलों पर अब विचार-विमर्श हो रहा है।

मनीपुर औद्योगिक संस्था द्वारा खाद्यान्न की वसूली

3056. **श्री मेघचन्द्र**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की चावल मिलों ने अपनी मनीपुर उद्योगपति संस्था नामक संगठन के अन्तर्गत मनीपुर सरकार से यह अनुमति माँगी है कि उन्हें चालू वर्ष 1967–68 में खाद्यान्न की वसूली के लिये एकमात्र एजेंट नियुक्त किया जाये;

(ख) क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि खाद्यान्न की वसूली का काम मनीपुर अपैक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि० करती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो वसूली के तरीके का ब्यौरा क्या है, खाद्यान्न की वसूली का क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है और यह वसूली किस भाव पर की जायेगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

(घ) जी नहीं।

(ङ) मनीपुर सरकार ने धान तथा चावल की वसूली के लिए मनीपुर उद्योगपति संघ को एकमात्र वसूली एजेंट नियुक्त किया है। धान का 52.50 रुपए प्रति क्विंटल तथा चावल का 90.00 रुपए प्रति क्विंटल वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है। 16,000 मीटरिक टन धान की वसूली का लक्ष्य है।

Suratgarh Farm

3057. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the total amount spent on sowing of crops in the Suratgarh farm in 1966-67 and the income accrued from it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

The information is being obtained from the farm and will be placed on the table of the Sabha.

कार्बनिक खाद का उत्पादन

3058. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पोस्टिग द्वारा ग्रामीण कूड़े का आर्गनिक खाद में परिणित करने के लिये कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो कृषि विकास की नई पद्धति के विषय में कम्पोस्ट की उपलब्धि को आसान बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) शहरी क्षेत्रों के कूड़े से कार्बनिक खाद तैयार करने के लिये तीन-चार पायलट कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम्पोस्ट उत्पादन के लिए स्थानीय खाद संसाधनों की विकास तथा प्रयोग विषयक योजनायें केन्द्रीय सहायित स्टेट प्लान स्कीमों के रूप में पहले ही समस्त राज्यों/संघ क्षेत्रों में चालू हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के वर्तमान वित्तीय प्रतिमानों के अनुसार इन स्कीमों की क्रियान्विति के लिए 20 प्रतिशत उपदान तथा 30 प्रतिशत ऋण प्राप्त हो सकता है। अन्य बातों के अतिरिक्त इन स्कीमों में निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई हैं :—

(1) शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों को कम्पोस्ट का उत्पादन बढ़ाने व उसके वितरण के लिए गाड़ियों के क्रय हेतु ऋण मंजूर करना।

(2) शहरी कम्पोस्ट को कृषकों के खेतों तक ढोने के कार्यों तथा कम्पोस्ट के छानने पर उपदान मंजूर करना।

(3) पर्यवेक्षी कर्मचारियों की व्यवस्था करना तथा फार्म नेताओं, स्थानीय निकायों व पंचायतों के अधिकारियों, ग्रामस्तर कार्यकर्ताओं व कम्पोस्ट इन्स्पेक्टरों को वैज्ञानिक आधार पर कम्पोस्ट तैयार करने की तकनीकों के विषय में प्रशिक्षण देना।

Members Elected to Lok Sabha from Bihar

3059. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of Members elected to Lok Sabha from Bihar State against whom election petitions are pending with the High Court, after the last General Elections ;

(b) the number of those Members elected to Bihar Vidhan Sabha against whom election petitions have been filed ;

(c) the number of election petitions filed against Members of Lok Sabha and Vidhan Sabha on which judgment has been given and the result thereof ; and

(d) whether any specific period has been fixed for consideration of election petitions and, if so, the reasons therefor?

The Minister of Law (Shri Govind Menon):

(a) The number of election petitions filed against the members elected to the House of the People from Bihar during the last general elections is 4 ;

(b) The number of election petitions filed against the members elected to the Bihar Legislative Assembly (Vidhan Sabha) is 21 ;

(c) According to information received in the Election Commission, out of these 25 election petitions, only two petitions relating to the Legislative Assembly have so far been disposed of by the High Court. Both the petitions have been dismissed ; and

(d) Apart from sub-section (7) of section 36 of the Representation of the People Act, 1951, which provides that the High Courts shall endeavour to conclude the trial of the petitions within 6 months from the date of presentation of the peitions, no specific period has been fixed for disposal of those election petitions.

Delivery of Letters and Telegrams at Destinations

3060. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that letters and telegrams do not reach their destinations in time and sometimes do not reach at all; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) A very small percentage of letters and telegrams is delayed in delivery. A still smaller percentage is lost while in transmission.

(b) **Postal** : On the postal side, constant review of existing mail routes and carriers is carried out. The Department takes advantage of new train, bus and air services. By arrangements with State Governments the Road-ways have been ordered to be utilised where train services were found circuitous. By posting trial cards and test letters, the supervisory staff keep on detecting the delays in transmission and taking remedial measures.

Telegraphs : On the telegraph side, various steps have been taken to reduce the delay and loss of messages. More working is being progressively replaced by high speed working on teleprinters, open wire lines which are susceptible to frequent interruptions are being replaced by Co-axial cables and Micro-wave systems. Telex service is being introduced progressively in the principal cities. The Telegraph Operators are being given better training in handling traffic on the latest systems of transmission.

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

3061. **श्री कृष्णन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारी सरकार और भारत में सोवियत मिशन द्वारा हस्ताक्षर किए गए करार के अन्तर्गत लगभग 72 लाख रुपये के ट्रैक्टर आयात किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या आयात किए जाने वाले ट्रैक्टरों का भारतीय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सन् 1967 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा रूस से निम्नलिखित ट्रैक्टरों का आयात किया जाएगा:—

माडल	संख्या	कुल सी० आई० एफ० मूल्य (रुपये लाखों में)
डीटी 14 बी	4,000	264.00+ (लगभग)
बाईलारुस	500	77.30+

(+ स्पेयर तथा उपकरण भी शामिल हैं)

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गए दोनों माडल कई वर्षों से देश में चलाए जा रहे हैं और उनका काम संतोषजनक पाया गया है। विशेषज्ञों द्वारा और निरीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम

3062. **श्री राम स्वरूप**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी सीधे भर्ती किए गए हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं;

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से लेकर अब तक आरक्षित पदों पर कितने व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति की गई है; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम में ऊँचे पदों पर विभागीय पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) भारतीय खाद्य निगम के आरम्भ से 30-9-1967 तक प्रत्येक वर्ग में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:—

वर्ग एक	18
वर्ग दो	76
वर्ग तीन	763
वर्ग चार	450
कुल	1307

(ख) जी हाँ। 1 जनवरी, 1967 से।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी नहीं।

बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों के लिये आवास बस्ती

3063. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बर्मा से आये हुए निष्कासित व्यक्तियों के लिये पश्चिम बंगाल में श्रीकृष्णपुर नामक स्थान में एक आवास बस्ती बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्तावित बस्ती में कितने निष्क्रान्त परिवारों के बसाये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन निष्क्रान्त व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये कोई ऋण दिए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो वे ऋण किस प्रकार के हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने बर्मा के 55 निष्क्रान्त परिवारों के बारसाट में श्रीकृष्णपुर में पुनर्वास की एक योजना स्वीकार की है। वह निकटवर्ती क्षेत्र में बर्मा से निष्कासित 130 परिवारों के पुनर्वास की एक और योजना पर विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ) पश्चिमी बंगाल सरकार ने 2,53,000 रुपए की राशि मकानों के लिए प्लाट खरीदने तथा मकानों के निर्माण के लिये पहले ही मंजूर कर दी है। इस प्रयोजन के लिये 5,98,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर करने का प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन है।

सर्वश्री पी० सी० राय एण्ड कम्पनी के साथ विवाद

3064. **श्री गणेश**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान वन विभाग तथा पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड माया-बन्दर, अन्दमान द्वीप के विवाद की पंचाट विषयक कार्यवाही किस स्थिति में है;

(ख) अब तक प्रशासन इस पंचाट-कार्यवाही पर कुल कितना धन व्यय कर चुका है; और

(ग) पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड के जिम्मे प्रशासन का कितना क्लेम है?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) अब तक पंचाट के 3 विवादों पर कार्यवाही की गई है। पहला विवाद 1951–52 से 1960–61 की अवधि का है; दूसरा 1961–62 और 1962–63 के विषय में और तीसरा 1963–64 के विषय में है। केवल पहले पंचाट विवाद के बारे में निर्णय दिया गया है। रकम की वसूली के लिए डिग्री प्राप्त करने हेतु कलकत्ता हाई कोर्ट में पंचाट निर्णय दाखिल कर दिया गया है। अन्य 2 पंचाट विवादों के बारे में कार्यवाही चल रही है।

(ख) मध्यस्थों की फीस, परामर्श आदि पर अब तक अन्देमान प्रशासन 3,91,432.74 रुपये खर्च कर चुका है।

(ग) तीनों विवादों में अन्देमान प्रशासन का कुल क्लेम निम्न प्रकार है:—

	रुपये
1—पहला पंचाट विवाद	2,24,87,586.29
2—दूसरा पंचाट विवाद	1,00,90,041.39
3—तीसरा पंचाट विवाद	अभी तक क्लेम दाखिल नहीं किया गया है परन्तु यह क्लेम लगभग 54 लाख रुपए का होगा।

अन्डमान वन विभाग

3067. **श्री गणेश:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि साऊथ अन्डामान प्रभाग में वन विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ईंधन रियायती दर पर दिया जाता है; और

(ख) क्या यह रियायत औद्योगिक स्टाफ को भी दी जाती है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान वन विभाग

3068. **श्री गणेश:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण अन्दमान प्रभाग के वन विभाग के कितने कर्मचारी जलाने की लकड़ी के गट्ठे बनाने के काम में लगे हुए हैं तथा उनके कुल वेतन क्या हैं; और

(ख) जलाने की लकड़ी के एक कार्ड का बाजार में क्या मूल्य है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान द्वीप समूह में सामुदायिक विकास खण्ड

3069. **श्री गणेश:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान प्रशासन ने दक्षिण तथा मध्य अन्दमान द्वीप समूह में सामुदायिक विकास खण्ड बिल्कुल बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय का अनुमोदन किया है; और

(घ) कृषि के लिये बीज, खाद, आदि तथा तकनीकी जानकारी देने के लिये सरकार का कौन सी वैकल्पिक संस्था आरम्भ करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) से (घ) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासक से सूचना माँगी गई है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

साऊथ अन्डमान में इमारती लकड़ी का रोपण

3070. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माऊन्ट हैरीट साऊथ अन्डामान द्वीप में 500 एकड़ भूमि में इमारती लकड़ी रोपण के कार्य शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या परियोजना पूरी हो गई है, यदि हाँ तो कब ; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितना वित्तीय खर्च, कितने कार्यकर्ता, कितना देख-भाल करने वाला स्टाफ तथा उपकरण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) माउन्ट हैरीट क्षेत्र में इमारती लकड़ी रोपण के कोई कार्य शुरू नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सर्वश्री पी० सी० राय एण्ड कम्पनी के साथ विवाद

3071. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान प्रशासन तथा पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, मायाबन्दर, अन्दमान द्वीप के बीच चल रहे पंचाट मामलों में से एक मामले में प्रशासन के पक्ष में निर्णय हुआ है;

(ख) इस पंचाट मामले का संबंध कुल कितनी लागत से है; और

(ग) इस रकम की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) 19,41,290.70 रुपए।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित रकम की वसूली के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में पंचाट दाखिल कर दिया गया है।

वनस्पति घी का उत्पादन

3072. **श्री स० कुन्डू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान वनस्पति घी के उत्पादन के लिये कारखाने लगाने के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी लाइसेंस देने के लिये कितने आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं और जिन पार्टियों ने आवेदन पत्र दे रखे हैं, उनके नाम क्या हैं;

(ग) देश में वनस्पति घी की कुल कितनी आवश्यकता है तथा इस समय उसका उत्पादन कितना है; और

(घ) यदि उत्पादन हमारी आवश्यकता से कम है तो माँग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) वनस्पति के नये कारखाने स्थापित करने के लिये ग्यारह आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। प्रार्थियों के नाम निम्नलिखित हैं:—

1. मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, इन्दौर नगर
2. करद तुलका कोआपरेटिव आयल मिल्स लिमिटेड, करद (महाराष्ट्र)
3. यू० पी० कोआपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. मैसर्स सेथराम जयनारायण सिओनी (मध्य प्रदेश)
5. श्रीमती आर० गुप्त, सेक्टर 18 बी० चंडीगढ़।
6. तथा 7. उद्योग निदेशक, कानपुर
8. मेसर्स खन्ना आयल मिल्स, दिल्ली
9. मैसर्स मगनलाल छगनलाल प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई
10. मैसर्स एच० एल० आनन्द एण्ड सन्स, कपूरथला (पंजाब)
11. श्री यानी राम गुप्त, सदर बाजार, दिल्ली।

(ग) 36,000 मीटरिक टन वनस्पति की प्रति मास माँग का अनुमान है। वर्तमान उत्पादन लगभग 32,000 मीटरिक टन है।

(घ) यद्यपि माँग के अनुसार उत्पादन करने के लिये पर्याप्त क्षमता है तथापि उत्पादन में कमी का कारण 1966–67 के फसली वर्ष के सूखे की परिस्थिति के कारण कच्चे वनस्पति तेल की कमी होना है। मूंगफली की नई फसल के अच्छी होनें की सम्भावना के कारण तेल के सम्भरण की स्थिति में सुधार होने की तथा वनस्पति का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है। उद्योग को कच्चे तेल की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिये सोयाबीन के तेल के आयात पर भी विचार किया जा रहा है।

सुबरनरेखा नदी में मछली पकड़ना

3073. **श्री स० कुन्दू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सुबरनरेखा नदी के मुख से धाम्रा तक समुद्र में किनारे से थोड़ी दूर मछली पकड़ने की सम्भावना पर खोज की है ?

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण करने का इरादा रखती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ। भारत सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्र और पश्चिमी बंगाल सरकार की नौकाओं ने इस क्षेत्र में नमूने के आधार पर सामान्य सर्वेक्षण कार्य किए हैं।

(ख) खोज करने से अस्थायीरूप से यह निष्कर्ष निकला है कि सुबरनरेखा नदी का सामने का क्षेत्र घटिया है जबकि धाम्रा के पेर के स्थल सामान्य रूप से अच्छे हैं। जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनमें सार्डिनिडस, सिलवर बैलीज और विविध मछलियाँ शामिल हैं। गहरे पानी में झींगर मछली की औसत लगभग 2 प्रतिशत थी।

(ग) जब स्वीकृत की गई अतिरिक्त नौकाएँ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्र को प्राप्त हो जाएंगी तभी विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने पर विचार होगा।

ठण्डे गोदामों के लिए वित्तीय सहायता

3075. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आलू के बीजों के भण्डारण की सुविधा के लिए ठण्डे गोदामों के निर्माण हेतु चालू वर्ष में उड़ीसा के लिए कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हाँ।

(ख) आलू के बीजों के भण्डारण के लिए ठण्डे गोदामों के निर्माण हेतु 1967–68 की अवधि में 16.00 लाख रुपए की रकम स्वीकार की गई है।

Tonnage Club of Farmers

3076. **Shri Lakhan Lal Kapoor : Shri S. Supakar :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the aims and objectives of the National Tonnage Club of Farmers, Delhi ; and

(b) the financial assistance so far given to this club by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The Aims and objectives of the National Tonnage Club of Farmers, Delhi are as follows :

1. To contribute towards the creation of self sufficiency of food in the country .

2. To promote an awareness amongst farmers of the possibilities of achieving very high crop yields through the adoption of scientific methods,

3. To provide a form for the collation and dissemination of the information relating to scientific crop production.

4. To bring together all progressive minded farmers in the country for more higher production and to protect, advance and promote their interests for the objectives of the 'Club'.

5. To serve as prestige 'Club' for encouraging higher production.

6. To undertake publicity, propaganda, training and education of the producers and cooperate with Government and other Agencies for increasing yields.

7. To collaborate, co-operate and associate with similar or allied organisations in India and abroad for furtherance of the objectives of the 'Club'.

8. To collaborate with Government Institutions and foreign Agencies in sponsoring the members of the 'Club' and rural youths for obtaining experience and training in the techniques of more crop production.

9. To take such steps for the fulfilment of the above objectives as may be necessary from time to time in particular collection and expenditure of funds, grants and donations also holding meetings, conferences, seminars and exhibitions sending representatives, deputations, memoranda, exchanging delegates and to represent the 'Club'.

10. To take any other steps the 'Club' may decide for the fulfilment of the objectives.

(b) The Tonnage Club has been given financial assistance in the form of grant-in-aid during the current financial year of Rs. 20,000 for organising All India Higher Agricultural Production Convention which was held in the month of Nov. 1967 at New Delhi.

कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था

3077. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया था और उस क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुधारने की अत्यधिक आवश्यकता की बात कही थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुधारने के लिये गुजरात सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव अथवा योजनायें प्रस्तुत की गई हैं; और

(ग) इस प्रयोजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि नियमित अथवा मंजूर की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रधानमंत्री ने 29 सितम्बर, 1967 को कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया था परन्तु उन्होंने उस क्षेत्र में संचार व्यवस्था के बारे में कोई आलोचना नहीं की।

(ख) गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार में सुधार करने के लिये गुजरात राज्य से कोई प्रस्ताव अथवा योजना नहीं मिली

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम सम्बन्धी कानूनों में संशोधन

3078. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किन्हीं राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि श्रम संबंधी महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन कर दिया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) वर्ष 1967 के दौरान, राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों, जिनमें महत्वपूर्ण श्रम कानूनों में संशोधन करने के सुझाव दिये गये हैं; और नये कानून बनाने के प्रस्तावों का एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1871/67**]

शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961

3079. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री, 2 अगस्त, 1967 को पूछे अतारांकित प्रश्न संख्या 7007 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 में संशोधन करने का विचार कर रही है ताकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण स्थान सुरक्षित करने हेतु विनिर्दिष्ट व्यवस्था हो सकें;

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 (5) और (6) का उपयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवरों के प्रशिक्षण के लिए "लोक हित" में व्यवस्था करने की कभी प्रयत्न किया है; और

(घ) अगर नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) शिशिक्षु प्रशिक्षण की किसी भी योजना के आधीन ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) शिशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण व्यवस्था नियोजकों द्वारा की जाती है, जो उन्हें छात्र-वृत्ति भी देते हैं। शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम के आधीन शिशिक्षु प्रशिक्षणर्थियों के प्रशिक्षण का नियमन-नियंत्रण होता है और भर्ती के सम्बन्ध में शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि का स्तर तय किया जाता है तथा प्रशिक्षण आदि का स्तर निश्चित होता है। इस विधान के अधिनियम के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए कुछ प्रशिक्षण स्थान सुनिश्चित करने का अपेक्षा नहीं की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) निश्चित अनुपात से अधिक लोगों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था कराने पर सरकार को अतिरिक्त सुविधाएँ और अतिरिक्त लागत देनी होगी। क्योंकि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दस्तकारी प्रशिक्षण योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण स्थान सुनिश्चित करने की व्यवस्था है और प्रशिक्षणार्थियों को 45 रु० प्रति मास छात्र-वृत्ति के रूप में दिए जाते हैं इसलिए अधियिम की धारा 8 (5) और (6) के अधीन कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई है।

शिशिशु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आंकड़े

3080. **श्री प्र० रं० ठाकुर**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 की धारा 19 (2) और सांख्यकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित जानकारी और आँकड़े इकट्ठे करती है अथवा इकट्ठा करने का विचार ती है,

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 की धारा 19 के अधीन निश्चित विवरण का उद्देश्य, व्यवसाय विशेष में शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्य की प्रगति जाँचना है।

शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम 1961 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण स्थान सुरक्षित रखने की कोई विनिर्दिष्ट व्यवस्था नहीं है। नियोजक प्रशिक्षणार्थी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते आयु 14 साल से अधिक हो और वह शिक्षा तथा शारीरिक योग्यता के लिए निश्चित माप दण्डों के अनुसार योग्य हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों सहित, सभी के लिए शिशिक्षु प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुचित आदिम जाति के उम्मीदवारों से सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठा करना जरूरी नहीं समझा गया है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वास केन्द्र

3081. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितने पुनर्वास केन्द्र खोले गये;

(ख) ऐसे केन्द्र राज्यवार कहाँ कहाँ पर हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक केन्द्र में कितनी भूमि तथा कितने गाँव रखे गये हैं;

(घ) प्रत्येक केन्द्र में इस समय कितने विस्थापित व्यक्ति हैं; और

(ङ) क्या वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाने के लिये हाल में पूरी जनगणना करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Export of Coarse Grains from Haryana to Calcutta

3082. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the coarse grain sent from Haryana to Calcutta recently had been sent at the time when the Central Government had not issued any orders ;

(b) whether it is also a fact that many grain merchants would be put into great difficulty in case the said consignments of grain are confiscated ;

(c) whether these consignments have been unloaded and stored safely or they are still rotting ; and

(d) when a final decision in this regard is likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) No, Sir. Movement of jowar and bajra outside Haryana continues to be restricted since November, 1966, and that of maize from May, 1967.

(b) and (c) It has been reported that the consignments have been partly unloaded and partly left in sealed wagons. The matter is under investigation. In this connection, some writ petitions are also pending in the High Court of Delhi.

(d) As some of the cases are under investigation and some writ petitions are also pending, it is not possible to indicate the time by which it will be decided.

बिहार को अनाज की सप्लाई

3083. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बिहार के नवम्बर और दिसम्बर 1967 में अपेक्षित मात्रा में अनाज सप्लाई नहीं कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार सरकार ने केन्द्र से कितने अनाज की माँग की है तथा केन्द्र ने कितना अनाज नियत किया है और वास्तव में कितना सप्लाई किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) नवम्बर 1967 के लिये बिहार को 1.6 लाख टन अनाज तथा दिसम्बर मास के लिये 1.25 लाख टन अनाज नियत किया गया है। इस बात को देखते हुए कि बिहार के बाजारों में मक्का और शीघ्र उगने वाले धान की फसल आ गई है, राज्य के लिये नियत किये गये कोटे वहाँ की आवश्यकता पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं। बिहार ने नवम्बर के लिये 2 लाख टन अनाज माँगा था परन्तु दिसम्बर के लिये उन्होंने कोई निश्चित माँग नहीं की है। अन्य राज्यों की आवश्यकताएँ तथा केन्द्र के पास अनाज की उपलब्ध मात्रा के देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि बिहार को नवम्बर के महीने के लिये उतना अनाज दिया जाये जितना बिहार ने माँगा है। वस्तुत: पहली नवम्बर से 25 नवम्बर 1967 तक बिहार को 1.1 लाख टन अनाज भेजा गया। 26 नवम्बर से 30 नवम्बर तक वहाँ भेजे गये अनाज के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सके।

Delhi Rationing Department

3084. **Shri Nihal Singh:** **Shri Y. S. Kushwah:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Rationing Circles and the number of Officers, Rationing Inspectors and male and female employees working in the Delhi Rationing Department ;

(b) the number of clerks who have been promoted to the post of Inspectors during the last two years ; and

(c) the monthly expenditure incurred on the rationing establishment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) 31 Circles, 7 Sub-circles, 47 Officers, 242 Inspectors, 890 male employees and 82 female employees.

(b) Thirteen Clerks in the Rationing Department of Delhi have been promoted as Inspectors.

(c) Rs. 3.52 lakhs.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में तार द्वारा मनीआर्डर भेजने की सुविधाएँ

3085. **श्री रा० कृ० सिंह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मायाबन्दर, रंगट और अन्य स्थानों में सीधे तार द्वारा मनीआर्डर भेजने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तार द्वारा भेजे जाने वाले मनीआर्डर पहले अन्तर-द्वीप नौका द्वारा पोर्ट ब्लेयर भेजे जाते हैं ; और

(ग) क्या इन तारघरों से सीधे तार द्वारा मनीआर्डर भेजने की कोई योजना है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) और (ख) इन द्वीपों के डाकघरों से तार भेजने तथा उनमें तार प्राप्त करने का काम पुलिस के वायरलैस व्यवस्था के द्वारा भेजे जाते हैं। परन्तु तार द्वारा वहाँ मनीआर्डर नहीं भेजे जाते क्योंकि पुलिस विभाग मनीआर्डरों के गलत दिये जाने से होने वाली हानि की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसलिये तार द्वारा भेजे जाने वाले मनीआर्डरों को पोर्ट ब्लेयर नौका द्वारा साधारण डाक थैलों में भेजा जाता है और नौका द्वारा ही वहाँ से लाया जाता है।

(ग) पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य डाकघरों के बीच तार द्वारा भेजे जाने वाले मनीआर्डरों के भेजने-पाने के लिये द्वीपों में स्थित वायरलैस व्यवस्था का उपयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

निकोबार द्वीप समूह में तारघर

3087. **श्री रा० कृ० सिंह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोबार द्वीप समूह में तारघर हैं ;

(ख) वहाँ कितने तारघर है तथा वे कहाँ-कहाँ पर हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि अतिरिक्त उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त इन तारों को पढ़ते हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी हाँ।

(ख) निकोबार द्वीप समूह में नैनकोरी, कारनिकोबार हल्य ओरलाकच्चा में तीन डाक तथा तार कार्यालय हैं।

(ग) जी नहीं।

फिल्म उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति

3089. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति ने विचार-विमर्श पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का फिल्म उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह समिति नवम्बर 1966 में स्थापित की गई थी । रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी का कारण काम की मात्रा हैं। उदाहरणार्थ स्टुडियो और प्रक्रिया प्रयोगशाला में जाना, स्थल शूटिंग रात्रिशूटिंय आदि के लिये जाना, फिल्म निर्माण वितरण और प्रदर्शनी क्षेत्रों के जानकार व्यक्तियों से मुलाकात करना और समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श करना। समिति के प्रमुख निर्माण केन्द्रों का दौरा कर चुकी है, छः बैठकें बुला चुकी है और उसने कुछ सिफारिशों का मसौदा तैयार किया है। कुछ बातों पर अभी निश्चय करने की आवश्यकता है । यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

अल्प सूचना प्रश्न

Shori Notice Questions

दिल्ली में ट्रंक टेलीफोन सिस्टम

अ०सू०प्र० 8. श्री राज शेखरन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में ट्रंक टेलीफोन सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसमें काम करने वाले आपरेटर ट्रंक कालों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जब कभी भी ट्रंक काल सहायता तथा ट्रंक काल सुपरवाइजरों को टेलीफोन किया जाता है तो या तो उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता अथवा टेलीफोन काट दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली ट्रंक टेलीफोन सिस्टम के कार्य संचालन को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) दिल्ली ट्रंक एक्सचेंज द्वारा प्रतिदिन औसतन 10,000 तारों का भुगतान किया जाता हैं। औसतन 62 प्रतिशत ट्रंक कालों का निपटान किया जाता है। ट्रंक एक्सचेंज आमतौर पर संतोषजनक काम कर रहा है ।

(ख) दिल्ली ट्रंक एकसचेंज में ट्रंक असिटेंट पोजीशन दस है और ट्रंक सुपरवाइजरों के लिये टेलीफोन की संख्या तीन है । ट्रंक असिस्टेंट द्वारा प्रतिदिन 4000 कालों का भुगतान किया जाता है 181 कालों को उत्तर देने में अंक असिस्टेंट पोजीशन की कमी के करने में विलम्ब हुआ है ।

(ग) विभाग ट्रंक असिस्टेंट पोजीशन को दस से चौदह करने के लिये कार्यवाही कर रहा है। जंकशनों की संख्या को 20 से 30 करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है। ट्रंक सुपरवाइजरों के लिये टेलीफोन की संख्या भी बढ़ाकर पाँच की जा रही है। आशा है यह काम एक महीने में हो जायेगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय तम्बाकू समिति का प्रतिवेदन, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन खाद्य (बारहवाँ संशोधन) निगम और अधिसूचनायें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितम्बर 1965 तक की अवधि के लिए भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1853–67]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (12वाँ संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 15 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1741 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1854/67]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एल० आर० 1747 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 1748 जो दिनांक 16 नवम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1751 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 1967 की जी० एस० आर० 1748 में एक संशोधन किया गया।

(चार) जी० एस० आर० 1753 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 153 को विखण्डित किया गया।

(पाँच) जी० एस० आर० 1754 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 जून, 1966 की जी० एस० आर० 914 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1855/67]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर.) : मैं मद संख्या 3 की मद संख्या 2, अर्थात् खाद्य निगम (बारहवाँ संशोधन) नियम, 1967 के बारे में यह जानना चाहता हूँ कि क्या खाद्य निगम और उसके कर्मचारियों के बीच सेवा की शर्तों सम्बन्धी विवाद का भी हल निकाला गया है और क्या ये नियम इसीलिये बनाये गए हैं?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम खाद्य निगम के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिये जल्दी ही सभा में विधेयक पेश करने जा रहे हैं।

निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115

केरल के चावल की सप्लाई

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडें) : अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर में मंत्री महोदय ने 14 नवम्बर, 1967 को कहा था कि नवम्बर के महीने में केरल राज्य को भेजे जाने वाले आयात किए गए चावल में से लगभग 37,500 टन चावल सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। उसी दिन एक ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में उन्होंने बताया था कि आयात किए गए चावल में से लगभग 25,000 टन चावल की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार चावल की उपरोक्त मात्रा में और इस मात्रा में 12,500 टन का अन्तर है। मंत्री महोदय को इन दोनों वक्तव्यों में तालमेल बिठाना चाहिये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): किसी राज्य विशेष में किसी महीने के दौरान विदेशों से पहुँचने वाले अनाज के बारे में संसद में जो जानकारी दी जाती है वह हमेशा किसी पत्तन विशेष पर पहुँचने वाले जहाजों के आने जाने, उनमें सामान के लादे जाने और उनके द्वारा पहुँचायी जान वाली अनाज की संभावित मात्रा के बारे में उपलब्ध अन्तिम जानकारी पर आधारित होती है। जब अतारांकित प्रश्न संख्या 180 का उत्तर तैयार किया गया था तो अन्तिम जानकारी से यह पता चला था कि नवम्बर के महीने के दौरान विदेशों से 37,500 टन चावल केरल के बन्दरगाहों में पहुँचने की पूरी संभावना है। ध्यान दिलाने की सूचना का उत्तर देते समय यह स्पष्ट हो गया था कि 10,000 टन चावल से भरे हुए एक जहाज को जो नवम्बर के अन्त तक कोचीन पहुँचने वाला था, उसके पहुँचने में कुछ देर हो सकती है और वह दिसम्बर के आरम्भ में भारत पहुँच सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भी स्पष्ट हो गया था कि अन्य जहाज जो मध्य नवम्बर से पूर्व ही मद्रास पहुँचने वाला है और जिससे पर्याप्त चावल केरल को भेजा जाना है उसके पहुँचने में भी तीन चार दिन का विलम्ब हो सकता है। इसी कारण उस जहाज द्वारा केरल को पहुँचाई जाने वाली चावल की मात्रा में 2,500 टन की कमी करनी पड़ी। ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में जो 25,000 टन की मात्रा बताई गई है उसे भी अन्तिम नहीं समझा जा सकता है। नवम्बर के दौरान केरल में वास्तव में कितना चावल पहुँचा उसका पता तभी चल सकेगा जब वहाँ पर जहाजों द्वारा उतारे गए चावल की मात्रा का हिसाब लगा लिया जायेगा। अन्तिम जानकारी के अनुसार आयात तथा आन्तरिक साधनों से केरल को नवम्बर के दौरान 30,600 टन चावल भेजा गया। संसद में हमेशा अन्तिम उपलब्ध जानकारी देने का प्रयत्न किया जाता है।

देश में खाद्य की स्थिति के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION RE: FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—contd.

Shri Ram Charan (Khurja): During the three Plans, the Government have spent Rs. 1271 crores on agriculture. That comes to Rs. 10 per head, How can our food situation be solved with such an apathetic attitude of the Government towards our agriculture? During the aforesiaid period we imported foodgrains valuing Rs. 2821 crores. Had this amount been spent on the provision of irrigation and other facilities to the Indian farmers, the food problem would not have existed today The Government claims that 2.3 million acre virgin land has been brought under cultivation. But they ignore the fact that a sizeable portion of cultivable land has already been taken away for various industrial projects.

It is evident that Government have no sympathy for the farmers and all policy decisions are taken under the influence of capitalists. Much more money is spent on luxury and ostentations. If this unproductive money is spent on irrigation facilities, it will really benefit the country.

The Government is reported to have a big plan for reclaiming barren land. That land should be distributed to the landless farmers on cooperative basis.

Land reform programme should not be delayed any more. The land must essentially belong to the tiller. Otherwise, a revolution is bound to take place. Irrigation should be given top most priority. Pumping sets should be made available to the farmers at cheaper rates and the money should be recovered in instalments. Fertilizers and seeds should also be provided to the farmer. All these things should be given to him at subsidised rates. There are several schemes which are supposed to benefit the farmer, but the money is simply going waste through those schemes. All such schemes should be scrapped,

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : No real help is being extended either by the Central or State Governments to the farmer. For getting the help for which the Government has made provision, the farmer has to run from pillar to post.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

The Cooperatives have not proved to be of any use for providing credit to the needy farmers. There are too many procedures and the credit is not forthcoming in time and nothing can be moved unless the palms of Clerks of officials are greased.

The conclusion of the Planning Commission that the farmers having 5 to 10 acres of irrigated land have sufficienct taxable income is simply fantaststic. Firstly, his income is not so much which can be assessed. Secondly, he has to depend on monsoons even for irrigated land also, If food problem is to be solved, the farmer should be given cheap water, fertilizers, seeds, insecticides etc. rather than taxing him.

There should be no discrimination against the farmer. While there is no procurement of Cloth from mills in spite of it short supply, the foodgrains are procured from the farmer at a price much cheaper than the market price. If the present trend, which is in favour of Capitalists, is not given up a farmers' revolution is bound to take place.

Even Dr. V. K. R. V. Rao suggested that there should be ceiling on individual incomes. A polarisation of interests is taking place in India. On the one hand there would be people of socialistic ideas and on the other those who are opposed to it. We find vast gulf between the rich and the poor in India.

Shri Jagjivan Ram stated about the Price Commission. I find that there is no member who may belong to the villages on the Price Commission. Only high salaried officers are members of the Commission who are far removed from the actualities of the life of villagers.

The villagers have been taxed. Even Dr. Gadgil suggested that there should be agricultural tax only on those who own atleast 10 acres of irrigated land. But there should be tax on urban property also as more rich people are living in the cities. At the meeting of the A.I.C.C. we agreed that the integrated price should be given to a kisan. You want to make agricultural commodities cheap but the prices of other commodities too are rising much and they should also be brought down.

Government should give money for the Gandak canal.

It should be the duty of the Planning Commission to give more aid to poor States as Bihar.

The English speaking Indians have done great damage to this country. If you do not pay attention to the plight of kisans in India there would be a revolution in the country.

श्री मुत्तु गौडंर (तिरुपतूर) : महोदय इस वर्ष फसल लगभग 9.5 करोड़ टन हो जायेगी। वर्षा भी अच्छी हुई है जिसके कारण उत्पादन बढ़ा है। अब ग्रामों में कृषि के मैदान में क्रान्ति आ गई है जिसके कारण कृषि का उत्पादन बढ़ा है। अब कृषक नए उर्वरक तथा बीजों के लिये लाइनें लगी रहती हैं।

भारत का किसान किसी भी देश के किसान से बुद्धि में कम नहीं है। अमरीका के किसानों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने कार्य में बड़े निपुण हैं परन्तु जो भारतीय अब अमरीका में बसे हुए हैं वे वहाँ के किसानों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। परन्तु यह तब ही हो सकता है जब उन्हें कृषि के साधन प्राप्त हो जायें तथा अन्य सुविधायें दी जायें।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि उर्वरक भारत में सारे संसार के देशों से मँहगे हैं। वह अमरीका तथा जापान में सबसे सस्ते हैं। सरकार भी जो पहले सहायता दे रही थी वह समाप्त कर दी है।

यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो सघन खेती को अपनाना होगा।

सरकार को उर्वरक कारखाने लगाने होंगे। इसके लिये चाहे अमरीका से सहायता मिले अथवा रूस से मिले, को स्वीकार कर लेना चाहिये।

आजकल बीजों की बहुत माँग है। परन्तु हमें ऐसे बीज पैदा करने होंगे जिनको हिम आदि का रोग न लग सकें।

सरकार ने अन्न का भाव ठीक ही निश्चित किया है क्योंकि उन्हें उपभोक्ताओं के हित को भी तो देखना होता है।

आजकल नकद फसल तथा खाद्यान्न फसलों के मूल्यों में अन्तर है। गन्ने के एक एकड़ में 2,000 रु० का प्रतिवर्ष लाभ होता है जबकि धान के एक एकड़ में केवल 500 रु० प्रतिवर्ष का ही लाभ होता है। भारत में धान की पैदावार सिवाय स्याम को छोड़ कर संसार के सब देशों से कम होती है।

यदि हम सघन खेती करें तो हम बहुत उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

मद्रास राज्य में ए डी 727 नाम के बीज ने कमाल कर दिखाया है। परन्तु हमें वहाँ ऐसे बीज देने होंगे जिनपर हिमपात का प्रभाव न हो।

हमें ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे हमें केवल वर्षा के ऊपर आधारित रहना न पड़े। हमारे क्षेत्र में तो तालाबों द्वारा सिंचाई होती है और 100 एकड़ भूमि के लिये 2 तालाब पर्याप्त हैं।

इसी प्रकार वहाँ उठाऊ सिंचाई है। उठाऊ सिंचाई तो अमरीका में भी चालू है। मद्रास राज्य में कावेरी का सारा पानी हमने उपयोग में ले लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमें रायाप्पा योजना के लिये 17 से 20 करोड़ रु० की सहायता दे दें।

सरकार को चाहिये कि नलकूप बड़े पैमाने पर लगा दे। इनकी संख्या 10 लाख कुएँ होनी चाहिये।

हमें चाहिये कि रूसी ट्रैक्टरों को बड़े पैमाने पर प्रयोग में लायें क्योंकि उनका मूल्य बहुत कम है। सरकार को भी उनपर बहुत लाभ नहीं कमाना चाहिये। रूसी ट्रैक्टरों के साथ यहाँ साम्यवाद नहीं आ जायेगा। साम्यवाद को आना होगा तो वैसे भी आ जावेगा।

यदि हमारे राजनीतिज्ञ राजनीति के बजाये कृषि पर अधिक जोर दें तो हमारी समस्या हल हो सकती है।

हमें चाहिये कि अधिक उर्वरक का प्रयोग करें तथा सिंचाई की सुविधायें दें। दस लाख नलकूप प्रतिवर्ष लगा दें ताकि वर्षा के ऊपर ही आधारित न रहना पड़े। यदि ऐसा किया गया तो खाद्य समस्या हल हो सकती है।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Deputy Speaker, it is a pity that in spite of the fact that India is an agricultural country, we have to import foodgrains to feed our people. The peasant in India is very sore now.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

Shri Randhir Singh : The peasant in India does not have peace of mind now. I want to tell you frankly that if you do not listen to him there can be a revolution in the country as happened in China. The peasants form eighty percent of the population of India, but still he is given a step-motherly treatment. He is treated like animal and a cattle. He has to pay revenue, tax, water tax and local Taxes. He has to suffer all sorts of hardships. If you do not remedy these things there would be revolution in the country.

The peasant should be given due price for his products, His foodgrains and sugarcane are taken away from him. If he does not give it he is arrested his crops are attached. He is thereafter treated like criminals. We hear slogans like "Jai Jawan and Jai Kisan" but the treatment given to him is not such as may put some confidence in him. Prices of seeds and fertilisers have gone up. The peasant will produce commercial crops so that he may earn some profit. He may be given some incentive. He has to pay high price for the implements which he uses. But his own produce is placed at a loss price.

Villages after villages have been uprooted near Delhi city and other cities although that much land is not actually required.

If you want more foodgrains to be produced. You will have to give the peasant some grant. In England and USA if some barren land is brought under cultivation, a grant has to be given. The same should be done here too. If a farmer is to be given an incentive it should be given to him in the shape of irrigation facilities. Grant should also be given for the virgin land brought under cultivation. Such persons should be removed from Planning Commission who think of imposing taxes on the farmers. The farmers are already burdened and therefore no taxes should be imposed on them. A plan should be drawn and

money from L.I.C. should be utilized and irrigation facilities provided for every inch of cultivable land. The money from industrialists and landlords should also be utilized for this purpose. Instead of begging foodgrains from U.S.A. or Australia irrigation facilities should be provided to the farmers who would then feed the whole country.

An agriculture finance Corporation should be set up to provide cheap and easy credit to the farmers for purchasing tractors, digging tube-wells and effecting other improvements on his land. The cooperative credit societies have proved to be utter failure. The system of granting loans to farmers and its repayment by the farmers adopted by the cooperative societies does not suit the farmers. Arrangement should be made to provide long-term loans to them. It would result in an increase in the food production.

Electricity should be provided to the farmers at cheap rates. Steps should be taken to check bribery in granting electricity connections to the farmers.

Crop insurance should also be introduced. It would benefit the farmer.

Steps should be taken to ensure better quality fodder for cattle which would increase the yield and improve the national wealth .

Food zones should also be abolished. Better marketing facilities should be provided to farmers so that middleman do not swallow major share of farmers profit.

Shri Bhogendra Jha (Jai Nagar) : The food problem has become so acute that it appears that it could end only with end of Congress Government. In fact it is an account of the wrong policies persued be Congress that it has assumed such a serious shape. About two-third of our farmers have no land. Unless they have security of tenancy, they could not be expected to make any investment on their land. It is, therefore, necessary that ownership of land be vested into the farmers who till it. Only then our food problem could be solved. Shri Morarji Desai talks of recession and inflation in the country. Today the consumers have not got the perchasing power and big businessmen and wholesale dealers do not want to sell goods at cheaper rates. When Jagjiwan Ram was made Food and Agriculture Minister some people expected that he would pay attention to the problems of farmers. But we find that the provision for settlement of farmers has been reduced. Every farmer should at least have a house worth living. It is complained that today labour is not available in villages. They are leaving their villages because they have no houses. to live there. Land reforms should be brought on the lines of land reforms in Japan and Formosa. Gandhiji wanted and Acharya Vinoba Bhave and Jai Prakash Narayan are also saying that ownership of land should be vested into the farmer who actually tills it. Only those persons who own big areas of land are opposing it.

Next to land reform, the most important thing is the provision of irrigation facilities. We are spending foreign exchange to the tune of 1500 crores on import of foodgrains from foreign countries. But it did not require any foreign exchange to provide sufficient irrigation facilities. Even then Government have done little to create irrigation potential in the country. Banks should be taken over by the Government so that adequate credit facilities could be provided to the farmers.

Work on the Western Kosi Canal is not making any progress, though it has been inaugurated thrice. After much hue and cry, the Government decided that engineers from Nepal and India would make a joint survey. The survey was made in June. When we went to Nepal and asked the Nepal Government as to whether they have sent their approval for the project, we were informed by them that they had not received any papers from the Government of India till then. When we came here and asked our Government about it we were informed that survey report has been received. It is not understood why the survey report is still lying here and why this attitude of neglect is being adopted by our Government.

The price that is paid to the farmers is not the price fixed by Government, but by the profiteers of the wholesale market who are behind the scene. What has happened in

the case of sugar is an eye-opener. Suagar mill owners were allowed to sale 40% of their production in the open market consequent to which sugar was sold in market at the rate of Rs. 5 to Rs. 6.50 per kilo. It neither benefited the producer nor the consumer. It was done to benefit the mill-owners only. The Government refused to raise the price of sugarcane for the farmer, but the price of sugar has soared sky-high. The mill-owners always raise the price of their product several times higher than the rise in the price of agricultue produce.

The farmers are suffering from double disadvantage. Small farmers are not in a position to retain the stocks of their produce. While they have to sell their produce at a low price they have to purchase their requirements in high prices. The wholesale grain dealers purchase the agricultural produce at low prices and after three-four months they sell it at double rates. It appears that Food Corporation has become a tool in hand of wholesale dealers. Wholesale trade in foodgrains should be taken over by Government. It would also facilitiate distribution of foodgrains among all the States in the country

Some non-Congress State Governments want to introduce beneficiary measures for the cultivators but the Central government are coming in their way. When Bihar Government wanted to abolish the land revenue, Shri Morarji Desai went to Patna and told them that Centre would not provide them any funds to meet the budget deficit. If is different thing that the Bihar Government did not agree to Sri Desai and they abolished the land revenue.

The situation in the country is becoming explosive. Unless radical measures are taken and exploitation of farmers by the vested interests is stopped, the farmers would rise in revolt.

Shri Sheo Narain : If we want to increase food production in the country and to make it self-sufficient it is necessary to give more facilities to the farmers. The farmers are generally short of money and they have to borrow to meet their needs. It entails their exploitation to some extent. It is, therefore, necessary that adequate facilities for getting loans at cheaper rates of interest are provided to them. There has been a long and persisteng demand that banks should be nationalised. Now the time has come when Government should give a serious throught to this question. If it is done, it would be helpful in providing a much-needed money to the farmers.

Crop insurance should also be introduced. When other things could be insured against all sorts of risks, how is it that standing crops could not be insured. General insurance should be nationalised. Government should take steps to ensure that the farmers get good price for their agricultural produce. If we want to become self-sufficient in food, it is necessary that the import of foodgrains is stopped so that farmers could do their best to increase the agricultural production.

More incentives should be given to the farmers. If should be seen that farmer are not burdened with taxes, such as income tax, sales tax, higher rates of water and electricity. The Government should also see that farmers get an adequate price for their produce. If it is not done they would not work hard to increase the production. Land revenue on small holdings should be abolished. When arrears of income tax outstanding against M/s Amir Chand Pyere Lal to the tune of 95 lakhs of rupees could be written off, it is not understood as to why land revenue on small holdings could not be abolished. I would appeal to Government that the interests of farmers should not be ignored. If Government would take step for their welfare it is certain that they would increase the agriculture production.

The blackmarketeers should be severely punished.

Shri Shardanand (Sitapur) : Government says that the country would become self-sufficient in food in the near future. But the way they are formulating and implementing their agricultural policies has created serious doubts whether this would at all be possible for them. The Government sometimes talk of cooperative farming and sometimes about other things.

This kind of attitude and infirm policy has made the farmer suspicious of Government's intentions and they are not trying sincerely to raise the food production. The slogan of co-operative farming has created a doubt in the mind of farmer that he may not loose his right of ownership to the land thereby.

The most important thing in regard to agriculture is the availability of water for irrigation. Our agriculture would not improve if ample facilities of irrigation at cheap rates are not made available. All facilities should be provided to the farmer so that he could sink a well or instal a tube-well on his field or the Government itself should come forward and do the needful.

The climate of India is not suited to the use of chemical fertilizers. If these fertilizers are used the land requires more water. If water is not available in the required quantity, they prove harmful to the land. Therefore, what we should do is to pay more stress on the use of compost manure, which is available in the villages in sufficient quantity.

The farmers are not getting improved seeds in the required quantity. Arrangement for distribution of improved seeds is not satisfactory. Government should take steps to ensure that farmers do get improved seeds without any difficulty.

Sugar problem is taking a serious turn. Had the Government looked to this matter earlier, the present situation would not have arisen. The reason for this shortage is that the cane-grower is not getting a reasonable price for sugarcane. Late Shri Rafi Ahmad Kidwai had evolved a formula that the cane-grower should get one-sixteenth of what was charged for the sugar. This principle has not been adopted in fixing the price of sugar-cane. Now, the cane-growers are demanding a price of Rs. 5 per maund. This should be acceeded to and uniform rates should he fixed throughout the country. The Government should guarantee the cane-grwers that the same rates would continue for the farmers in future.

A sum of Rs. 510 crores has been provided for small irrigation schemes but not a single paisa has been provided for medium schemes. Had the Panchesshwar scheme been completed, the capacity of Sharda Saugar would have been raised and the irrigation problem of our State would have been solved to a large extent.

Another factor of low production is that our farmers are not healthy due to lack of nutritious food. Nutritious food should be provided to them. Agricultural labour is migrating to urban areas as proper attention is not paid to them.

Small tractor industry should be set up at the earliest so that cheap tractors are easily available.

Shri Onkar Lal Bahra (Chittorgarh): Ours was a predominantly agricultural country. If we continued to depend on nature for the solution of our food problem, then it would be a blunder. What steps had been taken to increase our agricultural production after independence? A majority of population is engaged in agriculture industry and yet today we depend on other countries for our food requirements. This is really a very sorrowful state of affairs.

The Indian farmer does not still enjoy a respectable position in the society and it is one of the factors responsible for the indifference towards agriculture which ultimately come in the way of raising food production. The younger generation has to be encouraged to take to agriculture and make use of the modern methods.

Improved seeds, good fertilizers and the facilities of irrigation are not provided to the farmers. The problem of irrigation could be solved only with the completion of major and minor irrigation schemes. Only then waste land would be put into productive use.

There should be a ceiling on land holdings. The actual tiller of the land should be the owner of the land he tilled. States should be advised to implement the Land Ceiling Act without delay. The younger generation should be encouraged to take to agriculture.

The Rajasthan Canal when completed would go a long way to solve the food problem of not only Rajasthan but of the Country as a whole, Adequate funds should be made available for the project so that it could be completed as early as posible. By the time it is completed, sums should be provided for small irrigation schemes.

The zonal system of foodgrains should be abolished.

There should be a balance between cash crops and other crops. We should stop import of foodgrains from abroad henceforth and should take concrete steps to make the country self-sufficient in foodgrains.

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : देश की खाद्य स्थिति बड़े संकट में है। लेकिन यह और अधिक गम्भीर आर्थिक संकट का केवल एक भाग है जो दिन व दिन गम्भीर होता जा रहा है। यदि यह संकट काफी समय तक चलता रहा तो इसके फलस्वरूप एक राजनीतिक संकट पैदा हो जायेगा जिससे कांग्रेस शासन का सर्वनाश हो जायेगा। इस संकट से निकलने के लिए कांग्रेस मजदूर लोगों को अनाज देकर उनकी सहायता कर रही है।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए

Shri C. K. Bhattacharge in the Chair

कांग्रेस सरकार कोई राष्ट्रीय खाद्य नीति या एकाधिकार वसूली का समान वितरण की नीति नहीं अपना रही है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से वे आत्म-निर्भरता की बातें कर रहे हैं किन्तु अभी तक ऐसा होने का कोई आसार दिखाई नहीं देता।

विश्व युद्धकाल में भी केरल में लोगों को 16 औंस चावल मिलते थे। स्वतंत्रता के 20 वर्ष बाद केरल के लोगों को केवल तीन औंस चावल मिलते हैं। खाद्य के मामले में हमने यह प्रगति की है। आंकड़ों से पता चलता है कि केरल कमी वाला राज्य है। केरल में खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। पोषाहार समिति की सिफारिश के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन 14 औंस अनाज मिलना चाहिये। एक वयस्क को 6 औंस चावल देने के लिए केरल को प्रतिमास 77,000 टन चावल दिया जाना चाहिये लेकिन हमें बहुत कम चावल दिया जा रहा है। 1967 में बम्पर क्राप होने पर भी हमें केवल 44,500 टन चावल प्रतिमास दिया जा रहा है।

जब दक्षिण क्षेत्र हटाया गया तो केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया कि वे केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल देंगे और उन्हें बफर स्टाक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 75,000 टन चावल प्रतिमास देने का वचन दिया था किन्तु हमें केवल 30,000 या 40,000 टन चावल मिल रहा है। जब हम कहते हैं कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है तो हमारे साथ झगड़ा किया जाता है और हमें कहा जाता है कि हम केन्द्र के खिलाफ गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। इसके प्रतिकूल पश्चिम बंगाल को अनाज भेजा गया। विधि मंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार केरल को चावल देने में विफल हुई है। उनके इस कथन के पीछे कोई उद्देश्य है। सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि केरल सरकार लोगों को चावल नहीं दे सकी (व्यवधान)।

केन्द्रीय सरकार चावल न देकर केरल के लोगों को केरल की सरकार के खिलाफ भड़का रही है। 1959 में भी केन्द्रीय सरकार ने आन्दोलन में हस्तक्षेप किया और सरकार को गिरा दिया। कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने में विश्वास रखती है। हरियाना और पश्चिम बंगाल में यही काम किया गया और अब वे केरल की सरकार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।

वसूली की नीति के बारे में केन्द्र ने आरोप लगाया है कि केरल निर्धारित मात्रा की वसूली नहीं करता। पिछली फसल में 49,162 टन का लक्ष्य रखा गया था जबकि हमने 52,245 टन की वसूली की।

केरल ने केन्द्र से 75,000 टन चावल देने या अन्य राज्यों से चावल खरीदने की अनुमति देने के लिए कहा। अन्य राज्यों से अनाज खरीदने की इजाजत राज्य को नहीं दी जाती। हमें न तो चावल दिया जाता है और न ही दूसरे राज्यों से खरीदने की इजाज़त दी जाती है। यदि हम ऊँचे मूल्य दें तो पड़ोसी राज्य चावल देने के लिए तैयार हैं लेकिन केन्द्र ऐसा करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। हमें या तो 75,000 टन चावल प्रतिमास दिया जाना चाहिये अथवा हमें दूसरे राज्यों से चावल खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये चाहे अधिक ऊँचे दाम देना भी आवश्यक हो।

देश में 110 लाख एकड़ भूमि पर कृषि की जा सकती है। इसे किसानों के बीच बाँटा जाना चाहिये। यदि आधी भूमि पर ही कृषि की जाये तो हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

श्री अरुमुगम (टेंकासी) : खाद्य समस्या पर चर्चा करते समय हमें अपने उन कारनामों को नहीं भूलना चाहिये जो हमने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद खाद्य के मोर्चे में किए हैं। कई बाँधों का निर्माण करके हमने हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई शुरू कर दी है। किसानों को उर्वरक, अच्छे बीज, कीटनाशक औषधि, आवश्यक जल सप्लाई और अच्छे कृषि औजार और अन्य सुविधायें देकर हमने कृषि उत्पादन को काफी हद तक बढ़ा दिया है। लेकिन लक्ष्य पूरे न होने का कोई न कोई कारण है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता।

मद्रास राज्य में काँग्रेस सरकार के अधीन कृषि में जबरदस्त प्रगति हुई है। कई बाँधों का निर्माण किया गया है और नदियों के 90 प्रतिशत जल का प्रयोग किया गया है। भारत में पाँच लाख पम्प लगाये गए हैं। इसमें से 2½ लाख पम्प केवल मद्रास राज्य में लगाये गए हैं। उनमें बिजली लगाई गई है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करके हमारा राज्य एक अतिरिक्त उपज वाला राज्य बन गया है जबकि पहले यह एक कम उपज वाला राज्य था।

वसूली के बारे में मद्रास राज्य में वसूली की कीमत और बाजार की कीमत में भारी अन्तर है। इसके इलावा वसूली जबरदस्ती और दुःखदायी तरीकों से की जाती है। किसानों को इससे बचने के लिए अदालतों में जाना पड़ता है। इससे अधिक पैदा करने के लिये प्रोत्साहन पकसानों को नहीं मिलेगा।

मद्रास राज्य के कुछ इलाकों में कृषि श्रमिकों को फसल काटने के लिए अपने स्थान की बजाय अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। मजदूरी के रूप में उन्हें धान दी जाती है परन्तु वापसी पर उनसे धान छीन ली जाती है और उनपर मुकदमा चलाया जाता है। वसूली के नाम पर जो ऐसी बातें हो रही हैं उनको रोका जाना चाहिये।

पहले मद्रास के हर गाँव में राशन की व्यवस्था थी और हर देहाती को राशन मिलता था लेकिन अब इसे बन्द कर दिया गया है और देहाती क्षेत्रों के अधिकांश लोगों को चावल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और भाव बहुत तेज होते जा रहे हैं।

अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार कानून क्रियान्वित किये जा चुके हैं; फिर भी हजारों किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के पास खेती के लिये भूमि नहीं है। कृषि योग्य वन-भूमि पुरम्बोक तथा पट्टा भूमि बेकार पड़ी है, हम बंजर भूमि अर्जित कर सकते हैं, जिसकी कीमत भी कम होगी और जो उपजाऊ भी है। इस भूमि का वितरण भूमिहीन लोगों तथा हरिजनों में किया जा सकता

है। सरकार को उन्हें इस भूमि को खेती योग्य बनाने तथा उसपर खेती करने के लिये उन्हें राज सहायता तथा ऋण देना जरूरी है। इन योजनाओं से गरीब लोगों को खेती के लिये भूमि अपने लिये व्यवसाय तथा देश के लिये अपेक्षित खाद्यान्न मिलेंगे।

श्री जे० के० चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : चावल तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों को गुजारा करना कठिन हो रहा है। इस सारी कठिनाई का सम्बन्ध कृषि से है।

सूखे की स्थिति पर दोष देने से कोई लाभ नहीं है। 1,200 करोड़ रुपए सिंचाई, बाँध तथा अन्य सुविधाओं पर खर्च करने के बाद यह बात समझ में नहीं आती कि सूखे की स्थिति का हमारी कृषि पर इतना अधिक प्रभाव क्यों पड़ना चाहिये ? किन्तु छोटी तथा मझली सिंचाई योजनाओं की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।

मुझे आश्चर्य है कि खाद्य उत्पादन के आँकड़े कैसे एकत्रित किए गए। कोई भी किसान यह बताने के लिये तैयार नहीं है कि उसके पास कितना अनाज है। इसके दो कारण हैं, पहला यह कि किसान अन्धविश्वासी है और वह समझता है कि यदि वास्तविक आँकड़े बता दिए जायें और अच्छी फसल हुई तो दूसरे वर्ष उसके दुर्भाग्य के कारण फसल अच्छी नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि उसे भय बना रहता है कि कहीं सरकार उसकी उपज को न ले ले। इस वर्ष की 950 लाख टन की अनुमानित फसल के बारे में सन्देह उत्पन्न हुआ है और इस सन्देह का निराकरण किया जाना चाहिये। हम तो यह जानते हैं कि देश में अनाज है लेकिन उसका उचित वितरण नहीं हो रहा है।

यह बड़े खेद की बात है कि जो कुछ अनाज हमारे पास है उसका भी वितरण उचित ढंग से नहीं हो रहा है। इसका कोई आधारभूत हल निकालना जरूरी है। अनाज के व्यापार में बिचौलियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूँ। यदि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो हमें कुछ निश्चयात्मक कदम उठाने चाहिए। डिप्टी कलेक्टर से आई० ए० एस० तक के प्रत्येक अधिकारी को तीन वर्ष तक गाँवों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। उसे एक राज्य के गाँवों में एक वर्ष तक प्रशिक्षण लेना चाहिये और वहाँ की भाषा सीखनी चाहिये और किसानों से निकट सम्पर्क स्थापित करना चाहिए ताकि उसे मालूम हो कि देश क्या है और किसानों की स्थिति क्या है, और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये किसानों को किस प्रकार उचित और यथासमय सुविधायें दी जा सकती हैं। उसे खण्ड विकास अधिकारियों के साथ काम करना होगा। जहाँ तक खण्ड विकास अधिकारी की अर्हता का प्रश्न है, प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी कृषि-विषय का स्नातक होना चाहिये और खण्ड-विकास अधिकारी सहित इन सभी प्रशिक्षण लेने वालों को बन्दोबस्त सिंचाई, उर्वरक, कूड़ा खाद, अच्छे बीज, कीटनाशक दवाइयों तथा ऐसी अन्य वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। अन्यथा किसान को ये सभी वस्तुएँ जिनकी सरकार व्यवस्था कर रही है, ठीक समय पर नहीं मिल पायेंगी।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें अनाज के मामले में अन्य देशों पर विशेषतः अमरीका पर निर्भर रहना पड़ता है और उद्योगों तथा अन्य चीजों के लिये तथाकथित 'कन्सोर्शियम' से कर्जा लेना पड़ता है। हम तब तक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कहला सकते जब तक कि हम अनाज तथा एक बड़ी सीमा तक उद्योगों के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो जाते।

श्रीमती निर्लेप कौर (संगरूर) : सभापति महोदय, इस बात से हम सभी सहमत हैं कि कि आज हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या अनाज की है और यदि इसे हल नहीं किया गया तो इससे केवल हमारे उद्योग तथा अर्थव्यवस्था को ही नहीं अपितु हमारी विदेश नीति को भी बड़ा खतरा पैदा होगा। कृषि के मामले में पंजाब सबसे विकसित राज्य है परन्तु इस राज्य की भी कुछ कमियां तथा आवश्यकताएं हैं, यदि उनकी ओर ध्यान दिया गया, तो वह खाद्य समस्या को हल करने में सहायक भी होगा।

किसान कृषि के लिये अपेक्षित चीजों यथा पानी, बिजली, उर्वरक, धन, ट्रैक्टर, बीमा, भूमि, सुधार सम्बन्धी नीतियों की क्रियान्वित आदि की निरन्तर मांग करता आ रहा है किन्तु पिछले बीस सालों में किसान की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, चूंकि मैं इन सभी बातों पर न बोलकर केवल सिंचाई के बारे में बोलूंगी, जब भाखड़ा बांध बना तो हमने सोचा कि इससे समस्या हल हो जायेगी और पंजाब के लोगों को आशा बंधेगी। चूंकि इस बांध से 20 लाख एकड़ की भूमि में सिंचाई होने का अनुमान लगाया गया था किन्तु वास्तव में सिंचाई केवल 15 लाख एकड़ भूमि में ही हो रही है। इसके अलावा हमें भूमि के जलमग्न होने की एक बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। जितने क्षेत्र में भाकड़ा बांध से सिंचाई होती है लगभग उतना ही क्षेत्र जलमग्न भी हो जाता है। लुधियाना, अमृतसर, संगरूर और पटियाला के चार जिलों में भूमि जलमग्न हो जाती है और यदि स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो उस भूमि पर बाद में खेती नहीं हो सकेगी। इसलिये इस समूचे क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने चाहिये, जिनसे पानी की सप्लाई फिरोजपुर, भटिंडा, राजस्थान अथवा हरयाना को की जा सकती है। इसलिये इसके दो प्रत्यक्ष लाभ भी हैं—एक तो भूमि के जलमग्न होने की समस्या हल हो जायेगी दूसरा यह कि इससे अन्य क्षेत्रों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो जायेगा।

अब प्रश्न यह है कि इतना धन कहां से आयेगा। इन चार क्षेत्रों में नलकूपों के लगाने पर लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा, यदि सरकार इन चार जिलों पर इतना धन खर्च नहीं कर सकतीं, तो वह उन्हें कर्ज के रूप में तो यह धन दे सकती है जिसकी अदायगी तीन वर्ष में की जा सकती है।

इसके साथ-साथ सिंचाई के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं। हमें सिंचाई के मामले में खासकर राजस्थान जैसे इलाकों में, नहर व्यवस्था के मुकाबले पाइप लाइन व्यवस्था को वरीयता देनी चाहिये इसपर एक तो खर्च कम आता है, दूसरा भूमि अर्जित करने के लिये मुआवजा भी नहीं देना पड़ता। इससे भूमि को जलमग्न समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। इस कार्य के लिये देश में पाइप की प्रणाली भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिये यह प्रणाली नहर प्रणाली से सस्ती है और इससे भूमि का अर्जन करने तथा अन्य सम्बद्ध विषयों में निहित भ्रष्टाचार भी दूर होता है। किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि पाइप प्रणाली से पानी सप्लाई करने की दर वही होनी चाहिये जो इस समय नहरों से पानी सप्लाई करने की दर है अन्यथा किसान पाइपों से पानी लेने के लिये तैयार नहीं होंगे। इसी प्रकार किसानों के लिये बिजली की दर भी मंहगी नहीं होनी चाहिये।

अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि दैविक प्रकोप के समय किसानों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि पर्याप्त होनी चाहिय जिससे कि वह अपने परिवार के लिये भोजन

की व्यवस्था कर सकें, अपने लिये ढोर जुटा सकें तथा अगली फसल के लिये बीज आदि खरीद सकें।

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : During every session, discusssions on the food situation takes place and suggestions are made by the members to improve the food position but they have failed to produce any result. It is high time we analyse the causes of their failure and take necessary steps to increase our food production.

It is very sad that even the available quantity of foodgrains in the country is not being properly distributed and prices also differ in various parts. This is not conducive to the unity and integrity of the country. Efforts should be made to remove this disparity through the cooperation of the States. The surplus States should willingly help the needy or deficit States.

As regards the farmer, he has been demanding for the supply of water, improved seed, fertilisers and otherthings required for agriculture. Due attention should be paid to satisfy the requirements of the farmer. For the purpose, it is also necessary to appoint such officers in the rural areas to deal with or guide the farmer as have good knowledge of agriculture. It is felt that if the farmer is provided all the necessary facilities at proper time, he can increase production to a large extent. In this respect minor irrigation schemes should be given priority.

The rationing system in Bombay, Poona, Nagpur and other big cities of Maharashtra is not functioning well due to delayed supply of foodgrains by the Centre. The Government should see that the supplies are made in time so that the people have not to suffer.

The Krishna-Godavari waters scheme was pending with the Centre for a long time. It should be expedited so that Maharashtra could be benefited. Electricity is also badly needed by the farmers there. Steps should also be taken to see that the supply of electricity at cheap rates is arranged for agricultural purposes in the rural areas of Maharashtra so that the long-felt need of the farmers there could be satisfied.

The proposed agricultural income-tax by the Planning Commission is not at all justified, it would discourage the farmers from producing more. It is hoped that such a tax would not be levied.

While death rate is higer among farmers in villages how can we expect them to produce more. It is the farmers who feed the cities. Mr. Jagjivan Ram and Mr. Shinde, who belong to Bihar, are aware of the difficulties of farmers. They should make arrangements to provide power and irrigational facilities, seeds, fertilizers etc. to farmers in time to enable them to increase the production.

Shri Mudrika Sinha (Aurangabad) : It is very shameful that we could not be self-sufficient in foodgrains even in 20 years since Independence. For want of any well-thought agricultural plan of the Government, wr are still much backward in agriculture and are dependent on import of foodgrains. It is unfortunate that we have to depend on rains for agriculture in the present scientific age. It is the high time when arrangements should be made to provide proper and ample irrigational facilities by digging canals and by sinking tubewells. If it is not done, we will not be able to increase the agricultural production.

All possible incentives should be given to fatmers with a view to encourage them for boosting up agricultural production. They should be provided with good variety of seeds and fertilizers in time.

The proposed agricultural tax would increase the sufferings of those farmers who are already hard-hit by two consecutive droughts. This year they expect that there would be good harvest which would enable them to clear off their outstanding debts. In case this tax is imposed on them, their hopes will be obliterated and they will continue to be hard-pressed.

Those who talks about the tax paying capacity are perhaps unaware of realities of farmers' life. It is hoped that Government would not levy this tax.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : India has been facing food problem like an uninvited guest since Independence, and the efforts made during the last 20 years to acquire self-sufficiency in foodgrains have proved a failure, for we are still far behind this target. It is mainly due to the fact that Government have not taken appropriate steps in this direction. For example it was propoagated that we people should change their food habits and should shift from staple food to non-vegetarian food. If this argument had any consistency Government should have curtailed the supply to foodgrains on experimental basis to those who liked non-vegetarian food with a view to find out how long they could prolong without foodgrains. Similarly, the use of tractors is not practical in country like India which is densely populated and where land holdings are very small. Apart from this farmers have to face difficulty in obtaining spare parts of tractors.

In fact what is needed in India is the cow-protection. If cows are protected and their breeding is improved, not only the milk which we would get in large quantity but also oxen for agriculture purposes—Oxen are more useful than tractors since we utilize them not only in tilling the land but utilize their dung as manure. The increase in milk production would go a long way in solving our food problem. But what is happening in India is that Government is asking the people to eat meat and fish which will not help in solving our food problem.

Shri Ram Singh Ayarwal (Saugar): Ours is an agricultural country and 80 percent of its population is dependent on agriculture, but most of them are agricultural labourers who till the land which is not theirs. The zamindars have distributed their land among their relatives and every year they change these tillers so that they may not acquire tenancy rights.

Since Independence, efforts have been made to bring about industrial revolution in India while there are other countries where efforts were made to bring about agricultural revolution after getting independence. As a result thereof, large buildings have been built in big cities like Delhi.

The demand of unemployment is becoming uglier and more dangerous in India day by day.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The Employment Exchanges in the country should be directed to make arrangements for providing land and other facilities to those matriculates who want to take up farming. Steps should also be taken to see that the profit of higher price of sugar should accrue to the growers rather than Sugar Mills. The land given to Adivasi landless labourers is only in name. Actually, the original landowners harass them and seize thier land. It would be better if collective forming is undertaken rather than cooperative faming as is done at present.

दिल्ली में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: LAW AND ORDER SITUATION IN DELHI

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अन्तर्गत यह चर्चा आरम्भ करेंगे। यह चर्चा एक घंटे में पूरी हो जानी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): I am at pin to say that the citizens of Delhi do not feel themselves secure as in other big cities of India like, Bombay, Madras, Hyderabad

etc. although the Administration might claim otherwise. People can face unforeseen and foreseeable natural calamitis with courage and fortitude but the unmitigated crimes wave which has let itself loose on Delhi citizens is unendurable and too much for them. The crime-rate has shown a steady increase since 1961-62, when their number was 16081 and now it has touched 26,000. Delhi has become a burglar's paradise. The most shameful aspect of all this that 60 percent of the culprits are not apprehended at all. Of the remaing in 40 percent only twenty percent are convicted. Only 17 percent of the value of total thefts is recoverable in Delhi This is police record in the Capital when there are 14,000 policemen in Delhi and the number of police officers is swelling fast. Murders committed in busy bazars and national highways have not been traced so far. Cases of kidnappings and burning persons to death did not move the police of Delhi to action inspite of prior information and warning to them by the victims and their well wishers. If. V.I.Ps and those persons are involved in which the police are interested, immediate action follows to make recoveries and apprehend the guilty. But in majority of such incidents general public are involved and the police connive at them. One can get anything done by paying a settled price from kidnapping, murder, rape, beating and what not. The Delhi Police continues to adopt heckneyed and stereotyped third grade means for detection whereas the criminals have come up fast to adopt sophisticated means. They adopt all the scientific methods to see that no traces are left after the commission of the crime. They are running regular training schools in Delhi. I am at pains to say that the Delhi Police is not only inefficient but corrupt and plays into the hands of Goodas and political bigwigs. The responsibility of maintaining law and order in the capital is that of the Centre and not of the Delhi Administration and the Central Government does not find any time to look to this very vital aspect and the local Congress organisation is also at sixes and sevens. According to the Interim Report of the Khosla Commission "life in the police force has immense opportunities of making illicit earnings. The reputation of the police has never been at a lower ebb than now." Perhaps this is a much darker and perhaps truer picture of the police than I have tried to paint before the House.

I would conclude with three suggestions in this regard. First, the Delhi Police should be organised along modern lines. There should be proper and highclass training facilities in the capital as also a well-equipped labouratory. Secondly, they should be disengaged from dancing attendance upon, Ministars and other big bosses and allowed to attend to their primary duty of maintaining law and order and providing security to the citizens. Thirdly, their service conditions should also be improved in the light of Khosla Commission Report. Lastly, I want to submit one more thing. The Delhi Police asked people to get the names of domestic servant registered with them for identification and verification. Nearly 3,000 servants belong to U. P. and U. P. Police are demanding Rs. 5- per servant for this service.

This is not a political issue. This is a question of the security of citizens and therefore all possible efforts should be made to see that people should feel secure and lead a care-free life.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Citizens are much harassed by Scrooterwalla. Thefts and unsocial acts are not checked as political bigwigs come to their rescue and put pressure on the police not to take action against the culprits under threats of adverse action against the police. There is a spate of unauthorised construction activity in the capital which should be checked . If police is corrupt the local political leaders are also to blame for the lawlessness in the capital. A list of all such leaders should be made as come to shield the anti-social elements and culprits from police action and shou.d be published later so that public might come to know and such activities should be checked.

श्री लोबो प्रभु (उदीपयी) : एक मैजिस्ट्रेट तथा गृह सचिव रहने के नाते मेरा 1928 से पुलिस के साथ सम्बन्ध रहा है। पुलिस प्रशासन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इस प्रशासन

के तीन भाग हैं—सतर्कता, जाँच तथा शान्ति बनाए रखना। ये सभी पहलू गिरावट की ओर चले गए हैं। इसका पहला कारण सामाजिक स्थिति में गिरावट है और दूसरा कारण राजनैतिक हस्तक्षेप है। यदि पुलिस पर कोई बाहरी दबाव न डाला जाए तो वह प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। सरकार को चाहिये कि जो पुलिस कर्मचारी दयानतदारी से अपना कार्य करे उसे पुरस्कार दिया जाए और जो व्यक्ति ठीक से कार्य न करें उन्हें कड़ी सजा दी जाए।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : The rule of the jungle has taken the place of rule of law in the capital. Police find it much easier to file complaints and cases rather than trace them or pursue them. Political interference should be stopped forthwith. Stringent action should be taken against erring police personnel and diarchy should be abolished as it is also one of the contributing causes to the confusion prevailing in the capital.

I feel that a comittee of M.Ps of Delhi should be appointed to act as a laison with the Home Ministry to suggest ways and means to solve the law and order problems of the capital cropping up from day to day.

Lastly, the discontent amongst the Delhi Policemen should be removed in the light of Khosla Commission report. The suggestions if accepted, would go a long way in solving the law and order problems of the capital.

Shri Rabi Ray (Puri) : It is regrettable that cases are still pending against some Delhi Police and some of them are still under suspension. The Police force is disappointed because of the treatment being meted out to their colleagues.

After independence no attempt has been made to examine the question of relationship between the people and the police. An all India Commission should be appointed to examine as to what type of relationship should be there between the police and the people in independent India.

Service conditions of policemen should be improved. They should be given more pay and better housing facilities.

There should be decentralisation of police administration in the country. Police should be under the control of the Gram Panchayats and Zila Parishads.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Law and order situation has deteriorated throughout India. The incidence of crimes has increased considerably.

Section 144 C. P. C. which has become a permanent feature in Delhi should be lifted. People should be given an opportunity to hold demonstrations in order to give expression to their feelings on different matters.

Now we are a free nation. The old attitude of Police should change. A parliamentary Committee should be appointed to evolve a code of conduct for the pllice.

All political parties in Delhi should formulate a code that they will not support any goonda element. Political patronage of criminals should end.

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargon) : Some time ago, some mattresses belonging to the Railways were stolen in Delhi and they were found in the house of a Councillor. Why has no case been registered against him. Why has no case been registered against a person who was caught in connection with the movement of foodgrains in a railway wagon from Narda to Ghaziabad.

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : जो आदमी सिपाही की समस्या को समझता है, वह जानता है कि किन कठिन परिस्थितियों में वह काम करता है। उसे कोई छुट्टी नहीं होती, उसे

24 घंटे काम करना पड़ता है। खोसला आयोग ने कहा है कि इन सिपाहियों को दी गई सुविधाएँ इतनी पुरानी हैं कि उन्हें बदलना आवश्यक है। इसके बावजूद सरकार एक शान्त दर्शक की तरह बैठी हुई है।

आयोग ने एक क्लर्क और एक सिपाही के वेतन की तुलना की है। एक क्लर्क को कुल वेतन लगभग 191 रुपए मिलता है जबकि एक सिपाही को केवल 129 रुपए मिलते हैं। लेकिन एक सिपाही का काम एक क्लर्क के काम से काफी अधिक मुश्किल होता है, इसलिए सरकार को सर्वप्रथम यह करना चाहिये कि अधिकारियों तथा निम्न स्तर के लोगों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये। उन अधिकारियों और व्यक्तियों को काम पर वापस लिया जाना चाहिए और उनके साथ जो दबे हुए हैं और जो मूल विभागों में भेजे गए थे अथवा जिन्हें आचरण के फजूल आरोप पर बर्खास्त कर दिया गया था, उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में आयोग ने कहा है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन के उच्चतम अधिकारी कर्त्तव्य की उपेक्षा करते हैं। उसकी राय है कि पुलिस बल में लोगों की भर्ती करते समय सरकार को उन व्यक्तियों को भर्ती करनी चाहिए जिनके पास उचित योग्यतायें और जिनमें ईमानदारी और त्याग की भावना है। सरकार को विशेष रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि वह पुलिस प्रशासन में क्या सुधार करने जा रही है।

सभा का कार्य

Business of the House

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं कल 6 दिसम्बर, 1967 के सरकारी कार्य के क्रम में एक परिवर्तन की घोषणा करना चाहता हूँ। अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक पर विचार करने के बाद, शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा होगी। उसके पश्चात् राजभाषा (संशोधक) विधेयक और भाषाओं सम्बन्धी संकल्प लिया जायेगा।

Shri Randhir Singh : It is wrong to say that corruption has increased among police personnel. As a matter of fact if corruption has decreased anywhere it is among the police force where corruption has reduced.

It has been stated that the Government is not giving propper training to the police. The facts are otherwise . The police force is being given proper training. The government has established training schools for police personnel.

श्री ढिल्लन पीठासीन हुए

[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

Method of investigation of cases by the police should be improved. Investigation should be conducted on scientific lines. More vehicles should be provided to the police so that their morality may be improved.

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली पुलिस में अधिकतर ऐसे क्षेत्र के युवक भर्ती किए गए हैं जो बहादुरी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि ऐसे अच्छे युवकों से गठित किए गए पुलिस बल को प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती।

के तीन भाग हैं—सतर्कता, जांच तथा शान्ति बनाए रखना। ये सभी पहलू गिरावट की ओर चले गए हैं। इसका पहला कारण सामाजिक स्थिति में गिरावट है और दूसरा कारण राजनैतिक हस्तक्षेप है। यदि पुलिस पर कोई बाहरी दबाव न डाला जाए तो वह प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। सरकार को चाहिये कि जो पुलिस कर्मचारी दयानतदारी से अपना कार्य करे उसे पुरस्कार दिया जाए और जो व्यक्ति ठीक से कार्य न करें उन्हें कड़ी सजा दी जाए।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : The rule of the jungle has taken the place of rule of law in the capital. Police find it much easier to file complaints and cases rather than trace them or pursue them. Political interference should be stopped forthwith. Stringent action should be taken against erring police personnel and diarchy should be abolished as it is also one of the contributing causes to the confusion prevailing in the capital.

I feel that a comittee of M.Ps of Delhi should be appointed to act as a laison with the Home Ministry to suggest ways and means to solve the law and order problems of the capital cropping up from day to day.

Lastly, the discontent amongst the Delhi Policemen should be removed in the light of Khosla Commission report. The suggestions if accepted, would go a long way in solving the law and order problems of the capital.

Shri Rabi Ray (Puri) : It is regrettable that cases are still pending against some Delhi Police and some of them are still under suspension. The Police force is disappointed because of the treatment being meted out to their colleagues.

After independence no attempt has been made to examine the question of relationship between the people and the police. An all India Commission should be appointed to examine as to what type of relationship should be there between the police and the people in independent India.

Service conditions of policemen should be improved. They should be given more pay and better housing facilities.

There should be decentralisation of police administration in the country. Police should be under the control of the Gram Panchayats and Zila Parishads.

[**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur): Law and order situation has deteriorated throughout India. The incidence of crimes has increased considerably.

Section 144 C. P. C. which has become a permanent feature in Delhi should be lifted. People should be given an opportunity to hold demonstrations in order to give expression to their feelings on different matters.

Now we are a free nation. The old attitude of Police should change. A parliamentary Committee should be appointed to evolve a code of conduct for the pllice.

All political parties in Delhi should formulate a code that they will not support any goonda element. Political patronage of criminals should end.

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargon) : Some time ago, some mattresses belonging to the Railways were stolen in Delhi and they were found in the house of a Councillor. Why has no case been registered against him. Why has no case been registered against a person who was caught in connection with the movement of foodgrains in a railway wagon from Narda to Ghaziabad.

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : जो आदमी सिपाही की समस्या को समझता है, वह जानता है कि किन कठिन परिस्थितियों में वह काम करता है। उसे कोई छुट्टी नहीं होती, उसे

24 घंटे काम करना पड़ता है। खोसला आयोग ने कहा है कि इन सिपाहियों को दी गई सुविधाएँ इतनी पुरानी हैं कि उन्हें बदलना आवश्यक है। इसके बावजूद सरकार एक शान्त दर्शक की तरह बैठी हुई है।

आयोग ने एक क्लर्क और एक सिपाही के वेतन की तुलना की है। एक क्लर्क को कुल वेतन लगभग 191 रुपए मिलता है जबकि एक सिपाही को केवल 129 रुपए मिलते हैं। लेकिन एक सिपाही का काम एक क्लर्क के काम से काफी अधिक मुश्किल होता है, इसलिए सरकार को सर्वप्रथम यह करना चाहिये कि अधिकारियों तथा निम्न स्तर के लोगों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाये। उन अधिकारियों और व्यक्तियों को काम पर वापस लिया जाना चाहिए और उनके साथ जो दबे हुए हैं और जो मूल विभागों में भेजे गए थे अथवा जिन्हें आचरण के फजूल आरोप पर बर्खास्त कर दिया गया था, उदारता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के सम्बन्ध में आयोग ने कहा है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन के उच्चतम अधिकारी कर्त्तव्य की उपेक्षा करते हैं। उसकी राय है कि पुलिस बल में लोगों की भर्ती करते समय सरकार को उन व्यक्तियों को भर्ती करनी चाहिए जिनके पास उचित योग्यतायें और जिनमें ईमानदारी और त्याग की भावना है। सरकार को विशेष रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि वह पुलिस प्रशासन में क्या सुधार करने जा रही है।

सभा का कार्य

Business of the House

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं कल 6 दिसम्बर, 1967 के सरकारी कार्य के क्रम में एक परिवर्तन की घोषणा करना चाहता हूँ। अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) विधेयक पर विचार करने के बाद, शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन और शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा होगी। उसके पश्चात् राजभाषा (संशोधक) विधेयक और भाषाओं सम्बन्धी संकल्प लिया जायेगा।

Shri Randhir Singh : It is wrong to say that corruption has increased among police personnel. As a matter of fact if corruption has decreased anywhere it is among the police force where corruption has reduced.

It has been stated that the Government is not giving propper training to the police. The facts are otherwise . The police force is being given proper training. The government has established training schools for police personnel.

श्री ढिल्लन पीठासीन हुए

[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

Method of investigation of cases by the police should be improved. Investigation should be conducted on scientific lines. More vehicles should be provided to the police so that their morality may be improved.

श्री म० ला० सोंधी : दिल्ली पुलिस में अधिकतर ऐसे क्षेत्र के युवक भर्ती किए गए हैं जो बहादुरी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि ऐसे अच्छे युवकों से गठित किए गए पुलिस बल को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिलती।

जनता में, खासकर नई दिल्ली में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। इससे यही पता लगता है कि हमारे पुलिस बल में कुछ दोष है। सरकार को इस समस्या पर फिर से विचार करना चाहिए।

हम नगरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और इसकी पाश्चात्य प्रणाली सबसे बुरी है। इससे अपराध तथा किशोर अपराध को प्रोत्साहन मिलता है और अपराधी उपक्रम सबसे खतरनाक संस्था है।

अपराधों की ठीक-ठीक जानकारी नहीं दी जाती है। अपराधों को जानकारी देने की कोई केन्द्रीय व्यवस्था नहीं है। एक ऐसा स्थान नियत किया जाना चाहिये जहाँ पर सभी अपराधों की जानकारी दी जाये ताकि अपराधों के सही आँकड़े प्राप्त हो सकें।

दिल्ली में हमारे पास बहुत अच्छे सिपाही हैं। उनमें विश्वास की भावना पैदा की जानी चाहिए। उनके पोशाक की वर्दी ऐसी होनी चाहिए जो भारत के लिए उपयुक्त हो और वे सम्माननीय दिखाई दें। उन्हें पर्याप्त और रचनात्मक अवकाश के सभी अवसर दिए जाने चाहिये। पुलिस अधिकारियों से कहा जाये कि वे इन लोगों की सही ढंग से देख-भाल करें। यदि कुछ अड़ियल पुलिस अधिकारी हैं, भले ही वे कितने ही ऊँचे पद पर हों, तो उन्हें निवारणार्थ दंड दिया जाना चाहिए

नई दिल्ली में धारा 144 स्थायी तौर लागू है। मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे लिये सार्वजनिक सभाएँ आयोजित करना बहुत कठिन है।

सभी दलों को एक साथ बैठकर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि राजधानी को रहने योग्य स्थान बनाया जाये। हमें अपनी राजधानी शहर को खतरों से बचाना चाहिए।

Shri R. S. Vidyarthi : During the last three years honest people in the Investigation Wing of the Delhi Police have been transferred to the Crime Wing. 60 percent of the people working in the Police stations of Delhi have no experience of the job of investigation. The police stations do not register most of the theft cases. The result is that there is no proper reporting of crimes. The public many times brought their grievances to the notice of the I. G. of Police but they fell on deaf ears.

There is a lot of corruption among the police force. Honest people have no place in the police force. They do not get promotions in the normal course. It is equally difficult for an honest citizen to get police help. Those who give bribe get their done.

Steps shuold be takee to improve the police force in Delhi which is in bad shape from the top to the bottom. This work should be attended to before long.

Shri Tulshidas Jadhav : It is a fact that many of the thefts remain untraced. Some thefts committed even in M.Ps. quarters have remained untraced. This being so, The Law and order situation in Delhi has considerably deteriorated. The reason therefor is that many political leaders shield the law-breakers and thus put the police in a very embarrassing position. Political interference in the working of the police should be put an end to. Both the public and the police should cooperate in the matter of maintaining law and order.

श्री वी० चं० शर्मा : किसी भी शहर के नागरिक स्वास्थ्य के बारे में जानने केलिये सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उस शहर में कितने आन्दोलन हुए हैं, उन आन्दोलनों के लिये कौन जिम्मेदार है, कौन-कौन से राजनीतिक दल पुलिस के कामों में हस्तक्षेप करते हैं और कानून

और व्यवस्था के संरक्षकों का व्यवहार कैसा है। दिल्ली शहर में सेवाओं का एकीकरण नहीं है। मैजिस्ट्रेट एक राज्य से आये हैं तो उनके ऊपर जो अधिकारी हैं वे और राज्यों से आये हुए हैं। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर मैजिस्ट्रेट तक, विधि तथा व्यवस्था के इन सभी संरक्षकों की दिल्ली में कोई बुनियाद नहीं है। वे अपनी मर्जी से आते हैं और चले जाते हैं। दिल्ली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है क्योंकि वे दूसरे राज्यों से आते हैं।

दिल्ली में पुलिस की ठीक ढंग से देखभाल नहीं की जाती है। पुलिसमैन के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये वैसा नहीं किया जाता।

दिल्ली की समस्याओं को निबटाने के लिये गृह-मंत्रालय को एक समुचित रूप से गठित, सुसंगठित और सुव्यवस्थित निकाय बनाना चाहिये।

यदि हम दिल्ली के नागरिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो हमें ऐसे केन्द्र खोलने चाहिये जहां पर लोगों को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में व्याख्यान आदि दिए जायें।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

दिल्ली पुलिस की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझे बिना ही बहुत सी कटु आलोचनायें की गई हैं। यह बड़े दुःख की बात है।

जो लोग यह कहते हैं कि दिल्ली में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें शायद सही जानकारी नहीं है। यदि आप इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और अपराधों को साथ-साथ देखें तो आप पायेंगे कि इस शहर में अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। अपराधों की संख्या को जानने का वैज्ञानिक एवं युक्तिसंगत तरीका यह है कि हमें यह देखना चाहिये कि एक लाख की जनसंख्या में जितने अपराध हुए हैं क्या उनकी संख्या घट रही है या बढ़ रही है। इससे हमें ठीक-ठीक पता चल जायेगा कि क्या दिल्ली पुलिस अपना काम सुचारु रूप से चला रही है या नहीं।

पिछले तीन वर्षों के कुछ आंकड़े मैं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो उनके लिये काफी उपयोगी सिद्ध होंगे।

जघन्य अपराधों के बारे में 1965 में डकैती की 10 घटनायें हुई थीं, और 1967 में डकैती की कोई घटना नहीं हुई। 1965 में 64 हत्यायें हुई थीं और 1967 में 58। 1965 में हत्या करने के प्रयत्न के 68 मामले थे और 1967 में 52। लूट के मामले 1965 में 44 थे और 1967 में 36। दंगे के मामले अलबत्ता बढ़ गए। ये 1965 में 57 थे और 1967 में 81 हो गए। इसका कारण चुनाव और अन्य कई बातें थीं।

जहाँ तक जघन्य अपराधों के अलावा दूसरे अपराधों का सम्बन्ध है, उनके भी आंकड़े मौजूद हैं। 1965 में अपहरण और हरण के 244 मामलों की रिपोर्ट मिली थी और 1967 में ऐसे मामलों की संख्या 227 है। 1965 में चोरी के 1,333 मामले थे और 1967 में ये मामले 1,106 हैं। चोरी के मामले 1965 में 8,473 थे किन्तु 1967 में ये मामले बढ़कर 8,577 हो गए। शहर में प्रति लाख जनसंख्या में अपराधों की संख्या 1964 में 670.2 थी और 1966 में यह केवल 655.7 थी।

पुलिस अधिकारियों के निवास की व्यवस्था, उनके कार्य सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने और उन्हें अच्छे हथियार देने के बारे में जो पुलिस आयोग का प्रतिवेदन था उसके अनुसरण

में जो कदम हमने उठाये हैं उनके बारे में हमने बता दिया है। पुलिस आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने जो निर्णय किए थे उनका दिल्ली पुलिस ने बहुत स्वागत किया है। हमें विश्वास है कि जो सुधार हम कर रहे हैं उससे पुलिस की कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि होगी।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और प्रशिक्षण स्कूल आदि के बारे में कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं। प्रशिक्षण स्कूल तो पहले ही मौजूद है। बाकी दो बातों के लिये भी हम कार्यवाही कर रहे हैं।

अभी पिछले दिनों तक एक संयुक्त संवर्ग न होने के कारण भी पुलिस के कार्यों पर प्रभाव पड़ा था। हमें देश के विभिन्न भागों से भी पुलिस अधिकारी लेने पड़े और इन पुलिस अधिकारियों का यहाँ के स्थानीय पुलिस संवर्ग में कोई स्थान नहीं था। यद्यपि उन लोगों ने भी अपना पूरा प्रयास किया किन्तु जैसा काम स्थानीय पुलिस संवर्ग के अधिकारी कर सकते हैं वैसा काम वे नहीं कर सके। अब यहाँ पर एक संवर्ग बनाया जा रहा है और बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ एक पूर्णतया एकीकृत दिल्ली पुलिस बल बन जायेगा और ये त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी।

श्री स० मो० बनर्जी: पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जो मामले हैं क्या आप अब उन्हें वापिस ले लेंगे? पुलिस के कर्मचारियों को काफी नुकसान हुआ है अब आपको उनके साथ उदारता बरतनी चाहिये और उन्हें फिर पुलिस बल में ले लेना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्त: हमें इन मामलों पर अनुशासन की दृष्टि से विचार करना होगा। अनुशासन और पुलिस बल के भविष्य की अवहेलना करके हम उनके साथ नरमी और रहमदिली नहीं दिखा सकते। इसी कारण उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी है।

श्री बलराज माधोक: मैंने सुझाव दिया था कि विधि और तथा व्यवस्था की समस्या पर विचार करने के लिये एक नियमित तंत्र बना दिया जाना चाहिये। क्या वे ऐसे तंत्र का गठन करने के लिये तैयार हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल: पुलिस और जनता के सम्बन्ध सुधारने की दृष्टि से, इंस्पेक्टर जनरल और विभिन्न जिलों के प्रभारी सुपरिटेंडेंटस आफ पुलिस, स्थानीय नागरिकों के साथ बैठकर बातचीत करते रहते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी इन बैठकों में भाग लेते हैं और वे भी उनके साथ संपर्क बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधि भी हमसे आकर मिल सकते हैं।

कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पुलिस प्रशासन में गड़बड़ी करते हों किन्तु उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यदि पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप के कुछ मामले हैं तो हम ऐसे हस्तक्षेप को अवश्य समाप्त करना चाहेंगे।

दिल्ली के लोगों से ही नहीं बल्कि जिन लोगों से हम मिलते रहते हैं उन्हें हमें यह बताना चाहिये कि उन्हें दिल्ली पुलिस के कार्यों पर विचार करते समय निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहिये। पुलिस प्रशासन की त्रुटियों के बारे में पुलिस की निन्दा करना बड़ी आम बात है। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस प्रशासन में त्रुटियाँ नहीं हैं किन्तु पुलिस ने जो अच्छा काम किया है उस पर भी हमें विचार करना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta: There is no question of decrying anybody here. If the Hon. Minister goes to the people and enquire from them, he will know the real position.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो केवल यह कर रहा हूँ कि जनता के प्रतिनिधियों और आम जनता के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहियें।

वर्तमान स्थिति में और भारत की राजधानी की इन विशेष परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम कर रही है, और आधुनिक सुविधायें उपलब्ध होने पर वह निस्संदेह और भी अधिक अच्छा काम कर दिखायेगी।

इसके पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 6 दिसम्बर, 1967/15 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha than adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, Descember 6, 1967 Agrayana 15, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.